खण्ड-239, अंक-1
शनिवार, 27 माघ, शक संवत् 1884
(16 फरवरी, 1963 ई0)

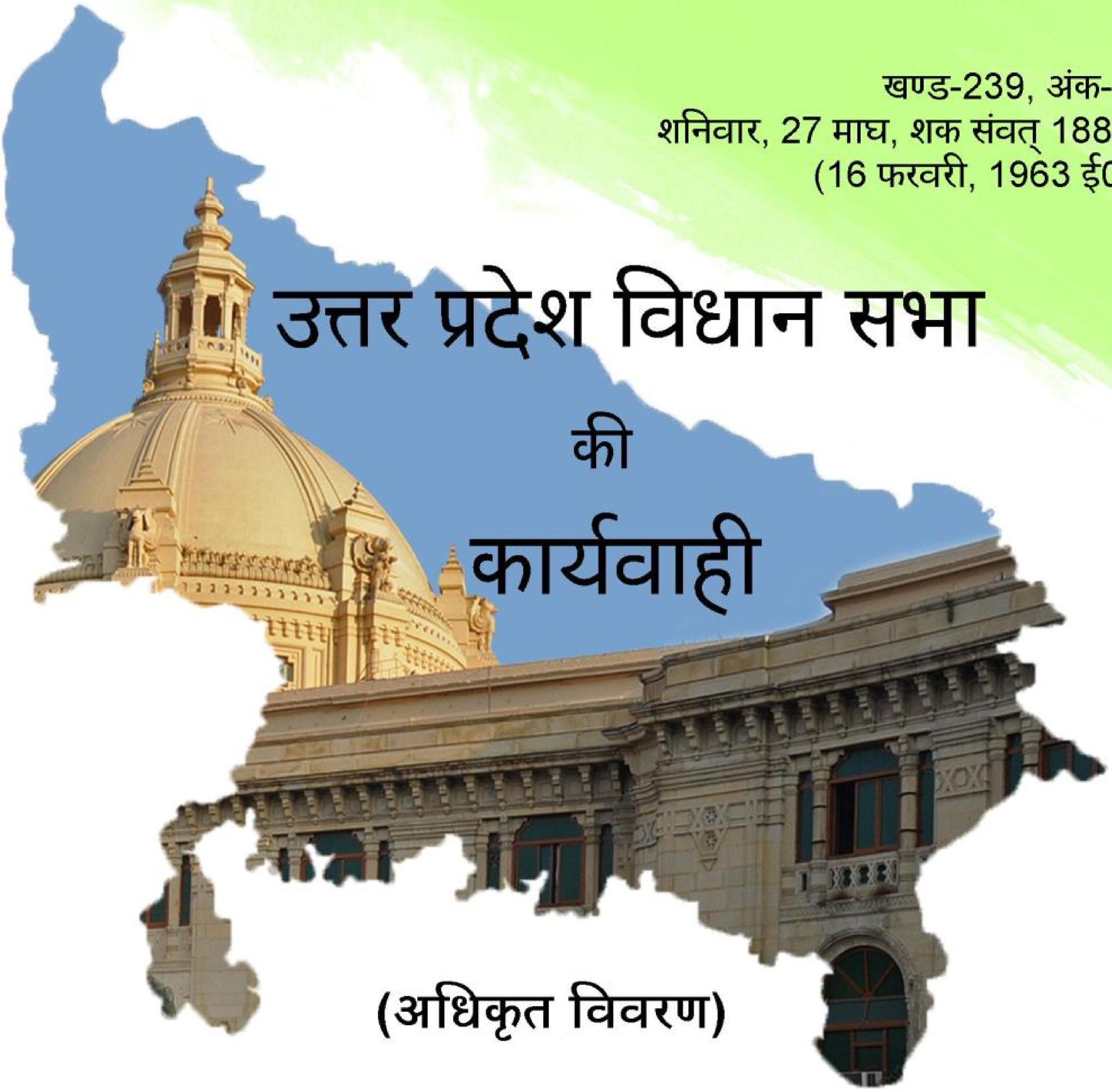

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	७
नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना	७–८
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	८
१९६२–६३ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर विवादार्थ समय विभाजन ..	८–९
१९६२–६३ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	९–४५
१९६२–६३ के द्वितीय पूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान ..	४५
अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर (स्वीकृत)	४५
अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (स्वीकृत)	४५
अनुदान संख्या ६—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	४५
अनुदान संख्या ९—राज्य जिलाधीश संगठन (स्वीकृत)	४५–४६
अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	४६
अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	४६
अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल) (स्वीकृत)	४६
अनुदान संख्या १५—पुलिस (स्वीकृत)	४६–४७
अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	४७
अनुदान संख्या १८—शिक्षा (स्वीकृत)	४८
अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (स्वीकृत)	४८
अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत)	४८
अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास (स्वीकृत)	४८
अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन (स्वीकृत)	[illegible]
अनुदान संख्या २३—पशुपालन (स्वीकृत)	[illegible]
अनुदान संख्या २४—सहकारिता (स्वीकृत)	४९
अनुदान संख्या २५—उद्योग (स्वीकृत)	४९
अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण (स्वीकृत) ..	४९
अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत) ..	४९
अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	४९–५०
अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी जातियां (स्वीकृत) ..	५०
अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	५०
अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं (स्वीकृत) ..	५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३५—विद्युत् योजनाएं अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	५०–५१
अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं (स्वीकृत)	५१
अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्वीकृत)	५१
अनुदान संख्या ४०—परिवहन (स्वीकृत)	५१
अनुदान संख्या ४२—अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) (स्वीकृत) ..	५१–५२
अनुदान संख्या ४५—वन (स्वीकृत)	५२
अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	५२
अनुदान संख्या ४६–क—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (स्वीकृत) ..	५२
अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	५२
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	५३
अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	५३
अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	५३
अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	५३–५४
अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनाएं (स्वीकृत) ..	५४
अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत) ..	५४
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	५४–७२

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १६ फरवरी, १९६३

132659

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य----३२७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नगुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव सिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीलाल, श्री

बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
ब्रजबिहारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधव नारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा सिंचाई उप-मंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १६ फरवरी, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

किच्छा तहसील में नरभक्षी का आतंक

**१—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लालकुआं व किच्छा, जिला नैनीताल, में आदमखोर शेर ने हाल में ९ व्यक्तियों की हत्या कर दी है जिसकी वजह से वहां के निवासियों के ऊपर भयंकर डर का वातावरण हर वक्त छाया हुआ है और वहां पर जन जीवन बड़ा संकटापन्न हो गया है ? क्या सरकार ने उपरोक्त आदमखोर शेर को मारने की इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ?

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

तहसील किच्छा के कुछ गांवों में और नैनीताल जिले के कुछ अन्य गांवों में एक बाघ द्वारा उत्पात की सूचना एक सप्ताह पूर्व सरकार के पास आई थी। उसके अनुसार उस बाघ ने गत करीब डेढ़ मास में १० व्यक्तियों की हत्या की है। इस बाघ को मारने के लिये जिलाधीश द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

(१) जिलाधीश ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें साधारण जनता व शिकारियों से इस बाघ के मारने के लिये कहा गया है।

(२) बाघ को आदमखोर घोषित कर दिया गया है।

(३) उसे मारने वाले को ५०० रुपये पारितोषिक की धनराशि भी नियमानुसार घोषित की गई है।

श्री देवेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, जहां तक मेरी सूचना है, जिनके पास राइफिल का लाइसेंस है उन्हीं व्यक्तियों को इसे मारने की सुविधा है। तो क्या सरकार जनता के उन लोगों को भी सुविधा प्रदान करेगी जिनके पास मजिल लोडिंग या डी० बी० बी० एल० गन्स हैं ताकि इस शेर को मारा जा सके ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह कह दिया गया है कि यह आदमखोर शेर है। साधारण आदमखोर शेर को मारने के लिये २०० रुपये दिये जाते हैं, किन्तु अगर वह डेन्जरस होता है तो उसको मारने के लिये ५०० रुपये दिये जाते हैं और उसको विशेष आदमखोर शेर घोषित किया जाता है। हर शिकारी से यह कह दिया गया है और हम हर आदमी का आवाहन करते हैं कि वह उसको मारे और यह इनाम ले।

श्री देवेन्द्रसिंह—

इस एरिया में प्रति वर्ष इसी प्रकार की घटनायें हो रही हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पर के गांवों के चारों ओर जो जंगल है इसमें वन विभाग ने सेन्चुअरी बना दिया है जिससे इस एरिया में शेरों का ज्यादा आतंक छाया हुआ है। तो क्या सरकार इस सेन्चुअरी को समाप्त होने की आज्ञा देगी जिससे कि लोगों की जान की हिफाजत हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात नहीं है कि सेन्चुअरी में जो शेर रहते हैं वही आदमखोर होते हैं। साधारणतया जो शेर बूढ़े हो जाते हैं या जिनके मुंह आदमी का खून लग जाता है, वह भी ऐसे हो जाते हैं।

श्री देवेन्द्रसिंह—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि अभी हाल ही में हमारे वन मंत्री जी ने एक शेर को मारा था, वे माननीय वन मंत्री जी को इस शेर को मारने के लिये भेजने की कृपा करेंगे ? (हंसी)

(उत्तर देने के लिये मन्त्री को बुलाया नहीं गया।)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी इस आदमखोर को मारने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध करेंगे ? मैं उनको याद दिलाता हूं कि गढ़वाल में एक बार जब एक आदमखोर शेर ने २५० आदमी मार डाले थे तो उसको मारने के लिये एक विशेष व्यवस्था की गयी थी और एक डिप्टी कमिश्नर को वहां तैनात करके उससे यह कह दिया गया था कि जब तक वह शेर मारा नहीं जायगा, तुम चैन से नहीं बैठोगे। उसी तरह का क्या सरकार अब इन्तजाम करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने जैसा कहा, जिलाधीश ने अपने वहां उसके लिये सभी आवश्यक प्रबन्ध कर रखा है और उन्होंने अपने आप २०० रुपये की जगह ५०० रुपये का इनाम कर दिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

इस बात को देखते हुये कि राइफल और पैराडाक्स की गोलियां बहुत महंगी हो गयी हैं और उसको इस्तेमाल करना साधारण शिकारी के वश की बात नहीं है, क्या सरकार ३०० ग्रेन की बुलेट्स को जिससे कि शेर मारा जाता है, सस्ते दामों पर शिकारियों को दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं राजा साहब की जानकारी के लिये बता दूं कि १२ बोर से भी शेर मारा जाता है और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि कुछ लोगों ने मारा भी है और हमने तो इनाम इसीलिये बढ़ा दिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मुझे आश्चर्य है, मैंने जो पैराडाक्स शब्द इस्तेमाल किया वह १२ बोर ही है। उसकी बुलैट ७५० ग्रेन तक की होती है। उसका दाम आज साढ़े ७ रुपये है। तो क्या सरकार ३०० ग्रेन की जो बुलैट है उसको मंगा कर सस्ते दाम पर देने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी वजह से ही हमने इनाम २०० की जगह ५०० कर दिया है। फिर भी, जो लोग शिकार मारा करते हैं उनको थोड़ी गोलियों की परवाह नहीं होती, राजा साहब जैसे लोगों को।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, एक शेर को अभी मार चुके हैं और उनका उसको मारने का अनुभव भी है। तो क्या सरकार उनको वहां भेजने की कृपा करेगी जिससे कि यह शेर मारा जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप सब लोग उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे जरूर जायेंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

साधारण शेर को मारने में और आदमखोर शेर को मारने में बड़ा फर्क होता है, वैसे साधारण शेर तो मैं भी ५ मार चुका हूं। मैं यह चाहता हूं कि क्या सरकार उसके लिये कोई विशेष प्रबन्ध करेगी और अपने जंगलात के जितने आफिसर्स हैं, जिन्हें शिकार खेलने का शौक है उनको उस शेर को मारने के लिये भेजेगी और, जैसा कि माननीय दुबे जी ने कहा, उनके लिये खास बुलैट्स आदि का प्रबन्ध करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारा तो आफर शिकारी और गैरशिकारी दोनों के लिये है। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि हम इस ओर काफी जागरूक हैं और वहां के जिलाधीश हर सम्भव उपाय कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रश्न समाप्त हुये।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, एक सवाल मुझे कर लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो भी माननीय सदस्य यह कहेगा कि मुझे बुलाइये, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा।

श्री लखीसिंह—

अच्छा यह बात है, लो मैं बैठा जाता हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत दो सूचनायें आई हैं, उनका विषय एक ही है। एक माननीय उमाशंकर जी की और दूसरी रियासत हुसैन जी तथा अन्य लोगों की है। इसमें कल माननीय उमाशंकर जी ने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया था और मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। उसका जवाब बहुत जल्द होने वाला है। इसलिये मैं उसको अस्वीकार करता हूं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, उसमें मेरा और रियासत हुसैन जी का नाम है। उसको आप पढ़ दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस पर मैंने रूलिंग दे दी है।

श्री बलवानसिंह—

मान्यवर, श्री चन्द्रशेखर, एम० पी०, यहां पर अस्पताल में रहे....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये आज और कई दिन तक बजट पर बहस चलेगी। उसमें आप कह सकते हैं। आपको पूरा मौका है।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक एम०पी० के साथ जब ऐसा व्यवहार है तो जनता के साथ न जाने कैसा व्यवहार होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल उन्होंने ही पेश किया था। मैंने उसको एलाऊ कर दिया। अब इसमें आज का कोई सवाल नहीं आता है।

नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५३ के अन्तर्गत एक सूचना है। यहां एक कत्ल हो गया था और कल दुबे जी ने भी पूछा था और माननीय पुलिस मंत्री ने जवाब दिया था और कहा था कि इसमें सी० आई० डी० इंक्वायरी कर रही है। अब इसके संबंध में उनको कोई बात करना है तो आज अनुपूरक बजट पर और चार दिन तक जनरल बजट पर डिबेट होगी, उसमें कहने का पूरा मौका होगा। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल यूनिवर्सिटी में हड़ताल हो गई थी। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर एक घंटा विवाद हो जाय। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह काफी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित श्री अजीज इमाम के कार्यकाल की समाप्ति दिनांक ६ मार्च, १९६२ को हो जाने से रिक्त स्थान पर और उक्त विधान सभा के विघटन के कारण श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट के रिक्त स्थान पर उनकी शेष पदावधि के लिये, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित श्री अजीज इमाम के कार्यकाल की समाप्ति दिनांक ६ मार्च, १९६२ को हो जाने से रिक्त स्थान पर और उक्त विधान सभा के विघटन के कारण श्री नरेंद्र सिंह विष्ट के रिक्त स्थान पर उनकी शेष पदावधि के लिये, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९६२-६३ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर विवादार्थ समय-विभाजन

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दुबे जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि समय का बटवारा कैसे हो।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, परामर्शदात्री समिति में कुछ तय हुआ था?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

सब के विचार सुन लूं, फिर अपनी बात कहूंगा।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि परसों सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ था और वित्त मंत्री जी ने पेश किया था और यह सदन की परम्परा रही है कि जब विवाद का प्रश्न आता है या टाइम एलोकेशन का सवाल आता है। तो उसी समय, श्रीमन्, आपके कार्यालय से कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि आप लोग उसके संबंध में कोई बैठक करेंगे जिसमें उसके ऊपर विवाद होगा। श्रीमन्, इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई तो यह तो बड़ा मुश्किल है। अभी कल ही आपने डांटा था मुख्य सचेतक कांग्रेस दल को और आज फिर दूसरी गलती की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, न तो यह रूल में है और न ऐसा पहले कभी हुआ है। ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है।

विद्युत उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अगर आप आज्ञा दें तो मैं माननीय नरसिंह नारायण जी की सूचना के लिये परम्परा बता दूं कि इसके लिये तो आज का एक दिन निश्चित है, तो कार्य मंत्रणा समिति में इससे ज्यादा होता क्या? हमारे यहां परम्परा यह रही है कि तमाम दिन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, हर आदमी उस पर बोल सकता है, और आखिर में एक घंटे में उसके ऊपर वोट ले लिया करते हैं। ऐसी हमारी पुरानी परम्परा रही है, आप प्रोसीडिंग्स निकालकर देख लीजिये और ज्यादातर तो ऐसा करते हैं कि उसको पढ़ते भी नहीं हैं, जिसकी प्रांट होती है; वह खड़ा हो जाता है और इस तरह समय बच जाता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं समझता हूं कि अगर तीन घंटे सामान्य विवाद हो और बाकी समय में यह बजट के सारे अनुदान पेश हो जायं तो सबको ही सुविधा रहेगी क्योंकि जो कुछ भी बातें होंगी, वह सामान्य विवाद में सब आ जायंगी, फिर आइटमवाइज अनुदान पर तो कोई बात रहेगी नहीं। तीन घंटे सामान्य विवाद के लिये रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

तो तीन बजे तक का समय इसके लिये रख लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं इसमें एक संशोधन रखना चाहता हूं कि ४ बजे तक जनरल बहस हो और उसके बाद सारी प्रांट्स रख दी जायं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मुझे नेकराम जी का प्रस्ताव स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, एक बात है एप्रोप्रियेशन बिल के लिये भी थोड़ा समय आपको निकालना है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

ऐसा रखें कि जैसा आपने कहा है एप्रोप्रियेशन बिल के लिये आधा घंटा रख दिया जाय और अनुदानों के लिये एक घंटा, सवा घंटा, कुछ रख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

तो साढ़े तीन बजे तक यह रखा जाय और फिर उसके बाद अनुदान आ जायं।

१९६२-६३ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार अक्टूबर मास में एक सप्लीमेंट्री बजट सदन के सम्मुख रखा जा चुका है और वह लगभग दो करोड़ रुपये का था। परिस्थितियों को देखते हुये हम लोगों ने उस सप्लीमेंट्री प्रांट्स के ऊपर कोई विवाद भी विशेष नहीं किया। वह पास भी हो गया था और यह भी खुशी की बात थी कि विरोधी दल की सद्भावना जिस प्रकार हुई थी उस प्रकार सरकार ने भी उस सप्लीमेंटरी बजट में आयी हुई बहुत-सी मदों को जैसे कि राज-भवन की एयर-कंडीशनिंग, इत्यादि, इत्यादि, को काट दिया था और यह आशा हो चली थी कि सरकार बहुत काफी किफायत करेगी और जनता के पैसे की रखवाली करेगी। परन्तु उस के बाद ही नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी चार महीने के बाद ही जो यह दूसरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णपालसिंह]

सप्लीमेंट्री ग्रांट सामने रखी गई है उसमें बहुत भारी भरकम खर्चे को दिखाया गया है। लगभग १५.२२ करोड़ की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट आयी है यह एक अभूतपूर्व सप्लीमेंट्री ग्रांट परिस्थितियों को और किफायतों को देखते हुये रखी गई है जो कि बहुत ही विवादग्रस्त है। म ज्यादा अगर हर आइटम में जाना चाहूंगा तो श्रीमन् ने जैसा अभी कहा-समय साढ़े तीन ही बजे तक है, और बहुत से हमारे माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिये मैं केवल मुख्य मुख्य विषय ही लेना चाहता हूं। नवम्बर में जबकि सब विरोधी दल के नेताओं को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुलाया तो उन्होंने यही सबके ऊपर इम्प्रेशन डालने की कोशिश की कि चूंकि देश के ऊपर चीन का हमला हो गया है, परिस्थिति ऐसी है, इमरजेंसी है, इसलिये हम लोगों को उनके साथ सहयोग करना चाहिये और जिस प्रकार से भी हो सिविल डिफेंसेज को मजबूत करना चाहिये। हम लोग इस आशा में थे कि चूंकि हमारा प्रदेश सीमाप्रान्त प्रदेश है और जहां तक चीन के आक्रमण का प्रश्न इस प्रदेश के लिये है वह हमारे लये तो करीब-करीब अक्तूबर, १९६२ से नहीं बल्कि उसके ६-७ साल पहले से प्रारम्भ हो चुका है जब कि हमारे प्रदेश के बाराहोती भाग पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इस परिस्थिति को देखते हुये और परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुये सब का यह प्रयास था कि सिविल डिफेंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाय परन्तु जो सप्लीमेंटरी ग्रांट में नेशनल इमरजेंसी के नाम से ग्रांट नम्बर ४६-ए दिखाई गई है उसको देखने से यह मालूम होता है कि इस पूरे सप्लीमेंटरी बजट में जो १५.२२ करोड़ रुपया है उसमें सिविल डिफेंस के ऊपर केवल १.४३ करोड़ ही व्यय किया गया है। पुलिस के बढ़ाने में १.२२ करोड़ व्यय किया गया है। जहां तक पुलिस के बढ़ाने का प्रश्न है, पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो गई थी और इमरजेंसी के पूर्व ही वह प्राप्त हो गई थी और स्वीकृत हो चुकी थी, जिसमें यह निश्चय किया गया था कि २ हजार कांस्टेबिल्स, २,५०० सब इन्सपेक्टर्स और तत्संबंधित जो बीच के और नीचे वाले अफसर हैं हैड मुन्शी वगैरह वह भी बढ़ाये जायेंगे इसलिये इमरजेंसी से इसका संबंध नहीं था क्योंकि यह खर्चा तो पुलिस कमीशन की रेगुलर रिपोर्ट के अनुसार किया जा रहा था। यह इमरजेंसी के खर्चे से संबंधित नहीं है। १.४३ करोड़ रुपया ही केवल इमरजेंसी में व्यय हुआ है जिसमें लगभग ६० लाख रुपया तो जो सिटीजन कौंसिल बनाई गई है उस सिलसिले में खर्च कर दिया गया है। उसमें से आधे के करीब रुपया तो सिटीजन कौंसिल बनाने के ऊपर सर्फ किया गया है. .इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिविल डिफेंस की तरफ अभी कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। यह जरूर है कि ६ बटालियन पी०ए०सी० को रिक्रूट करने के लिये विशेष कदम उठाया गया है। साथ ही इस इमरजेंसी में कुछ प्रांतीय रक्षक दल को भी बढ़ाया गया है। हम तो समझते थे कि वह समाप्त हो चुका है लेकिन कल माननीय मंत्री जी ने सदन को सूचना दी कि वह समाप्त नहीं हुआ था, उसका शरीर छोटा कर दिया गया था और अब उसके शरीर की जरूरत को देखते हुये बढ़ाया जा रहा है। उसका भी खर्चा है जो इसी में शामिल है। इस तरह से यह खर्चा कुल मिलाकर करीब १ करोड़ हो जाता है। इस तरह से इन सब आइटम्स का खर्चा मिलकर १.४३ करोड़ जो होता है वह बहुत असंतोष-जनक है। इस १५.२२ करोड़ के अनुपूरक बजट में जो यह ग्रांट मांगी गई है उसमें यह बहुत थोड़ा खर्चा है। समाचार पत्रों से यह मालूम हुआ था कि लगभग १० करोड़ रुपया सिविल डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है लेकिन अब सप्लीमेंटरी बजट को देखने के बाद यह मालूम हुआ है कि जो यह इतना खर्च किया जा रहा है सिविल डिफेंस पर यह बहुत ही निराशाजनक कार्य है।

उत्तराखंड की बात कही गई। उत्तराखंड की कोई डिटेल्स नहीं दी गई हैं। उत्तराखंड भी अपने प्रदेश में है। हमने वहां जाकर देखा है और वहां पर जो हालत हो रही है उसमें पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उस पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है। वहां पर तहसीलों को जिला बनाया गया है। जब वहां पर जिले बनाये गये हैं तो उनके लिये कलेक्टर चाहिये और उसके लिये एस० डी० ओ० भी चाहिये और उसके साथ दूसरा स्टाफ

भी चाहिये। इस तरह से मिलाकर अब वहां १५-२० हजार की आबादी की तहसील कायम कर दी गयी है जो शायद अभी तक पहाड़ी इलाके में पटवारी की ३-४ पट्टी होती थी और जिन पर एक पेशकार हुआ करता था। वहां पर अब एक एस० डी० ओ० के हाथ में शासन दे दिया गया है। यह एक तरह से ताम झाम वहां पर हो गया है जो बिलकुल बेकार है। इससे डिफेंस के लिये कोई भी लाभ नहीं होने वाला है और न जनता ही इसको चाहती है। मैं जानता हूं कि यही बातें जब मैं कहूंगा तो सरकारी पक्ष यह समझेगा कि मैं खामख्वाह बरगलाने की बातें कह रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के विधायक गम्भीर लोग हैं, वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उन्होंने ऐसी बातें सरकार से कही हैं और कहते रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि उस क्षेत्र को नेफा न बनाया जाय। वहां पर ठोस काम होना चाहिये।

जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, उसके बारे में जब मेन बजट आयेगा उस समय मैं निवेदन करूंगा, लेकिन इस वर्ष जो टैक्सेशन किसानों पर किया गया है उसके बारे में जरूर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार उस टैक्स का जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये उपयोग किया गया है वह उन आश्वासनों के विपरीत है जो कि उस टैक्स को लगाते समय सरकार द्वारा इस सदन में दिये गये थे। इसके लिये मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूं। एक दारोगा जी थे। उन्होंने एक घोड़ा रखा था। एक बार वे उस घोड़े को ले कर उस इलाके में गये जहां कि चोर बहुत लगते थे। उन्होंने अपने साईस से कहा कि रातभर इसको खरहरा करते रहना, नहीं तो चोर इसे चुरा ले जायंगे। साईस खरहरा करता रहा, लेकिन किसी समय सो गया और चोर उसे चुरा ले गये। चोरों ने उसकी जगह एक खरगोश बांध दिया। सुबह जब साईस की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा तो गया लेकिन उसकी जगह एक खरगोश बड़ी उछलकूद कर रहा है। जब दरोगा जी आये तो उसने कहा कि आपने कहा था कि खरहरा लगाते जाओ, तो यह खरहरा लगाते लगाते जब इतना बड़ा रह गया तो मैंने यह विचार किया कि अब खरहरा लगाऊं या न लगाऊं, क्योंकि और खरहरा करने से और छोटा हो जायगा। लेकिन यह तेज बहुत हो गया है। तो सरकार से प्रार्थना है कि प्रदेश की जनता पर सरकार जिस प्रकार खरहरा कर रही है और खरहरा करते करते वह जिस हालत पर पहुंच गयी है उसे देखते हुये हमें विचार करना होगा कि अब और खरहरा किया जाय या नहीं। श्रीमन्, मैं आप से यह भी अनुरोध करूंगा कि सरकार खरहरा लगाते समय न इंसान देखती है न देश। उसने जनता पर ही खरहरा लगाया हो, ऐसा नहीं है, वह देश पर भी खरहरा लगाती चली जा रही है जिसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। ४०,००० वर्ग मील पाकिस्तान को खरहरे में दे दी गयी और २०,००० वर्ग मील चीन के पास मौजूद है। तो इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि ६०,००० वर्गमील जो मातृभूमि की जमीन दी गयी है यह कांग्रेस का कब्रिस्तान बनने के लिये काफी है और जब प्रदेश की जनता तथा सरकार को यह सोचना चाहिये कि उसे और ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इस विवाद में भी अधिक नहीं जाना चाहता। सिविल डिफेंस के बारे में बहुत सी बातें हैं। मैंने जो बात कही वह माननीय मिश्र जी को बुरी लगी। मुझे तो कहना ही चाहिये क्योंकि केंद्र में, और प्रदेश में आपकी सरकार है और उन्हीं से कुछ करने की अपेक्षा की जा सकती है। अगर उनके लिये कुछ कहा जाय तो वह बुरा नहीं लगना चाहिये। हम तो केवल सुझाव दे सकते हैं। यह सप्लीमेंटरी अंधाधुन्धी के साथ बनाये गये हैं। नवम्बर में जो सप्लीमेंटरी आया था वह दो करोड़ का था, अब चार महीने के बाद ही खर्च बढ़ कर यह १५.२२ करोड़ का हो गया है। इसमें इमरजेंसी का बिलकुल विचार नहीं किया गया है और सरकारी काम जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से यह चलाया गया है। रहा पी०ए०सी० का रिक्रूटमेंट, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वह सुरक्षा के विषय में है, जितना कम कहा जाय उतना ही अच्छा होगा। इस विरोध के साथ में समाप्त करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि माननीय वित्त मंत्री के द्वारा यह सप्लीमेंटरी डिमांड्स इस सदन में पेश हुई वह भी फरवरी में। प्रथम सप्लीमेंटरी डिमांड पेश करते समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि "भले ही हम सप्लीमेंटरी डिमांड पेश कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी आ गयी है, हम देखेंगे कि व्यर्थ के खर्चे में कटौती हो।" लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि फरवरी में, कल जबकि बजट पेश कर चुके हैं उस समय १५ करोड़ का सप्लीमेंटरी खर्चा दिखलाना इतना अनावश्यक है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। संविधान में सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के बारे में साफ प्रावीजन है। आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में पढ़ता हूं, २०५ आर्टिकिल है—

"If the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of Article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial yearfor supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement.

जो मूल बजट में हमने कनटेम्पलेट न किया हो ऐसे ही आवश्यक डिमांड्स को इसमें लाना चाहिये। अगर आप इस सिद्धांत पर इन सारी ग्रांट्स को देखें तो इनमें बहुत सी ग्रांट्स थीं जो मूल बजट के लिये हम पोस्पोन कर सकते थे लेकिन वह नहीं की गयीं। जैसे मद १० है। आप देखें कि इसमें राज्यपाल महोदय की कार के लिये व्यवस्था की गयी है। उसमें लिखा हुआ है कि ३ कार गवर्नर महोदय के पास रहनी चाहिये। लेकिन खरीदे हुए ५ साल हो गये, कार खराब हो गयी और सर्विस के योग्य नहीं है। इसलिये एक कार खरीद दी जाय। वह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से खरीद ली गयी। १८,००० तो कहीं से बचत हो जायगी और २,९०० रुपया मांगा गया है। तो सरकार को यह तो पता था ही कि ५ साल हो गये, कार खराब हो गयी, उसको मूल बजट में ला सकते थे। फिर १८,००० की बचत हो गयी। यह तो सरकार का रवैया हो गया है कि वह बैड बजेटिंग करती है, डेफिसिट शो करते हैं और टैक्सेशन के लिये आधार अपना बना लेते हैं। यह एक दिन-प्रति-दिन की बात हो गयी है। श्रीमन्, कई डिपार्टमेंट्स में तो ७०–७५ फी सदी सेविंग हुई है, जैसे कि पी०डब्ल्यु० डी० है। इसके अलावा और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें १५ से लेकर २५ फी सदी तक बचत हो जाती है। यह तो बैड बजेटिंग हुआ। जिन चीजों को हम कनटेम्पलेट कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस पड़ गयी है कि उनके लिये सप्लीमेंटरी ले लेंगे। आडिटर जनरल ने कहा है कि फरवरी में जो अनुदान सदन स्वीकार कर देता है वह सरकार खर्च नहीं कर पाती।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि १५ करोड़ रुपये की जो मांग मांगी गयी है, जब मार्च आयेगा तो उसमें से बहुत सा रुपया खर्च नहीं हो पायेगा। इसका असर यह होता है कि जिन विभागों को अधिक आवश्यकता होती है उनको रुपया नहीं मिल पाता है और जिन विभागों में उस रुपये की जरूरत नहीं है वहां रुपया पड़ा रहता है। एक बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अवश्य कह देना चाहता हूं कि ३१ मार्च तक अगर कोई विभाग खर्च न कर पाये, तो उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें। इसमें बहुत सी ऐसी मदें हैं जिनको सप्लीमेंटरी में होना ही न चाहिये था। मिसाल के तौर पर ले लीजिये फारेस्ट को, उसमें बहुत सा नये स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से अनुदान संख्या ११ में नायब तहसीलदार कलेक्शंस को तहसीलदार बनाया जा रहा है। इसको मूल बजट में रखा जा सकता था। इसी प्रकार ग्रांट नम्बर १५-पुलिस में चौकीदारों की वर्दी के लिये १,७४,००० रुपये की मांग की गयी है, इसको भी मूल बजट में रखा जा सकता था। सी०आई०डी० विभाग के लिये ७५ हजार की मांग और जीपों की मांग की गयी है, यह भी मूल बजट में रखी जा सकती थी। इसी प्रकार से एजूकेशन में भी ऐसी बहुत सी मदें हैं जिनकी इस सप्लीमेंटरी बजट में कतई जरूरत नहीं थी।

इमरजेंसी ग्रांट नम्बर ४६ को देखिये। इसमें १,४३,००,००० रुपया खर्च किया गया है। श्रीमन्, जब लीडर्स कांफ्रेंस हुई थी तो कहा गया था कि २० करोड़ की आवश्यकता है लेकिन उसमें से १,४३ लाख रुपया ही खर्च किया गया। अब ७ करोड़ की मांग की गयी है। मैं तो यह कहता हूं कि यह सरकार इमरजेंसी महसूस ही नहीं करती और न इमरजेंसी के लिये खर्चा ही करती है। श्रीमन्, पी०डब्ल्यू० डी० विभाग में उत्तराखंड के नाम पर जो करप्शन और भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी हद नहीं है। जो इस विभाग के मंत्री हैं उनकी यह हालत है कि जिस वक्त हमारी फौज चीन की फौजों का मुकाबला करने के लिये बाराहोती की तरफ बढ़ रही थीं तो माननीय मुख्य मंत्री जी वहां मौजूद थे, धारचूला सड़क वहां बनने वाली थी जहां कि एक आदमी को एक मन घास ले जाने के लिये ५ रुपया रोज देना पड़ता था, वहां वह सड़क तैयार नहीं हुई थी। फौज का ब्रिगेडियर जब यह पता लगाने के लिए कि सड़क तैयार है, इंजीनियर से मिलने के लिये गया तो उसे मालूम हुआ कि घर पर नहीं हैं लेकिन जब वह घर गया तो वहां वे रमी खेल रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री को जब यह कहानी मालूम पड़ी तो उनको बहुत दुख हुआ। बाद में, श्रीमन्, पता चला कि उन इंजीनियर साहब का प्रमोशन करके बनारस भेज दिया गया। जब पूछा गया कि सड़क क्यों नहीं बन पायी तो बहाना लिया गया कि नैपाल से लेबर मिल नहीं पायी और गोरखपुर से आ नहीं पायी। पी० डब्ल्यू० डी० के मंत्री जी के बारे में मैं कल भी कह रहा था कि सरकारी कर्मचारी सुबह ९ बजे आते हैं और रात को ७–८ बजे जाते हैं लेकिन मंत्रीगण कभी अपने कमरे में समय पर दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर साहब का कमरा हमेशा खाली ही पड़ा रहता है। यह इमरजेंसी का पीरियड है, क्या वे इसको महसूस करते हैं? यह सदन इसको सहन नहीं कर सकता। माननीय सदस्य इसको सहन नहीं कर सकते। हमारी सड़कें बन नहीं पायीं जिससे हमारी सेना उधर पार नहीं हो पायी और हमारे पी० डबल्यू० डी० के मिनिस्टर यहां बैठे रहे। मैं धारचूला के स्कूलों के विद्यार्थियों को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने श्रमदान किया और हमारे सेना के सामान को विद्यार्थी सब अपने अपने कंधों पर ढो ढो कर ले गये। पी० डब्ल्यू०डी० मशीनरी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब कंट्रैक्टर्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि १२ परसेंट उनको देना पड़ता है और जब तक १२ परसेंट न दिया जाय कोई बिल ही नहीं पास होता जिससे रुपया नहीं मिल पाता। इसी वजह से सड़क नहीं बन पायी। इस तरह से एक बड़ा ही विशस सर्किल है। हमारे ए०जी० की रिपोर्ट है कि पी० डब्ल्यू० डी० को जितना कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया उसे वह पूरा नहीं कर पायी। पी० डब्ल्यू० डी० में जहां पहले ८ सर्किल था वहां अब १४ सर्किल बन गया है। फर्स्ट प्लान में ही ज्यादा से ज्यादा कन्स्ट्रक्शन हुआ, दुसरे प्लान में उतना नहीं हुआ, फिर १४ सर्किल बनाने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इमरजेंसी है और आप इसे महसूस करते है तो पी०डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर को पेंशन दे दीजिये या विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर उनको बना दीजिये, लेकिन इमरजेंसी में ऐसे मिनिस्टर की हमें जरूरत नहीं है और न ऐसे मंत्रियों की जरूरत है जो पंचमांगी का काम करें। क्या यह सही नहीं है कि पब्लिक मीटिंग करके सेना के विषय में भाषण दिये गये, इस्टर्न कमांड के जनरल या और सेना के आफिसरों से मिल कर बतलाया गया कि हमारी सेना के पास सामान नहीं था? आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है? श्री गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि इस तरह की बातों से जनता का मनोबल गिरता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि जनता के मनोबल को गिराने वाले इधर के बैठने वाले सदस्य नहीं हैं बल्कि उधर के बैठने वाले ही हैं जो कैबिनेट की गुप्त खबर तक पब्लिक को पहुंचा देते हैं। मैं श्री रामकुमार शास्त्री जी से ही पूछना चाहता हूं कि उनके यहां बस्ती की मीटिंग में क्या भाषण हुए और सेना के प्रति क्या क्या बातें कही गयीं। आज इस इमरजेंसी के मौके पर भी आप देखें कि आपकी कैबिनेट के ही कुछ मंत्री, जो भी वहां निर्णय होते हैं, उनको बाहर तक पहुंचाते हैं। यह खबर कि हमारे जेनरल का कहना है कि कम से कम ८ महीने डिफेंस के लिये और कम से कम डेढ़ वर्ष आफेंस के लिये चाहिये, इस खबर को फैलाना वाला कौन है? मैं तो अपने होम मिनिस्टर साहब से ही पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने

[श्री नेकरोम शर्मा]

विभाग पर इतना खर्च करते हैं तो अपने सी०आई० डी० से इसका पता क्यों नहीं लगवाते ? मेरा तो दावा है कि आपके साथ में बैठने वाले ही आपके प्रति और अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। आपका जो भी निर्णय होता है उसको बाहर ले जाने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के ऊपर ही है। इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा और फिर अपनी नीति निर्धारित करनी होगी।

माननीय वित्त मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने खर्चे में १०–१५ करोड़ रुपये की कमी करने की बात कही थी, यह तो ठीक है लेकिन यह भी तो बतलायें कि जनरल खर्चे में आपने कितनी कमी की। जितने सुपरफ्लूअस पोस्टर्स थे, जैसें डाइरेक्टर आफ एजूकेशन पहले था वहां आपने एक एडिशनल कर दिया, पहले एक इक्साइज कमिश्नर होता था वहां आपने डिप्टी एक्साइज कमिश्नर की पोस्ट कर दी, इस तरह से अनेक पोस्ट्स क्रिएट कर दिये गये। उनमें कमी न करके और उसके लिये करीब १५ करोड़ का सप्लीमेंटरी ग्रान्ट पेश कर दिया गया। इस को तो मूल बजट में लाया जा सकता था लेकिन ऐसा न करके सप्लीमेन्टरी बजट में लाया गया है। जिस खर्चे को हम कंटेम्प्लेट नहीं कर सकते हों उसी को सप्लीमेंटरी ग्रांट के रूप में लाना चाहिये और जो खर्चे पहले से ही मालूम हो उसके लिये तो मूल बजट में ही प्रोविजन होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस संबंध में आगे से एक ठोस कदम उठायेंगे और सारी बातों को अच्छी तरह से अध्ययन करके अति आवश्यक ग्रांट को सप्लीमेन्टरी में समावेश करने की अनुमति प्रदान करेंगे। रुपया ले लिया जाता है और वह खर्च विभाग कर नहीं पाते, कभी कह दिया जाता है कि सीमेंट नहीं मिला, कभी फारेन एक्सचेंज की बात करते हैं और नतीजा यह होता है कि ३१ मार्च को रुपया लेप्स हो जाता है। मैं यह कह रहा था कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट का एक उद्देश्य होता है और एक महत्व होता है और उस उद्देश्य और महत्व को सामने रख कर ही हमें सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के लिये रुपया लेना चाहिये।

जहां तक सिटीजन्स कौंसिल का संबंध है, उसकी ग्रान्ट ४६ में एक स्कीम है और अगर इस कौंसिल में आप को इमरजेंसी के खयाल से बहादुर लोगों को ही रखना था तो क्यों इस तरह से छांट छांटकर आदमी रखे गये हैं ? हमारी इत्तिला है कि वह लोग इस कौंसिल में रखे गये हैं जो कहीं प्रोवाइड नहीं हुये थे। गुप्ता जी का यह रहता है कि जो उनके खास आदमी हैं वह चाहे चुनाव में हार भी जायं लेकिन वह उनको किसी न किसी तरह से बैक डोर से लाकर मंत्री बनवा देते हैं या सिटीजन्स कौंसिल में ही प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं तो किसी इवैल्यूएशन कमेटी का चेयरमैन बनवा देते हैं। आप देखें कि सीमांत प्रदेश के जिलों का इस सिटीजन्स कौंसिल में एक आदमी भी नहीं है, उन जिलों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। श्री कैलाश प्रकाश जी मेरठ के हैं, वह पहाड़ के नहीं हैं लेकिन उस कौंसिल में वे संयोजक हैं। और कुछ रुपये खर्च करने का अधिकार दे दिया गया और जो अन्य लोग उसमें रखे गये हैं वे गुप्त जी के कैपिटलिस्ट लोग हैं जिन के विषय में कल ही माननीय कपलापति जी ने कहा कि उनसे डिफेंस फंड में रुपया जितना मिलना चाहिये नहीं मिल रहा है। जब ऐसी बात है तो उनको इस कौंसिल में क्यों रखा गया है ? एक तो वे देश के संकटकाल में सहयोग नहीं करते, देश के साथ गद्दारी करते हैं, आलोचना करते हैं, और फिर भी आप उन्हीं को उसमें रखते हैं। एक सब कमेटी बनी इमर्जेन्सी में और अब तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने मार्शल रेस की परिभाषा ही अपने यहां बदल दी है, कहते हैं वह तो अंग्रेजों की बनाई हुई थी लेकिन अब तो मार्शल रेस वही है जिस को वह खुद रिप्रेजेन्ट करते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी जो एक ईमानदार आदमी हैं और मार्शल रेस के आदमी भी हैं उनको क्यों कैबिनेट सब कौंसिल में नहीं रखा गया, वह ईमादार आदमी हैं, हृदय से और लगन से काम करते हैं, विद्वानभी हैंलेकिन उनको नहीं रखा जाता। अगर इमर्जेन्सी थी तो हमसे यह १५ करोड़ रुपया क्यों मांगा जा रहा है ? उसके लिये नहीं मांगा जारहा है। यह सब क्यों हाहा है कि अपने आदमियों को हर जगह प्रोलाइड करो और गुटबन्दी को मजबूत करो अगर कोई बिना प्रोवाइड किये हुये रह गया है और बैठा है वह बेकार न पड़ा रहे, उसको भी लाकर बैठा दो? मुझे इस की खुशी है कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर श्री नवलकिशोर जी ने सदन में कम्युनिस्ट दल को मान्यता दी, मैं उन की तारीफ करूंगा और उन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने

केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध जा कर भी बहुत ईमानदारी और बहादुरी से कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्त है और राष्ट्रीय है, मैं उनकी हिम्मत की तारीफ करता हूं। तो एक तरफ तो वह कम्युनिस्टों को ईमानदार और देशभक्त समझते हैं और दूसरी तरफ उनको किसी भी कमेटी में नहीं रखा जाता, सिटीजन्स कौंसिल में भी उन को नहीं रखा गया, एक तरफ तो उनको होम मिनिस्टर साहब देश भक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं और साथ ही उनको किसी कमेटी में भी नहीं रखा जाता, क्यों नहीं वह अपने कथन को अमली जामा पहना सके ? अगर उनके कथन के अनुसार वे वाकई देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, तो उनको भी समितियों में और हर जगह स्थान दें लेकिन अगर यह समझते हैं कि वह देशद्रोही हैं, हमारी नीति के खिलाफ हैं, तो केन्द्रीय सरकार या मुख्य मंत्री जी की तरह उन को कोई सर्टिफिकेट न दिया जाता लेकिन अगर माननीय नवल किशोर जी हिम्मत कर के उनको सर्टिफिकेट देते हैं तो मैं उनकी तारीफ करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही बात कही, मैं चाहता हूं कि कम्युनिस्टों को सब जगह लिया जाय और उनसे काम लिया जाय।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरी यह धारणा है कि सीमांत के तीनों जिलों पर यह सूबे की सरकार प्रशासन नहीं कर सकती और इस वास्ते इन तीनों जिलों को सेन्टर में दे देना चाहिये। यह सदन और माननीय सदस्य इससे अच्छी तरह से परिचित हैं न जैसे कि पी० डब्लू० डी० और दूसरे विभाग जैसा फंकशन कर रहे हैं उसको देखते हुये जो हमारे तीनों जिले हैं हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि यहीं पर कहा गया कि अगर चाइनीज से हम पहाड़ की रक्षा नहीं कर सके तो हम प्लेन्स पर लड़ेंगे। अगर हमारा पहाड़ अगर चला गया तो हिन्दुस्तान चला गया। मैं समझता हूं कि यह भावना बड़ी ही घातक है। (एक सदस्य—यह आप क्या कह रहे हैं ?) मैं प्रमाण के बल पर कोई बात कहता हूं। आप सम्पूर्ण प्रदेश की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो सेन्टर को दे दीजिये जिससे यह सेन्ट्रल टेरीटरी हो जाय और रक्षा का प्रबन्ध ठीक से हो सके।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आज भी तो रक्षा का प्रबन्ध सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर ही है।

श्री नेकराम शर्मा—

रक्षा का प्रबन्ध तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है लेकिन सड़कें बनाना, सामान पहुंचाना, वहां के लोगों के मनोबल को बढ़ाने आदि के काम तो सारे प्रदेश के ही हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इसराइल और जो दूसरे अरब कंट्रीज हैं उनमें झगड़े होते हैं, उनमें आपस में बार्डर्स लगे हुये हैं तो उन्होंने एक प्लान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने किबूत्स बनाये हैं, मिलिटरीमैन के गांव के गांव वहां बसाए गये हैं और स्कूल, अस्पताल और सभी इन्तजाम उनका वहां होता है। उनकी एक कम्युनिटी लाइफ होती है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, यह कितनी देर बोलेंगे ? इनके लिये भी कोई समय मुकर्रर है ?

श्री नेकराम शर्मा—

कहिये तो मैं बैठ जाऊं ? मैं तो आप लोगों के कहने से ही बोलता हूं। जो आप लोग मुझ से कहते रहते हैं कि आप सदन में कह दीजियेगा तो मैं वही कहता हूं। कहिये तो बैठ जाऊं ?

तो उन्होंने अपने यहां किबूत बनायी है। हमारे यहां शिवाजी ने भी रामदास मठ बनाये थे। वहां फौज रहती थी और उनके लिये स्कूल, अस्पताल सभी सुविधायें होती थीं। इसी सिद्धान्त को ले कर इसराइल में किबूत बनाये गये हैं। उसी तरह से हमारे गृह मंत्री श्री नवल किशोर जी भी सीमा पर किबूत या रामदास मठ की तरह से बनावें और ऐसे सर्वोदय कार्यकर्ता हमारे बहुत से मिल सकते हैं, जैसे यहीं पर हमारे बाबूलाल जी मित्तल थे, उनके आश्रम वहां बनवाइये, वह लोग वहां के लोगों का मनोबल ऊंचा करें, उनको गोरिल्ला फाइट के लिये तैयार करें और

[श्री नेकराम शर्मा]

चाइना से हमले के समय सबको तैयार रखें। अगर यह हो जाय तो सुरक्षा का कार्य सरल हो जायगा और नेफा में जिस तरह से हुआ कि जनता चाइनीज को आने से न रोक पाई, अगर इस तरह से आप प्रबन्ध कर लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि चाइनीज के दांत खट्टे हो जायेंगे और वह की फिर हिन्दुस्तान की तरफ न देखेंगे। तकलाकोट में चीनी सेना का बड़ा कंसेन्ट्रेशन था, यह अखबारों में और सभी जगह निकला लेकिन वहां हमारी सड़कें नहीं बन पायीं। सेनाओं का काफी अच्छा इन्तजाम सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है और हमें उम्मीद है कि अब खतरा नहीं है लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी महसूस करके उसको खत्म नहीं करना चाहतेहैं तो फिर आपको कोई न कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आपको तैयारी करनी पड़ेगी और जहां पर कमियां हैं उनको दूर करना ही पड़ेगा। श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि आप उत्तराखंड के लिये एक स्पेशल कमेटी बनाइये। उसमें वित्त मंत्री जी हों, नेगी जी हों, चरणसिंह जी हों और मुख्य मंत्री जी उसको प्रेसाइड करें और वह कमेटी वहां की सुरक्षा के खयाल से, वहां की जनता की आवश्यकताओं के खयाल से वहां के लोगों के मनोबल को बढ़ाने के खयाल से स्पेशली वहां के प्राब्लम्स को स्टडी करे। उनको साल्व करे और गवर्नमेंट आफ इंडिया को सुझाव दे। वहां संकट के नाम से कितना रुपया खर्च किया गया है? श्रीमन्, ४६ ग्रान्ट को जरा निकालें। वह संकट से संबंध रखती है। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि हमारी सरकार फेल हो गई है सुरक्षा के काम में। इमर्जेन्सी जरूर है, लेकिन उसके लिये जो कार्य होने चाहिये वे नहीं हो पाये हैं। यह मेरा आरोप है।

इस इमरजेन्सी के समय में सरकार ने सारे दलों का कोई सहयोग नहीं लिया। कुछ कांग्रेसी माननीय सदस्यों की भी शिकायत है कि जिले से लगाकर ऊपर तक जो भी संकट से संबंधित समितियां बनीं हैं उनमें वे ही लोग रखे गये हैं जो माननीय मुख्य मंत्री जी के परिभाजक हैं। अगर आप सबका कोआपरेशन चाहते हैं तो उसे ईमानदारी से लीजिये। यह नहीं होना चाहिये कि यह आदमी हमारे गुट का नहीं है, इसलिये इसे हम नहीं लेंगे।

दूसरा मेरा आरोप इस सरकार पर यह है कि उत्तराखंड में इस संकट के लिये कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हमें अपने प्रदेश को बचाना है तो इन तीनों जिलों को आप भारत सरकार को दे दें जिससे वहां के व्यक्तियों की रक्षा हो सके।

जो ग्रान्ट्स मूल बजट में आ सकती हैं उन्हें इसमें से काट दें। आप स्वयं देख लें कि पुलिस की ग्रान्ट, एजूकेशन की ग्रान्ट, फारेस्ट की ग्रान्ट, ये सब मूल बजट में आ सकती थीं। आप इमर्जेन्सी के नाम पर हमसे २-३ घंटे में पास कराते हैं तो करा लीजिये, लेकिन जितना रुपया जमा हो रहा है उसका ठीक तरह से बटवारा हो और खर्च किया जाय। यह ठीक है कि बजट बिलकुल अपटूडेट या संतुलित नहीं आ सकता। कुछ मार्जिन जरूर रहता है। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि किसी-किसी विभाग में तो ७० फी सदी तक रुपया खर्च नहीं होता है। मने माननीय वित्त मंत्रीजी से पहले भी कहा था कि हर विभाग में फाइनेंस का एक आदमी रहना चाहिये जो वहां के खर्चे को हमेशा स्क्रूटीनाइज करता रहे। इससे फालतू ग्रान्ट्स नहीं आवेंगीं और बहुत सी दूसरी कठिनाइयां भी दूर हो जावेंगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि जितनी अनावश्यक ग्रान्टस हैं उन्हें जरूर काट दें और भविष्य में भी ऐसी सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स को न आने दें। ये ग्रान्ट्स मूल बजट में आ सकती हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

समय का कुछ निर्धारण कर दिया जाय, ८ मिनट कर दिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

कम से कम १५ मिनट तो एक सदस्य के लिये होना चाहिये।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

कम से कम १० मिनट तो दें।

अनेक सदस्य--
यह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--
लीडर्स को १५ मिनट और बाकी लोगों को १० मिनट ?

अनेक सदस्य--
बिलकुल ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--
तो यही रहा।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुपुरक अनुदान की मांग पर विचार करने के लिये इस सदन के प्रमुख दल के उपनेता, जन संघ के उपनेता, जब खड़े हुये तो मैंने सोचा था कि सम्भवतः अनुपूरक अनुदानों पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया है और उन पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जब उन्होंने जनसंघ का वही पुराना होम्योपैथिक डोज मितव्ययिता का आरम्भ किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर बजट अधिवेशन में वह क्या करेंगे। जब से इस सदन का जीवन शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि जन संघ का वही मेन थीसिस है और सारे प्रदेश को वह यह समझाना चाहता है कि कांग्रेस सरकार फिजूलखर्ची में अपना समय बरबाद कर रही है और उनके पास एक बहुत बड़ी दवाई है मितव्ययिता की। राजा जौनपुर ने संभवतः सिखा दी यह दवा जो हर अवसर पर इस्तेमाल की जाती है। १९६२–६३ का बजट जब बनाया गया था तो शांतिपूर्ण वातावरण के लिये वह था और उसमें हम लोगों के सामने केवल प्रदेश का आर्थिक प्लानिंग का नक्शा था। उसके बाद एक ऐतिहासिक घटना घटी और एक बड़े राष्ट्र ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया जिससे हमारे प्रदेश की ३०० मील सीमा सटी हुई है। स्वाभाविक है कि कुछ नियोजन के कार्य में और कुछ सुरक्षा के कार्य में प्रगति करनी पड़ी और ऐसी स्थिति में नवम्बर में १।। करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग लाई गई और १५ करोड़ की इस समय। तो यह १६, १७ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग इस प्रदेश के लिये जिसमें ७ करोड़ व्यक्ति रहते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतने बड़े बजट में २ करोड़ रुपया तो नागरिक सुरक्षा पर है, जिस पर सदन को कोई विशेष एतराज नहीं होना चाहिये। नियोजन के मामले कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में चलते हैं कि उनमें मितव्ययिता करना संभव नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था कि ३ करोड़ की धनराशि तो सिंचाई में बढ़ गई। मूसाखंड में एक तालाब बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मत था कि कर्मनासा नदी का पानी रोकने के लिये जहां रिजर्वायर बनना है उसके नीचे एक चट्टान होगी लेकिन करोड़ों रुपया खर्च हो गया और वह चट्टान नहीं मिली। अब इतना रुपया खर्च करने के बाद वह प्रयोग छोड़ा तो नहीं जा सकता। वहां एक आर्टीफिशल बेस बनाना पड़ा जिससे ३,३।। करोड़ रुपये का व्यय बढ़ गया और वह अनुपूरक मांग के रूप में आया। इसमें आश्चर्य की क्या बात हो सकती है ? इसी प्रकार विद्युत् में ४ करोड़ के लगभग अनुपरक मांग है। उसमें बताया गया है कि रिहन्द परियोजना तैयार हो गयी है और कानपुर की तरफ कुछ रेलवे का विद्युतीकरण करने के लिये और इस ढंग के उसमें कार्यक्रम नत्थी हैं। तो १५ करोड़ की मांग में २ करोड़ सुरक्षा के लिये, ३ करोड़ मूसाखंड की विशेष परिस्थिति के लिये और ४ करोड़ विद्युत् के लिये है। तो ९–१० करोड़ तो इन्हीं मदों में है और कुछ एक, आध विभागों का जिक्र है। यह सोचा गया था कि उनकी कटौती कर दी जायगी, लेकिन कटौती न करके उनको सुरक्षा के कामों में फंसा दिया गया। राज्य सरकार का शुरू का अनुमान था कि जो कुछ पी०एस० सी० की बैटेलियन्स केन्द्रीय सरकार की मांग पर बाहर गयी हैं वे लौटने पर डिस्बैंड कर दी जायेंगी लेकिन राष्ट्रीय प्रश्न आ गया, ६ बटालियन्स और बढ़ा दिये गये और सवा करोड़ रुपया उस पर और व्यय होगा। तो अगर इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

अनुपूरक अनुदानों को देखा जाय तो ऐसी कोई विस्मय की बात नहीं है कि जिसको पूर्णरूपेण यह कह दिया जाय कि फिजूलखर्ची है इस सरकार की ।

इन शब्दों के साथ में इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह अनुपूरक अनुदान पेश हुआ है यह एक परम्परा सी हो गयी है सरकार की बजेटिंग के बारे में । वैसे भारत सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने भी तमाम प्रदेशीय सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि आप साल में एक ही बार फिनैन्शल स्टेटमेंट पेश करने की कोशिश करें और जो आप समय समय पर अनुपूरक बजट पेश करते हैं इस प्रवृत्ति को कम करने की कोशिश करें । तो मुझे ऐसी आशा थी कि माननीय वित्त मंत्री जी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की जरूर कद्र करेंगे लेकिन मैंने देखा कि अभी नवम्बर में एक सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया था और चार महीने भी नहीं गुजरे कि दूसरा सप्लीमेंटरी आ गया जब कि मेन बजट शीघ्र ही पेश होने वाला था । मैं इस चीज को बहुत ही गलत और अनावश्यक समझता हूं । एक तरफ तो मेन बजट पेश करते वक्त सरकार कहती है कि डेफिसिट है और साल के अन्त में आमदनी हो जाती है । यह बजट का तिकड़म कहा जा सकता है । तो मैं चाहूंगा कि आगे जब सप्लीमेन्टरी बजट को पेश करें तो अपनी रोकड़ को देख कर एक ही बार पेश करें और अगर कभी जरूरत हो जाये तो उस समय जरूर सप्लीमेंटरी बजट ले आयें लेकिन इस तरह से अनुपूरक बजट पेश करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है और विश्व में आज इस तरीके को हर प्रकार से हतोत्साहित किया जा रहा है । यह सप्लीमेन्टरी बजट ऐसे समय में आया है जब कि देश के ऊपर आपत्ति है और अगर मुझे सही याद है माननीय वित्त मंत्री जी का वह भाषण जो उन्होंने नवम्बर में सप्लीमेंटरी बजट पेश करते समय दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपत्कालीन स्थिति को देखते हुये जो हमारा खर्च होगा वह आपत्कालीन स्थिति को मीट आउट करने में सब से ज्यादा होगा । लेकिन इस बजट को देखने से मैं निराश होता हूं । आज हमलावर चीन किस तरह से पहाड़ों को तोड़ कर के सड़कें बना रहा है ? पेकिंग से ल्हासा तक सड़क बन सकती है । सिक्यांग तक रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है । हम उम्मीद करते थे कि हमारी सरकार, जिसके ऊपर हमला हुआ है, वह इन बातों से कुछ सीख लेगी आपत्कालीन स्थिति में और इस ओर ध्यान देगी कि हम सड़कों और संचार साधनों पर कितना खर्च कर रहे हैं । श्रीमन्, जब हम संचार साधनों की स्थिति देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार आपत्कालीन स्थिति से मखौल कर रही है । ५० लाख रुपया केवल सड़कों और संचार साधनों के लिये इस बजट में रखा गया है । १५ करोड़ का बजट है । इसमें इतना छोटा अमाउंट इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार किस तरह से आज आपत्कालीन स्थिति का मुकाबला करना चाहती है । मैं जिस जिले से आता हूं, वह सरहद से लगा हुआ है । बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर खीरी के जिले और वह जिले जो तिब्बत की सीमा से लगे हुये हैं, उनके संचार साधनों को देख कर बड़ी निराशा होती है । किसी भी जिले, जो सरहद से सटे हुये हैं, की सड़कों के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस राज्य का हेड राज्यपाल जब गोरखपुर गये थे तो दो दो बार अपने भाषणों में कह चुके कि जब हमारी भारतमाता की जमीन पर हमला हुआ और उस समय गोरखपुर के विद्यार्थियों के ऊपर गोली चलायी गयी तो उसका प्रचार किस रेडियो से पहले हुआ ? पाकिस्तान और पेकिंग के रेडियो से हुआ । राज्यपाल महोदय के कहने के बावजूद भी हमारे अधिकारी यह भी पता नहीं लगा सके कि वह प्रचार कहां से किया गया । उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि आज हमारे मुल्क में फिफ्थ कालमिस्ट हैं । उनको फाइंड आउट करने का पुनीत कर्तव्य इस सरकार पर है लेकिन आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया, वहां के अधिकारी तक नहीं बदले गये । मैंने तीन चार पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखे । उन्होंने खुद तसलीम किया कि मैंने जितने शब्द लिखे हैं सारे शब्द सही हैं । यह उन्होंने मेरे ही सामने नहीं सारे विरोधी

पार्टियों के नेताओं के सामने कहा। लेकिन अफसोस है कि आज यह सरकार दलगत राजनीति में इस तरह बेबस हो गयी है कि राष्ट्र की कोई परवाह नहीं। अगर राष्ट्र को क्षति पहुंचेगी तो इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले दोनों का नैतिक पतन होगा और उसका नतीजा यह होगा कि जो ब्यूरेक्रेसी अपना सर उठा रही है उसको आप कभी भी खत्म नहीं कर पायेंगे। मैं तो माननीय गोविन्द सहाय जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अख्बार में ब्यूरोक्रेसी को कंडेम करने की नीति को अपनाया। अगर उसके बाद भी इस प्रदेश की सरकार की आंख नहीं खुलती है तो मैं चेतावनी दूंगा कि यह ब्यूरोक्रेसी फासिज्म की ओर देश को ले जाना चाहती है। इससे आपको होशियार रहना चाहिये।

तीसरी चीज मुझे यह कहनी है कि आज जब हम इमर्जेंसी की बात करके जनता का मनोबल ऊंचा करते हैं उस समय हमें देखना चाहिये कि क्या वास्तव में जनता का मनोबल ऊंचा हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई थाने में रिपोर्ट करने जाता है तो सुरक्षा फंड में पैसा मांगते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लाक के स्तर पर ब्लाक का प्रमुख कहता है कि हर यूनिट के पीछे ८ आने पैसे दो। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि कुर्क अमीन और लेखपाल कहते हैं कि सुरक्षा के नाम पर हमको इतना रुपया इकट्ठा करना है। आज यह जनता, जिसने दिल खोल कर सुरक्षा के काम में पैसा दिया है, उसके सामने जब कुर्क अमीन आता है, पुलिस वाला आता है, ब्लाक का प्रमुख आता है और उसके बावजूद भी सरकार २५ फी सदी मालगुजारी और टैक्स बढ़ाने की बात करती है तो गरीब जनता, जिसके लिये सप्लीमेंटरी बजट में कुछ नहीं है, उसको निराशा होती है। आज उत्पादन का नाम लिया जा रहा है कि कारखानों में, खेतों में उत्पादन बढ़ाया जाय, सिविल डिफेंस बनाया जा रहा है और उधर जनता का मनोबल टूट रहा है, जनता को एक पैसे का फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो अगर विरोधी दल के लोग समय रहते हुये चेतावनी के तौर पर सरकार से कुछ कहते हैं तो क्या बेजा करते हैं? सरकार को सोचना चाहिये कि किसी भी मुल्क में जहां कहीं भी लड़ाई हुई है, जिस तरह से हमारे यहां मनोबल ऊंचा उठाने की बात की जा रही है, इस तरह से कहीं नहीं ऊंचा उठाया गया है। वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे कि खेती के बारे में अनुपूरक बजट में कितना पैसा रखा गया है? सारा सप्लीमेंटरी बजट अफसरों की तनख्वाह बढ़ाने, साज-सज्जा, मकानों का निर्माण, मोटर कारों की खरीद तथा अन्य सुख सुविधाओं के अलावा किसी प्रोडक्टिव चैनल में कुछ खर्च नहीं किया गया है। इसलिये मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह का सप्लीमेंटरी बजट इस आपत्ति—कालीन समय में पेश किया जा रहा है; जब राष्ट्र संकट में है, इससे जनता का मनोबल टूटेगा जो देश के लिये बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा न हो कि यहां के लोग फ्रांस की जनक्रांति की तरह तैयार हो जायं, अगर इस तरह से अफसर उस पर जुल्म करते रहेंगे। जनता के लिये कोई योजना नदी नाले की, सिंचाई साधनों की या उसकी सिक्योरिटी की नहीं है। केवल सरकार को पैसा चाहिये। बात आप करते हैं जनता के मनोबल की। यह आप मखौल कर रहे हैं। आपको कोई कंस्ट्रक्टिव कदम उठाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री जी अब भी हमारी बातों की तरफ ध्यान देंगे। इस अनुपूरक बजट में विशेष कटौती की जरूरत है और समय कम होने की वजह से मैं एक एक मद के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन सारे बजट में ५० फी सदी कटौती की जा सकती है। इस तरह के अनुपूरक बजट पेश कर सरकार जनता की जिन्दगी के साथ मखौल न करे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, बजाय इसके कि हम वित्त मंत्री को कोई उलाहना दें, हमको उन्हें धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने सप्लीमेंटरी बजट पेश कर हमको अपनी दिक्कतें और जरूरतों को सरकार के सामने रखने का एक सप्लीमेंटरी मौका दिया है ताकि सरकार का ध्यान उन त्रुटियों की तरफ दिला सकें। वैसे तो जो बात हम आज कह रहे हैं वह मेन बजट के समय भी कह सकते थे, लेकिन यह एक सप्लीमेंटरी मौका मिला है अपनी दिक्कतों को सरकार के सामने कहने का। मैं इस वक्त सिर्फ दो बातों पर ही कुछ कहूंगा और अपने माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि उनका जो भी क्रीटिसिज्म हो उसे बार बार दोहराया न जाय।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

मैं आपका ध्यान उत्तराखंड की ओर दिलाऊंगा। वहां के लिये सेंट्रल गवर्नमेन्ट से काफी मदद मिलती है। मेरे खयाल से करीब २८ करोड़ के देने का सेंट्रल गवर्नमेन्ट का प्रस्ताव है, मगर खेद है कि इसमें से जो कुछ रुपया भी अभी तक खर्च हुआ है वह जरूरत की चीजों पर नहीं हुआ है और उसका सदुपयोग नहीं हुआ है, उसका उपयोग अनावश्यक कामों पर हुआ है। उदाहरण के लिय हमारे चमोली जिले में ३ नये सब डिविजन बना दिये गये हैं। हर नये ३ डिवीजनों में एक एक जगह डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, आदि कितने नये आफिसर रखे गये हैं। वहां पर उनके रहने का प्रबंध नहीं है। डिप्टी कलेक्टर अंदर कमरे में बैठ कर दिन में भी लालटेन जला कर अपना काम करते हैं। और एक बात यह भी है कि डिप्टी कलेक्टर के पास काम भी इतना नहीं है कि जो उनके पूरे दिन के लिये काफी हो। वहां पर इतना काम नहीं है जितना आपने स्टाफ रखा है। जब वहां पर इतना काम नहीं है तो आपने इतने नये सबडिव्रीजन, एक जगह चार, कैसे बनाये ?

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि वहां पर एक हेडक्वार्टर चमोली अंग्रेजों के वक्त से मौजूद है। वहां पर तिब्बत का रास्ता भी आकर मिलता है, कुमायूं का रास्ता भी आकर मिलता है, केदारनाथ-बद्रीनाथ और जोशीमठ नीती आदि को वहां से सड़क जाती है। ५ रास्ते वहां से आते जाते हैं। अब सरकार उसकी जगह गोपेश्वर में नयी कैपिटल बना रही है। उस पर उसका कई करोड़ रुपया खर्च होगा। और वह ऐसी जगह है जो कि बोर्डर सीमा के रास्ते में भी नहीं है। जोशीमठ और बाराहोती के रास्ते में भी नहीं है। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर जब उधर गये थे तो वे चमोली से भी वहां तक नहीं पहुंच सके थे। उसके लिये एक ७ मील की मोटर रोड भी बनाई गयी है और कई लाख की लागत का एक पुल बन रहा है। मैं कहता हूं इसकी क्या जरूरत थी।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी कहा भी गया, जिन बातों म रुपया खर्चा होना चाहिये, उन पर नहीं हो रहा है। सड़कों आदि की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि जाना चाहिये। सड़कें न होने के कारण हमारी पलटनें भी जरूरत पड़ने पर वहां नहीं पहुंच सकतीं। मैं आपको बताऊं फौज के खच्चरों के लिये जो घास वहां जाती है उस घास पर मेरठ से वहां पहुंचाने में ५० रुपये मन खर्चा बैठता है। क्या यही सब उत्तराखंड की उन्नति है ? आप इस ओर विशेष ध्यान दीजिये ताकि उस ओर, आवश्यकता पड़ने पर, हमारी पलटनें शत्रुओं को जाकर रोक सकें। बिजली के बारे में हमारी सरकार यह नारा लगाती है है कि हम घर घर में, झोपड़ी झोपड़ी में बिजली देंगे। इसके लिये भी कुछ रुपया मांगा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह झोपड़ी में क्या बिजली देंगे, जब कि मेरा एक छोटा सा बंगला कोटद्वार में है, उसमें अभी तक बिजली नहीं मिल पायी है। सन १९५९ में मैंने उसमें बिजली की फिटिंग करायी थी। सन् ६० में सिक्योरिटी भी जमा कर दी। किन्तु अभी तक बिजली नहीं मिल सकी है। उसके लिये ३ खम्भे लगने हैं। यहां से लिख कर भी गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बिजली के सब-स्टेशन के लिये मैंने मुफ्त अपने बाड़ा में जमीन दी है। जो इंजीनियर लोग हैं वे चाहते हैं कि मैं जाकर उनकी खुशामद करूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मुझ जैसे व्यक्ति को बिजली नहीं मिल पा रही है तो आप उन झोपड़ियों तक बिजली कैसे दे पायेंगे ? आपने बिजली के नियम ऐसे बना रखे हैं कि पहले म्युनिसिपैलिटी अनुमति दे, फिर एग्रीमेंट हो, फिर इस्टीमेट आदि बने, इसमें इतनी परेशानी होती है और समय लगता है कि बिजली मिल ही नहीं पाती आसानी से। ६-६ बार तो इस्टीमेट बनता है। कारण यह है कि यह जो हमारी सरकार है यह मंत्रियों की नहीं है, पेटी आफिसर्स और क्लार्क्स की है। वे जैसा चाहते हैं वैसा करा लेते हैं। इतना कहकर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया कि हम लोग अपनी आपत्तियों तथा अपनी त्रुटियों की ओर उनका ध्यान दिला सकें।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स सदन के सम्मुख पेश की हैं अगर

इसको ध्यान से पढ़ा न जाय तो थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है। भ्रम इसलिये हुआ कि अभी दो दिन पहले सप्लीमेंटरी पेश हुआ, कल दूसरा बजट पेश हो गया और हमारे भाई नेकराम शर्मा जी ने तो अपना सारा भाषण ही इसी पर केन्द्रित कर दिया कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अगर उन्होंने सरसरी तौर से ही उसको पढ़ लिया होता तो यह कठिनाई नहीं होती।

एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष तक पहुंचने में जब कोई विशेष कठिनाई पड़ जाती है और किसी चीज की विशेष आवश्यकता पड़ती है तभी सरकार इस प्रकार का सप्लीमेंटरी बजट पेश करती है। उस पर सदन में विचार भी होता है। यह कहा गया कि पौने दो करोड़ के करीब का नवम्बर में आया, अब इस वक्त लगभग १७ करोड़ का आ गया। श्रीमन्, सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स की जो यह दो किताबें हैं इनको अगर सरसरी तौर से भी पढ़ने का कष्ट किया जाता तो यह समझ में आ जाता कि जितना भी खर्चा किया गया है वह बहुत ही आवश्यक था और फिर ऐसे समय में, इमरजेंसी में, जब कि कुछ खर्च और भी बढ़ाने पड़े जैसे पी०आर०डी० पर, पी०ए०सी० पर और इस तरह से सुरक्षा पर अनेक खर्चे हुये। एक मोटा सा खर्चा है कि तीन साढ़े साढ़े तीन लाख के कम्बल मिलिटरी को देने पड़े थे। जब इस तरह की आवश्यकता आती है तो सरकार को सदन के सामने मांग लानी पड़ती है। माननीय उपनेता जन संघ ने बहुत लम्बी चौड़ी बात की कि सरकार के सामने सिवाय खरहरा करने के और कुछ काम नहीं रह गया है। वह घोड़े को भी खरहरा करके खरगोश बना देती है। अगर खरहरा करने में इतना बल होता तो जो आपकी रोज ब रोज शक्ति बढ़ती चली जा रही है उस पर भी यह सरकार खरहरा फेर देती तो आपकी शक्ति खरगोश से चूहा बन जाती। सरकार ऐसा नहीं करती है, वह खरहरा नहीं फेरती है बल्कि अपने रास्ते से चलती है। उसके सामने एक प्रोग्राम होता है, उसको पूरा करने की कोशिश करती है। वह जिस जिम्मेदारी के लिय यहां आई है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। सरकार कभी यह पसन्द नहीं करती कि वह ऐसे काम करे जिसे जनता बुरा कहे। बात सही है कि आपकी आलोचना से सरकार को लाभ होता है क्योंकि जो सरकार के कामों में कमी होती है या जो बात सरकार को याद नहीं आती है उसकी आप याद दिला देते हैं। सरकार उसको पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन यह कहना कि सरकार केवल खरहरा फेरती है, अनावश्यक और असामयिक है।

हमारे भाइयों ने और भी बातें कही हैं जिनका जवाब वित्त मंत्री जी देंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सप्लीमेंटरी बजट साफ-साफ आंकड़ों में रखा हुआ है। इसको हमें पढ़ लेना चाहिये क्योंकि पढ़ने से आसानी से समझ में आ जायगा। बीच में जो इमर्जेन्सी आ गई और जो खर्चे किये गये हैं वे हम समझते हैं कि ठीक ही हैं और उनको ज्यादा नहीं कहा जा सकता। हमारे भा यों ने कहा कि २५ प्रतिशत सरकार के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया इसलिये सरकार उसको वसूल करेगी इनडायरेक्ट तरीके से। मैं समझता हूं कि ऐसा लगता है कि लोगों को विशेष जानकारी नहीं है। अब भी लेखपाल की खतौनी को देख लीजिये कि २५ प्रतिशत बढ़ा हुआ टैक्स खाना कैफियत में लिखा हुआ है। अभी उसमें शामिल नहीं किया है जिसमें लगान दर्ज है। इस तरह की बात जानकारी कम होने से कह दी जाती है। बहरहाल, यह बजट बहुत आवश्यक है और जो खर्चे किये गये हैं वे उचित रूप से किये गये हैं। इसलिये इस पर बहुत बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं है।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कई बार खड़ा हुआ था लेकिन मेरे लिये दुर्भाग्य की बात थी कि आपने मुझे समय नहीं दिया। अभी सप्लीमेंटरी बजट जो आया उस पर भाषण दो तरह के चल रहे हैं। पहला दल समर्थन में बोला है और दूसरा दल अपोजीशन ग्रुप का है इसलिये वह हर समय अपोजीशन की बात करता है और मैं दूसरी राय कायम करके बताता हूं। हमारा विरोध केवल डिमांस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये। हमारा विरोध करना कोई प्रोफेशन नहीं है कि हम सरकार की हर बात की आलोचना करेंगे। हम समझते हैं कि यदि देश में ऐसी प्लानिंग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनवारीलाल विप्र]

एक सदस्य—

आप कोई और बीच का रास्ता बताइये ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बीच में आप दखल न दें। तो समाजवाद और समाजवाद के अन्तर्गत जो कुछ भी हमारी प्लानिंग है उसकी बात जब कभी हम करते हैं तो उसके दोनों पहलुओं पर विचार करना हमारे लिये और खासकर मेरे जैसे आदमी के लिये बहुत आवश्यक हो जाता है। पहली बात तो यह देखने की है और वह आवश्यक है कि किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिये और किस तरीके से वह पूरा होगा। दूसरे, यह हमारी समाजवादी रचना किन वर्गों के हित के लिये है, किनके लिये वह ज्यादा लाभदायक होगी। तो इस दृष्टि से कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के सिद्धांतों और उसकी उन समाजवादी विचारधाराओं में अपने आपको ढाल कर चलना हमारे जैसे विचार वालों के लिये अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। अब जो व्यक्ति ऊपर के लेवेल से सोचते हैं, ऊपर ही ऊपर की बात सोचते हैं, कदाचित वह नीचे की बात अपने विचार में लाना भूल जाते हैं। सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है कि प्लानिंग में यह इतना ही आवश्यक नहीं है कि कोई चीज हम दिमाग से सोच लें बल्कि उसके दूसरे पहलू पर भी जाना आवश्यक होता है। हम पहली बात जो जरूरी समझते हैं वह यह है कि प्रशासनिक इकाइयों का चूंकि प्रजातंत्र में उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है हमारी प्लानिंग को पूरा करने में, इसलिये उनको जब तक हम टाइट नहीं कर लेते हैं, जब तक उनको मजबूत नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारी प्लानिंग कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। हमें वह कारण भी देखने होंगे कि क्यों हमारी प्रशासनिक इकाइयां दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं। इसके लिये भी कुछ हम अपने नियोजन, अपनी प्लानिंग में सोचें। मैं एक निवेदन करूं कि इस प्लान में एक चीज आती है सहकारी खेती, मिलकर खेती करना। बड़ी अच्छी बात है। कोआपरेटिव सिस्टम से हमको इंडस्ट्री भी चलानी चाहिये, वह भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इनकी मजबूती के लिये, इनको सही ढंग से चलाने के लिये जो हमारी प्रशासनिक इकाइयां नियुक्त हैं, जब तक वह ईमानदारी से काम नहीं करती हैं, जब तक उनके अन्दर कैरेक्टर इतना मजबूत नहीं होता है तब तक आपकी प्लानिंग कभी पूरी नहीं हो सकती। मैंने देखा, आगरा की तहसील फतेहाबाद में हमारे यहां एक ए०डी०ओ० साहब थे। उन्होंने अपने सर्किल में एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जिसके अन्दर वह ट्रेनिंग देना चाहते थे। उसके लिये उन्होंने २३-३-१९६१ को ९२१ रुपया लिया और लेकर अपनी जेब के अन्दर रख लिया। रजिस्टर में खानापूरी कर दी। फिर २०० रुपये का एक और हिसाब किताब रजिस्टर में चढ़ा हुआ है, वह भी २३-३-६१ के ही खाते में है। इसके अलावा एक और २०० रुपये का चेक जो भू० प्रधान रामवली का अटेस्ट करके उन्होंने सात रुपया अपने ही जेब में रख लिया जो कि वरई के प्रधान को जाना चाहिये था। प्रशासनिक इकाइयां इस तरह से काम करेंगी जिनके ऊपर कि पब्लिक डेमोक्रेसी की कामयाबी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस तरह आपकी प्लानिंग कभी पूरी नहीं होगी। अगर हम ऊपर ही ऊपर कोई चीज सोच लें, और नीचे से प्रशासनिक पेंदा टूटा हुआ है तो आप ऊपर से चाहे जितना इकट्ठा कर लें, वह सब नीचे से निकल जायगा। तो आपकी प्लानिंग से क्या फायदा होगा और आपके सोचने समझने से क्या फायदा होगा ?

दूसरी बात—आप देखें कि पुलिस के प्रशासन में कितनी कमजोरियां हैं। मेरे जिले की फतेहाबाद तहसील में सब जानते हैं कि कितनी कितनी साजिशें होती हैं, दलाली व डकैतियां होती हैं और वह सब काम पुलिस से मिलकर होता है। हमने यह बात सरकार को भी बतायी। आपके छोटे छोटे कर्मचारी व पुलिस कांस्टेबिल सरकार की तमाम बातों को डकैतों व बदमाशों तक पहुंचा देते हैं कि कब छापा मारा जाने वाला है, जिसका नतीजा यह है कि डकैतों के छोटे छोटे गिरोह वहां बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आपके यहां के कुछ गद्दार आदमियों ने चीन को यह इत्तिला दी कि हमारे यहां फूट है और उसके आक्रमण से यह बात मालूम हुई, उसी तरीके से यह भी होता है। इसके लिये आपको कोई न कोई तरीका निकालना चाहिये। हमारे यहां प्रतिक्रियावादी शक्तियां भी आहिस्ता आहिस्ता समाजवाद को खोखला करने की बात सोच रही हैं। लेकिन

हो कि जिससे ८० फी सदी लोगों का फायदा हो तो ऐसी प्लानिंग का हम समर्थन करेंगे और ऐसी योजना का हम समर्थन करेंगे जिस योजना से ८० फीसदी लोगों का फायदा होता है। ऐसी दशा में सरकार का हम सहयोग करेंगे। हमारे प्रदेश की आबादी करीब ७ करोड़ है और उस आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति एक रुपया आता है। यदि इस सप्लीमेंटरी बजट से कोई लाभ होता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई ऐसा सप्लीमेंटरी बजट आता जिसमें एक रुपया प्रति व्यक्ति कुछ भार आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। प्रतिक्रियावादी ऐसी ही बातों को लेकर जनता में समाजवाद की आलोचना करना चाहते हैं। अतः समाजवादी शक्तियों को मिलकर मजबूत होना पड़ेगा ताकि प्रतिक्रियावादी शक्ति जो आहिस्ता आहिस्ता अपना दूसरा रूप ले रही है उनको पनपने न दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि पूंजीपति हमारे समाजवाद की रचना व प्लानिंग के सब से बड़े दुश्मन हैं। दूसरे प्रशासनिक इकाई हैं जो इसकी आधार कही जाती है। ये इकाई जो हमारे एलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, एम०एल०ए०, एम०पी० और कारपोरेशन के कारपोरेटर हैं, और जो हमारे प्रजातंत्र के अंग हैं, उनका आदर नहीं करती हैं। मैं इसका उदाहरण आपके सामने रखूं। एक रिक्शा-चालक था। उसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया। उसके पास दयालबाग का ड्राइवरी का लाइसेंस था लेकिन जब उसको छोड़ने के लिये कहा गया तो उसको छोड़ा नहीं गया। इसके उपरान्त मैंने अधिकारी को टेलीफोन किया तो उसने छोड़ देने को कहा। वह पी०एन० बाजपेयी थे जिन्होंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर से टेलीफोन पर रिक्शा छोड़ने को कहा। लेकिन इंस्पेक्टर ने यह कहा कि कैसा जमाना आ गया कि गदहे का भी आदर करना पड़ता है। यह केवल रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात नहीं है बल्कि कारपोरेशन में प्रायः लोग ऐसा करते हैं कि जन प्रतिनिधियों का आदर नहीं करते हैं। यह जानकर मुझे बड़ा दुख होता है। मैं यह समझता हूं कि हमारे समाजवाद की रचना के ये बड़े भारी दुश्मन हैं। यदि उनका विरोध किया जाता है तो वह इसीलिये किया जाता है कि समाजवाद की रचना में हमारी प्लानिंग सफल हों, हम यह समझते हैं कि सरकार की योजना को क्रियात्मक रूप से चलाने वालों का पेंदा बड़ा कमजोर है और वह और भी कमजोर होता चला जाता है। इसलिये हमको यह सोचना चाहिये कि जो अच्छी चीजें हैं उनसे हमको कोआपरेट करना चाहिये। वैसे विरोध करना हमारा काम नहीं है लेकिन सिद्धांत के ऊपर हम विरोध करते हैं। जो शक्ति हमारे समाजवादी आन्दोलन को फेल करती चली जा रही हैं उनका हमें डट कर विरोध करना पड़ता है; और ऐसी शक्तियों का हम बराबर विरोध करेंगे चाहे वह कोई भी शक्ति हों।

*गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक बजट यहां पर पेश हुआ है उस सम्बन्ध में जो स्पीचेज हुईं उनको मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मुझे इस बात का खेद है कि जिस बात का इलजाम लगाया वह सही नहीं है। विरोधी भाइयों को, अनुपूरक ग्रान्ट्स में नेशनल इमरजेन्सी का अहसास सरकार को है, ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं माननीय पांडेय जी से कहना चाहता हूं कि शायद वह इस बात को भूल जाते हैं कि आज उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान का सारा बजट इसी पर बेस्ड है। नेशनल इमर्जेंसी ही उसका बेस है। चूंकि सप्लीमेंटरी बजट में एक आइटम सिविल डिफेंस का आया और उसमें १.४३ करोड़ मांगा गया डिफरेंट आइटम्स में जो माननीय पांडेय जी उपनेता जनसंघ यह समझ बैठे कि केवल नेशनल इमर्जेन्सी के लिये १.४३ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। यह बात गलत है। आज सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन सरकार का उसी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है और उसका बेस आज नेशनल इमर्जेंसी है। जितना बजट हमारे पास है उसकी पाई पाई आज नेशनल इमरजेन्सी के लिये डाइवर्ट कर दी गई है। यहां पर केवल एक आइटम दिखाया गया है। इसके अलावा और भी आइटम हैं जिन पर सरकार का पैसा खर्च होता है। इसके बाद कहा गया, जिसको जन संघ के उपनेता और पांडेय जी ने भी कहा, कि ६० लाख रुपया सिटीजन कौंसिल के फार्मेशन पर खर्च हो गया। मान्यवर, इनके अन्दर हैड वाइज ब्रेक अप दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

है जो होम गार्ड, एयर रेड प्रिकाशन आदि के लिये दिखाया गया है। मैं नहीं जानता कि आपने इस बजट को पढ़ा है या नहीं। मैंने इसको पढ़ा है और मैं जानता हूं कि इसमें कई आइटम के अन्दर अलग अलग दिया गया है। मुझे इस बात की आपत्ति नहीं है कि आप आलोचना करते हैं। आप आलोचना कीजिये लेकिन इसको आप पढ़िये। यह कहा गया कि १५.२२ लाख रुपये में से सिविल डिफेंस पर केवल १.४३ करोड़ रुपया खर्च किया गया है और उसमें से ६० लाख सिटीजन कौंसिल का निकाल दिया जाय तो करीब ५५ लाख खर्च डिफेंस पर आता है। इसमें है कि नान प्लान्ड आइटम्स के लिये ७ करोड़ ५९ लाख और प्लान्ड आइटम्स के लिये ७ करोड़ ६१ लाख रुपया मांगा गया है और यह बात कई बार कही जा चुकी है कि केवल फौज या उससे सम्बन्धित खर्चे नेशनल इमर्जेंसी में नहीं होते। तमाम प्लान को और प्रोडक्शन को इस तरीके से गाइड करना पड़ेगा कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो वार इफर्ट्स के लिये और जो उस के लिये फायदेमंद साबित हों। तो अगर आप देखें तो सिविल डिफेंस के अलावा भी ऐसा खर्च है जो वार एफर्ट्स के लिये खर्च हुआ है। हमारे माननीय नेकराम जी एक सीनियर मेम्बर हैं, उनको पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का काफी अनुभव है। वह अगर इस बजट को गौर से पढ़ते तो यह बात न कहते कि ग्रान्ट नं० १५ को अगले बजट के लिये टाला जा सकता है। आप अन्दाजा कीजिये कि रेल का किराया अक्तूबर से बढ़ गया। जब किराया बढ़ गया तो टी०ए० की मद में जो खर्च है वह भी बढ़ेगा। अब क्या उसके लिये इंतजार किया जायगा और उसका प्राविजन अगले बजट में किया जायगा? इसके अलावा जीप रिप्लेसमेंट आदि की बात है, चौकीदारों के यूनिफार्म्स की बात है। उनका बिल जिस समय आता है उस समय पेमेंट होता है। यह बात जरूर कही जा सकती है कि फलां आइटम इम्पार्टेन्ट नहीं था या फलां था, लेकिन जो ग्रान्ट नं० १५ की बात उन्होंने कही, उसमें कोई ऐसा आइटम नहीं है जो टाला जा सकता हो। मेरे दोस्त पांडेयजी ने कहा कि न्यूज दूसरे देशों में पहुंच जाया करती हैं और पाकिस्तान आदि से ब्राडकास्ट होती हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो पायेंगे कि ग्रांट न० १५ में ही दो डाइरेक्शन फाइंडिंग यूनिटस बनाने की बात कही गयी है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। इस समय बहुत सी वे बातें कहीं गयी हैं कि जो नहीं कही जानी चाहिये थीं। केवल शोर मचाने से ही काम नहीं चलता। जिस बात की ओर आपने इशारा किया सरकार उसके लिये काफी जागरूक है, लेकिन हर बात को गाने से काम नहीं चलता। मैं समझता हूं कि इससे ही आपको काफी सन्तोष हो जायगा।

इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो जाहिरा इमर्जेन्सी के लिये नहीं हैं, लेकिन उसके लिये उनका उपयोग होगा। ट्रान्सपोर्ट में ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी। जो ड्राइवर्स हम गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को सप्लाई करेंगे वे भी तो वार एफर्ट्स का एक हिस्सा है। इंडस्ट्री में हमने मशीनें खरीदीं, वे भी वार एफर्ट्स का ही भाग हैं। तो यह कह देना कि आपने वायदा किया था ७ या १० करोड़ का, ठीक नहीं है। अगर आप टोटल हिसाब जोड़ेंगे तो जितनी आप आशा करते हैं उससे ज्यादा खर्च आप नेशनल इमर्जेन्सी के लिये पायेंगे।

मान्यवर, मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं अपने दोस्त नेकराम जी का। वह मुझसे बड़ी मुहब्बत करते हैं और उनको इस बात का अख्तियार भी है कि जो स्टेटमेंट मैं दूं उसके जो माने चाहें वह लगा सकते हैं। लेकिन कम से कम इतनी प्रार्थना है कि मेरे शब्दों को तो वह डिस्टार्ट करने की चेष्टा न करें। जिस समय जन संघ की ओर से कहा गया था कि राष्ट्र-विरोधी तत्व हमारे देश में है उस समय मैंने कहा था और मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं किसी एक पार्टी को ऐज ए पार्टी राष्ट्र विरोधी मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जो किसी एक पार्टी में क्या, कई पार्टियों में भी हो सकते हैं। यह बात मैंने कही थी और आज भी मैं उसी स्टेटमेंट पर स्टैन्ड करता हूं। अब इसके माने आप चाहे जो लगा लें।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे मित्र नेकराम जी को शिकायत थी कि बहुत से लोग कमियों को बता देते हैं और इस प्रकार मनोबल को कमजोर कर देते हैं।

में केवल उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने भाषण दिया वह स्वयं समझें कि उनका भाषण अगर छप जाय—और वह छपेगा—तो क्या उससे जनता का मनोबल ऊंचा होगा या नीचे आयेगा। मैं महसूस करता हूं कि एग्जिक्यूशन में बहुत सी खामियां हो सकती हैं, लेकिन नेकराम शर्मा जैसे जिम्मेदार आदमी को जब इस बात का अहसास है कि नेशनल इमरजेंसी है तो इतना खामियों को मैगनिफाइ करके पेश करना वह पसन्द नहीं करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

आपने ही सिखलाया।

श्री नवलकिशोर—

अगर मुझ में कोई खराबी थी तो उसको सीखने के बजाय मेरी अच्छाइयों को सीखते तो ज्यादा अच्छा होता।

माननीय उपनेता जन संघ ने फरमाया किसी दरोगा जी के बारे में कि दरोगा जी के घोड़ों का खरहरा होते होते खरगोश हो गया। लेकिन उन्होंने कहानी आधी सुनाई, आधी भूल गये। वह यह है कि दूसरे थानेदार जब बदल कर पहुंचे तो वह होशियार थे। उन्होंने खरगोश को अस्तबल में बांध दिया और घोड़े को दूसरी जगह रखा। जब चोर आया तो खरगोश ले गया, घोड़ा नहीं गया। तो आप अगर चाहें कि जनता को खरगोश बनाकर चोरी करा दें तो वह नहीं हो सकता। थानेदार होशियार है, वह खरहरे के धोखे में आने वाला नहीं है।

पांडेय जी ने कहा कि पैसे का बड़ा मिसयूज होता है। मुझे खुशी होती अगर वह २-४ एग्जाम्पिल इस बात की देते, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे शांति की ही समय हो, इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकती कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किसी काम में बरबाद हो। तो जनरल स्टेटमेंट से कोई फायदा नहीं होता। अगर कोई स्पेसिफिक इंसटैन्स पेश करते तो हम पांडेय जी की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करते।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैंने लिखकर मुख्य मंत्री जी को भी दिया है।

श्री नवलकिशोर—

एक ही बात कहना चाहता हूं। सप्लीमेन्टरी ग्रांट का पेश होना पार्लियामेन्टरी सिस्टम का एक अंग और सर्वमान्य सिद्धान्त है। कितनी ही होशियारी से बजट बनाया जाय खास तौर से डेवलपिंग इकोनामी में और जबकि इमर्जेंसी भी बजट पेश होने के बाद आयी तो बहुत सी चीजें अनफोरसीन हो जाती हैं और जैसी स्थिति होती है जरूरत के मुताबिक ग्रांट पेश की जाती है। अगर आप गौर से देखें तो बहुत बड़ा परसेंटेज उन्हीं आदमियों पर खर्च किया गया है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमर्जेन्सी से संबंधित हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस मौके पर तमाम कमजोरियों और खामियों को निभाते हुये कोशिश इस बात की हो कि हम इस बात को साबित करें कि इस नैशनल इमर्जेन्सी में जहां तक वार एफर्ट्स का संबंध है, हम सब एक हैं। उपनेता जी ने कह दिया कि बाराहोती पर चीनियों का कब्जा हो गया, इस तरह का स्टेटमेंट आपको कभी नहीं देना चाहिये, बहुतसी चीजें डिस्प्यूटेड हैं। इसलिये मुझे शिकायत है कि विरोधी दल को कतई नैशनल इमर्जेन्सी का अहसास नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा कि पुलिस अत्याचार करती है और लोगों से जबरदस्ती चन्दा वसूल करती है। बात यह है कि पांडेय जी यहां पार्लियामेन्टरी वर्क में इतने बिजी रहते हैं कि उनको अपनी कान्स्टीटुयेन्सी में जाने का समय नहीं मिलता है और न उनको समझाने का समय मिलता है कि वे अपना धन सुरक्षा कोष में दें। अब दिक्कत यह हो गयी है कि पांडेय जी पीछे रह गये हैं और जनता आगे बढ़ गयी है और जनता त्याग भी कर रही है और खुशी से पैसा दे रही है वरना वे ऐसी बात न कहते। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि सरकार की यह डेफिनिट हिदायत है कि चन्दा स्वेच्छा से ही लिया जाय, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये। अगर वे कोई स्पेसिफिक केस मेरे नोटिस में लायेंगे और उसमें अगर वाकई तथ्य होगा तो अवश्य ही उस केस में ऐक्शन लिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि सप्लीमेन्टरी ग्रांट को स्वीकार किया जाय।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सप्लीमेंन्टरी ग्रांट को बहुत गौर से पढ़ा। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जिस प्रकार से पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियर और कर्मचारिगण ठेके का कमीशन लेते हैं उसी तरह से यह सरकार भी वित्त मंत्री के द्वारा कुछ कमीशन लेने का इरादा कर रही है। अभी मूल बजट पेश हुआ है और अभी यह सप्लीमेन्टरी बजट भी पेश कर दिया गया; इसको पेश करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन अगर कुछ आवश्यकता है भी तो उनको अपने इस कमीशन में कुछ कमी अवश्य कर देनी चाहिये और इस सप्लीमेन्टरी बजट को अच्छी तरह से देख कर फिर से कमी करके पेश करने की कृपा करें।

चीन के एग्रेशन के बाद कम्युनिस्टों का इस देश के बारे में जो रवैया रहा है वह सब को पता ही है। डांगे साहब ने लन्दन में बयान दिया कि चीन ने आक्रमण नहीं किया है, इस बयान को देखकर क्या अभी भी किसी को यह विश्वास रह गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी देश भक्त है? जब नेफा पर आक्रमण हुआ और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो पर्चे बटवाये गये क्या उनको देखकर कोई भी यह कह सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्त है? (शोर)

सामने बैठने वाले माननीय सदस्य और यह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यगण, कम्यूनिस्ट पार्टी अपने को चाहे जो कुछ कहें, लेकिन जनता की नजर में ये कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। जरा गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि सप्लीमेन्टरी बजट में अधिकतर वही आइटम्स दिखाये गये हैं जो अधिकारियों की गलती और लापरवाही से अदालतों के आदेश की बिना पर सरकार को उनका रुपया देना पड़ रहा है। इसी एक हफ्ते की बात है कि एक सज्जन हमारे पास आये। मथुरा जिले में माधुरीपुर खंड एक स्थान है वहां पर एक कर्मचारी को एक्सीडेंट हो जाने के कारण सस्पेंड कर दिया गया और उस पर १६६ रुपया जुर्माने का लगाया गया और वसूल कर लिया गया लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं किया गया है। उसको ३ हजार रुपया सरकार से पाना है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अदालत से मय खर्चे और सूद के डिग्री होने से पहले उसके केस में फैसला कर दे। अभी हमारे जिले गोंडा में माननीय शर्मा जी और गवर्नर महोदय भी गये थे। मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि वहां वे सरकारी पैसे से गये लेकिन वहां जाकर के उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग की, तो क्या यह इन्साफ की बात है कि सरकार का पैसा एक पार्टी विशेष के लिये खर्च किया जाय? मैं तो यह सोचता था कि ऐसे ऐसे मिनिस्टर और गवर्नर हमारे जिले में गये हैं तो जा करके देखेंगे, वहां के विधायकों को बुलवायेंगे और उनकी राय लेंगे कि यह बोर्डर जिला है, इसके लिये क्या-क्या काम करना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहां की सड़कें इतनी खराब हैं जिनके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उतरौला, मनकापुर, पचपेड़वा, बलरामपुर, तुलसीपुर, गोंडा, डुमरियागंज वाली सड़कें निहायत खराब हैं। इन सड़कों पर ५०-५० हजार रुपये की सरकार की तमाम बसें चलती हैं जो दो तीन साल के अन्दर ही खराब हो जाती हैं और इस तरह से सरकार का लाखों रुपया फजूलखर्ची में चला जाता है। यह किसका पैसा है, यह सरकार का पैसा है। सरकार कहती है कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि ऐसे संकटकालीन मौके पर सरकार को चाहिये कि इन सड़कों को ठीक कराये। सरकार द्वारा जो अपव्यय होता है उसे देख कर जनता को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि २४ मील का फासला तय करने में जनता को तीन चार घंटे लगते हैं क्योंकि सड़क की हालत बहुत खराब है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बार्डर का जिला होने के नाते गोरखपुर से कुछ सड़कें उतरौला होते हुये मिला दी जायं, लखीमपुर खीरी तक तो उससे एक लिंक बन सकेगा। लेकिन सरकार की तवज्जह जनता की तरफ नहीं जाती है। हमारे शर्मा जी ने कहा कि ऐसे उदाहरण दीजिये जहां मिसयूज हो रहा हो। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि अभी जुलाई महीने में एक फारेस्ट आफिसर ने कुछ पेड़ों की मार्किंग करके कहा कि इनकी नीलामी होगी लेकिन नीलाम होने के दो रोज पहले उन्होंने कहा कि अब नीलामी नहीं होगी। इस मार्किंग में सरकार को कई हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। क्या माननीय मंत्री

महोदय इस बात का पता लगायेंगे कि इसका क्या कारण था और जो यह अपव्यय हुआ है वह किससे वसूल किया जाय ? मैं समझता हूं कि वह ऐसा नहीं कर सकेंगे ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने माननीय नवलकिशोर जी की बातों को सुना और, श्रीमन्, उनको इस पर एतराज है कि इस अनुपूरक मांग में क्या क्या फजूलखर्ची है उसके संबंध में विरोधी पक्ष ने कोई लक्ष्य नहीं किया है । तो मैं माननीय नवलकिशोर जी की खिदमत में अनुपूरक बजट की कुछ मदों को पढ़ कर बतला देना चाहता हूं जो बिल्कुल बेमतलब और फजूलखर्ची की हैं । इन अनुपूरक मांगों पर अगर विहंगम दृष्टि डाली जाय तो यह बात बिल्कुल साफ हो जायगी कि असलियत क्या है । माननीय नवल किशोर जी ने एक तरह से विरोधी पक्ष पर चार्ज किया कि विरोधी पक्ष संकटकालीन परिस्थिति को नहीं समझ रहा है और उसकी कोई भावना उनके दिमाग में नहीं है । यही बात मैं सरकार के लिये दोहराना चाहताहूं कि इस आदरणीय सदन के अन्दर इन अनुपूरक मांगों को देखा जा सकता है और खासकर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इन अनुपूरक मांगों पर एक विहंगम दृष्टि डालने से ऐसा लगता है कि अपने कुछ विशेष संगी साथी आफिसरों की रक्षा के लिये और उनके निहित स्वार्थ वालों की जो संस्थायें चल रही हैं उनको रुपया प्रदान करने के लिये ही ये मांगें उपस्थित की गई हैं । आप देखें कि इन अनुपूरक मांगों में आरम्भ में ही जहां पर राज्यपाल महोदय के लिये २१ हजार रुपया नई गाड़ी खरीदने के लिये रखा गया है । उस तरफ के लोग, माननीय नवलकिशोर जी और यह सरकार यदि आज के संकट के प्रति जागरूक होती तो मैं समझता हूं कि इस तरह से २१ हजार रुपये का प्राविधान नई गाड़ी खरीदने के लिये न किया जाता । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निहायत अदब के साथ कहूंगा कि राज्य का कोई नागरिक जो १२-१४ हजार की गाड़ी रखता है उसकी गाड़ी दस बारह साल निहायत आसानी से चल जाती है और माननीय राज्यपाल महोदय का तो वजन भी बहुत कम है तो किस तरह से उनको ५ साल के बाद नई गाड़ी की जरूरत हो जाती है ? इसीलिये मैं निहायत अदब से कहूंगा कि देश की संकटकालीन परिस्थिति से यह सरकार जागरूक नहीं है और फजूलखर्ची आज भी जारी है ।

शिक्षा के सम्बन्ध में जो मांग पेश की गई हैं उनमें वृन्दावन, गुरुकुल कांगड़ी में संस्कृत पाठशालायें और इलाहाबाद, कानपुर के लिये प्रबन्ध किया गया है और अनुपूरक मांग पेश की गयी हैं । अगर सरकार संकटकालीन परिस्थिति के प्रति जागरूक होती तो उत्तराखंड में जहां कि सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिये थी और जो इलाका कि आज भी चीनी हमले से सुरक्षित नहीं है वहां के लिये कोई विशेष योजना बनाती कि हम दो साल के भीतर वहां के ८० प्रतिशत लोगों को प्रशिक्षित कर देंगे । लेकिन इस प्रकार की न कोई योजना है और न इस प्रकार की मांग है । साथ ही सब से अधिक रुपया इन मांगों के द्वारा पुलिस, होम गार्ड, पी० ए० सी० और उसकी बटालियन के लिये मांगा जा रहा है । यह पुलिस बटालियन क्या काम करेगी, क्या उसकी क्षमता है, उसका मैं एक ही उदाहरण दूंगा और वह यह है कि जिस समय हमारे यहां चीन की फौज हमलावर थी और हमारी चीन के साथ संघर्ष चल रहा था तो माननीय वित्त मंत्री जी के जिले में ३ चीनी पकड़े गये, आज से ३-४ मास पहले की बात है । सकलडीहा थाने में ३ चीनी पकड़े गये, लेकिन उनमें से २ भाग गये और एक ही पकड़ा गया, उस के पुलिस वालों ने मार कर बयान लिये तो उसने बताया कि हम लोग बनारस जिले के जहां-जहां पर पुल हैं उनका नक्शा तैयार कर रहे थे । यह आज तक मालूम नहीं कि फिर वह उसके २ साथी भी पकड़े गये । यह इनकी क्षमता है । यह भी आप जानते हैं कि चीनी दूतावास के आदमी नैनीताल, गढ़वाल और सारा पहाड़ी इलाका पार कर के भागे जा रहे थे, उनका किसी को पता नहीं । जब वह आखिर में बार्डर पर पहुंच गये तब सिपाहियों ने रोका । तो यह आपकी फौज और बटालियन क्या करती हैं ? अभी इस विषय में खुद सरकार का दिमाग साफ नहीं है । मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि नेफा में जिस वक्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

चीनी हमला हुआ वहाँकी आबादी ६ लाख की थी, वहां पर हलचल मच गई और वह लोग उसको सहन न कर सके। कोई योजना उसके मुकाबले की नहीं। मैं आप से कहूंगा कि अगर आप की वहां के लिये कोई सुरक्षा की योजना होती तो सब से पहले आप सारे खर्च रोककर उत्तराखंड की आबादी को सुरक्षा कार्यों में शिक्षित करने की योजना बनाते, होम गार्ड के अलावा खद वहां की जनता में इतना धैर्य और शक्ति आप पैदा करते कि अगर कोई हमला हो तो जनता में खलबली न फैले और वह खुद मुकाबला कर सके। इसके लिये जरूरी है कि सीमांत के जिलों में अनिवार्य भर्ती की जाय और उन को फौजी तालीम दी जाय, उनको प्रशिक्षित किया जाय, परन्तु यह सब न कर के १५ करोड़ की अनुपूरक मांग पेश की गई है। पिछले साल १३ करोड़ के टैक्स आम जनता पर लगाये गये थे, २ करोड़ और मांगते हैं। इसके अलावा इस साल और टैक्स लगाये जायेंगे उन के बारे में जब बजट पर मैं बोलूंगा तो बताऊंगा। मैं मंत्री जी से और सरकार से साफ कहना चाहता हूं कि उस का जो वह रवैया है वह सुरक्षा की ओर नहीं है बल्कि जिस तरह से दस पन्द्रह साल से यह सरकार लचर तरीके से चल रही है उससे न सुरक्षा होगी और न प्रदेश की तरक्की ही हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा सदन से कि वह इन अनुपूरक मांगों को स्वीकार न करे और न इस प्रकार की मांगें स्वीकार करने से इस राज्य का कोई भला हो सकता है।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय की तरफ से जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को समझने का प्रयत्न किया लेकिन एक बात नहीं समझ पाया कि इस प्रदेश और देश की वह पार्टियां, जो कि अभी पिछली बार और रोज यही कहती हैं कि इस प्रदेश और देश में इमरजेंसी नहीं है और जिनके द्वारा बारबार इमरजेंसी का अन्त करने की मांगें इस सदन में और बाहर भी आती रहती हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इमरजेंसी के मातहत इन अनुपूरक मांगों को समझने की चेष्टा कम की है। अगर कुछ एक रकम होम गार्ड्स या इन्टरनल सिक्योरिटी या सिविल डिफेन्स पर खर्च के कुछ आंकड़ें जो रखे गये हैं उनको देखते तो वह इस तरह से नहीं कहते। उन्होंने वास्तविक दृष्टिकोण से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। यह सही है कि चाइना से लड़ने का कार्य इस प्रदेश का नहीं है, यह कार्य केन्द्र का है लेकिन केन्द्र ने भी जिस तरह से देश की सेनाओं के लिये और रचनात्मक कार्यों के लिये कार्य किया है उसे आप आनेवाले वित्तीय वर्ष के बजट में देखेंगे। उन्होंने जितनी मजबूती से राष्ट्र की रक्षा के लिये कदम उठाया है और सबसे अधिक बल उन्होंने सुरक्षा के ही कार्य पर दिया है। कुछ बातें अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिये यह सरकार भी अपने अनुदान में लाई है और आपके समक्ष इसी सदन में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा ६३–६४ के बजट में प्रस्तुत किया गया है। मैंने माननीय उपनेता, जन संघ, और श्री नरसिंह नारायण पांडेय, संयुक्त समाजवादी दल, की तरफ से जो बातें कही गयी हैं उनको समझने का प्रयत्न किया। मेरा विश्वास है कि न तो उनकी पार्टी के लोगों ने और न विरोधी दल के काफी लोगों ने अनुपूरक अनुदानों को समझा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जन संघ और संयुक्त समाजवादी दल का प्लैटफार्म आज प्रदेश और देश में एक बन गया है और ऐसी सुन्दर विचारधाराओं का एक साथ समन्वय हो गया जिसका प्रदर्शन इसी सदन में कई बार हो चुका है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों को लगता है कि बोलने की बीमारी हो गयी है, वे चाहे किसी वक्त, हर वक्त, बोलते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

यह बीमारी तो उसी तरफ है। उसी कोने के ५,६ आदमियों में यह बीमारी है और इस पूरे सदन का जितना समय मुकर्रर है उसका तीन बटा चार इसी बीमारी का भाजन उस कोने से बनता है।

श्री उपाध्यक्ष—

चलिये, आप बोलिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह बीमारी ऐसी क्रानिक है जिसको फैलाने का प्रयत्न उस कोने के माननीय सदस्य करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वह बीमारी इस प्रदेश में नहीं फैलने की और आपकी इस तरफ की कुर्सियों पर बैठने का मौका नहीं मिलने का है और न वह मौका आने का है कि इन बेन्चेज पर ये लोग आ कर बैठ सकें और इस प्रदेश का राज्य इस किस्म के लोग सम्हाल सकें। अगर उनकी यह भावना है कि सरकार के ऊपर हमला कर के, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बदनाम कर के और जनता को गुमराह कर के इस प्रदेश का शासन स्वयं सम्हालें तो यह असंभव है, यह उनका केवल एक स्वप्न है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। केवल इसी स्वप्न के मातहत ये लोग चलते रहेंगे। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह समय जो उन्होंने इंटरप्ट किया नहीं जोड़ा जाना चाहिये। केवल यही मर्ज नहीं है। हमारे कुछ और मित्र हैं इन्डिपेंडेन्ट् जिनको फ्रस्ट्रेशन का बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ रहा है। उनको यह मर्ज है कि अमुक मिनिस्टर ने क्या कहा, क्या किया या ब्यूरोक्रेसी के फलाने इंजीनियर ने क्या किया। यह मर्ज उनको बराबर कंटीन्यू करेगा चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार कितना ही जनप्रिय कार्य क्यों न अन्जाम दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक अनुदान को अगर गहराई से देखा जाय तो विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत ४ करोड़ १६ लाख रुपया, राष्ट्रीय संकट के संबंध में २ करोड़ १६ लाख रुपया, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण कार्यों पर १ करोड़ २८ लाख रुपया, पुलिस पर १ करोड़ २१ लाख रुपया है और बाकी कुछ लाखों और हजारों में दर्जनों आइटम्स ले लिये गये हैं। नेशनल इमर्जेंसी में आवश्यकता किस प्रकार की थी, अभी चार महीने पहले एक सप्लीमेन्टरी अनुदान आया था और यह १५ करोड़ २२ लाख का अनुपूरक अनुदान आया। रक्षा, अन्न तथा उद्योग, इन तीन मदों में यह अनुदान वितरित है। इस अनुदान में ऐसी कोई मद माननीय वित्त मंत्री महोदय ने नहीं पेश की है जो आलोचना का विषय बन जाय। यह मैं मानता हूं कि सारे उत्तर प्रदेश की स्टेट में हो सकता है, कहीं तवज्जह छूट गयी हो, जैसे हरदोई जिले की बात है। वहां अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये कल्यानी प्रोजेक्ट को शामिल कर लेना चाहिये था। उससे ६–७ हजार एकड़ जमीन कृषि के लिये निकल आती। नहीं वह बात माननीय मंत्री महोदय तक पहुंच सकी तो मैं ही पहुंचाये देता हूं, आयन्दा आप खयाल रखें।

रक्षा का जहां तक संबंध है, पीलीभीत, शाहजहांपुर और तीसरा नम्बर हरदोई का है। आखिरी बात मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि जहां तक टैक्सेशन का मामला है कि जनता की कैपेसिटी का अन्दाज करने के बाद माननीय वित्त मंत्री महोदय आगे टैक्सेसन का प्रोग्राम बनायें, लेकिन गरीब जनता को उस टैक्सेशन से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करें और बड़े बड़े मोटे इन्सानों को नये टैक्स प्रपोजल्स में शामिल करें। इस निवेदन के साथ में इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पहली बात मैं इस सप्लीमेन्टरी बजट के संबंध में कह रहा हूं वह यह है कि इस अनुपूरक बजट को आपातकालीन बजट कहा जाता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अभी नवम्बर में पहला अनुपूरक बजट आ चुका है, उसके बाद ही जल्दी जल्दी में दूसरा अनु-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायणसिंह]

पूरक बजट लाना यह हमारे दिमाग के दिवालियापन का द्योतक है । अगर हमारी अक्ल इतनी भी काम नहीं कर सकी कि उसी पहले अनुपूरक बजट में अपनी कमियां पूरी कर लेते तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपका दिमाग इतना सही है कि आप अपने बजट में फिजूलखर्ची को खत्म करने का विचार कर चुके हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा रकम इस अनुपूरक बजट में सिंचाई विभाग के लिये है । सिंचाई विभाग में इस संकट काल में भी, १५ फी सदी की रिश्वत जारी है, सी० आई० डी० बिठा दीजिये, अगर गलत बात हो तो जो चाहे सजा दे दें । चीन के हमले के बाद भी हमारी अन्तर चेतनायें जगीं नहीं, हमारे दिमाग के बन्द किवाड़ खुले नहीं, तो जो हम रक्षा की बात कर रहे हैं वह बेकार है । मैं अपने जिले में देखता हूं कि जितने इंजीनियर हैं खूब खाते हैं । पी० डब्ल्यू डी० और नहर विभाग में ही सी० आई० डी० बिठा दीजिये । ऊपर तक भ्रष्ट अफसर भरे हुये हैं । उन्हीं पर आप खर्च कर रहे हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आप सी० आई० डी० पर और खर्च कर दीजिये । माननीय नवल किशोर जी, आप टाप टाप पर सी० आई० डी० बिठा दीजिये, गैर प्रान्तों से बुलाइये, और ऊपर से शुरू कीजिये अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है और प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना है । मैं भाई नेकराम की तरह नहीं बोलता । उनको आपने घर से निकाल दिया है । आंखों से अगर आंसू बाहर निकल जाता है तो दिल की बातों को कह जाता है । मैं किसान के घर से आया हूं । ऊपर थोपा हुआ नहीं हूं । इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन साथियों से कह देना चाहता हूं जो कहते हैं कि हमें कोई उखाड़ नहीं सकता । मैं कहता हूं कि हमसे आपको खतरा नहीं है, इन लोगों से आगाह रहिये, वह आपके साथियों से मिलकर आपको उखाड़ देंगे और जनतन्त्र को भी समाप्त कर देंगे । उनसे आपको खतरा है । यूरोप में क्या है, मिडिल ईस्ट में क्या है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में क्या है ? आपको उनसे खतरा है । चीन से हमारी लड़ाई डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की है । चाहे सरमायेदारी डिक्टेटरशिप हो या और किसी तरह की डिक्टेटरशिप हो, इन खतरों में हमारे समाजवादी भाई जौन विकसीट की तरह जो विन्ड मिल्स को जीतने के लिये चला था वैसे ही यह दो साथी चलना चाहते हैं । मेरे जैसा आदमी सैंडविच हो रहा है, जैसे फतेहपुर जिला इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पिस रहा है । आप देखें, मेरे यहां जो सुरक्षा के नाम पर कमेटी बनी है उसमें वही अंग्रेजों के जमाने के छटे हुए लोग हैं, डी०एम० हैं जो उसी तरह चन्दा वसूल कर रहे हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में किया करते थे । आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले बाबू वंशपाल उसमें नहीं । हरप्रसाद गुप्ता जो अन्तरिम जिला परिषद के प्रेसीडेंट हैं उनके अलावा कोई आदमी सुरक्षा समिति में नहीं है । श्री जगन्नाथ सिंह हैं जो अंग्रेजों के समय में रंगरूट भरती किया करते थे और उधर से माननीय रक्षपाल सिंह, जनसंघ के चुन लिये गये । पुराने जेल यात्री श्री पन्ना लाल भी उसमें नहीं है नतीजा यह होता है कि वही हथकंडे चंदा वसूल करने के अपनाये जा रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में करते थे । वही समझावन, बुझावन इस्तेमाल हो रहे हैं । मेरे पास अभी एक तार आया है, जो बाराबंकी के एम० एल० ए० के पास आया था, जिसमें लिखा है त्रिवेदीगंज आदि गांवों में तहसीलदार द्वारा मुर्गा बना कर चंदा वसूल किया जा रहा है । कागज में कुछ और है और असल में कुछ और है । अगर जनता को इस तरह से परेशान किया जायगा तो प्रजातंत्र यहां समाप्त हो जायगा, इसलिये उसकी रक्षा के लिये यह बजट होना चाहिये ।

दो करोड़ से ज्यादा आपने सुरक्षा में रखा । लेकिन क्या आपको मालूम है कि जितनी बन्दूकें दी गईं उसमें कितनी रिश्वत चली ? अदालतों में रिश्वत, सब जगह भ्रष्टाचार है । मैंने इसलिये कहा था ४ दिसम्बर से पहले कि बचत करके देश की सुरक्षा का काम करना चाहिये । चंदेबाजी से किसी देश में लड़ाई नहीं जीती जाती, चंदेबाजी बनिये का काम है । बनिया चन्दा नहीं देना चाहता तो उससे आप कैसे ले सकते हैं ? चन्दा बन्द कीजिये ।

भीख मांग कर कोई दुनिया में देश जीता है? जो नहीं देना चाहता उससे जबरदस्ती लीजिये। अब मैं एक कविता सुना दूं, माननीय कमलापति जी के ऊपर मैंने रात ही को लिखी है:—

बजट वक्तृता सुनी तुम्हारी, भाषा से लगती है प्यारी।
ऊपर उज्ज्वल, भीतर काली, भरा कलेवर, आत्मा खाली।
तुम उज्ज्वल, क्यों काली काया? पड़ी किसी की काली छाया?
कमलापति जी, कुछ तो बोलो, हृदय खोलकर मुंह को खोलो।
सच बोलो यह किस की बोली? कर फैलाया, खोली झोली।
कहां कहां से यह धन आया? क्या हिसाब तुमने समझाया।
राष्ट्र-हितैषी कमला पति जी, रामरतन जी लक्ष्मी पति जी।
इनसे तुमने क्या क्या पाया? कैसा पाया जब अजमाया।
ये मुरार जी के हैं प्यारे, गुप्ता जी के दृग के तारे।
संकट में जब हुये सहारे, गुप्त नाव तब लगी किनारे
तुम किसान का गला दबा लो, तुम मजूर को खड़े चबा लो।
किन्तु इन्हें क्या छू सकते हो, पंडित जी, फिर क्यों† हो?

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी मांगों का बार बार आना वास्तव में अच्छा बजट बनाने के लक्षण नहीं है। साल में एक बार सप्लीमेंटरी आनी चाहिये। लेकिन यह दूसरी बार है, इसलिये यह कहने की आवश्यकता पड़ी कि हमारा बजटिंग ठीक नहीं है। इस में कहीं बचत करके दूसरी जगह पर रुपया लगाने के जो तरीके दिये गये हैं वे कोई अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। इसमें सिवाय इसके और कोई चीज नजर नहीं आती कि एक चीज पर खर्च करने के लिये जो पया रखा गया था उसको दूसरी चीज पर खर्च करने की बात सोची। उपमंत्री जी का यह कहना ठीक है कि सुरक्षा के प्रयत्नों में जो साधन हमने अपनाये हैं वे ही उसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि योजनायें भी सम्मिलित हैं। यह कहा गया कि हमने आपत्तिकालीन स्थिति में अधिक व्यय सुरक्षा में किया तो उसी से वह संबंधित नहीं है, बल्कि हमारी योजनायें यदि ठीक से न चलें तो यह हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इसलिये जरूरी है कि हमारी योजनायें भी तेजी से आगे बढ़ें। इसके लिये जो प्रयत्न किये जायेंगे वे भी सुरक्षा प्रयत्नों में शामिल किये जायेंगे। इससे, श्रीमन्, मैं सहमत हूं।

एक बात उन्होंने और कही कि आलोचना करने से जनता का मनोबल घटता है। मैं इस को नहीं मानता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो मांग रखें उसको हम बिला आलोचना के पास कर दें। हम लोग तो आपको आलोचना करके सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि आपने बजट का निर्माण नहीं किया है। आपने तो केवल दस्तखत कर दिये हैं और कर्मचारियों ने इसको बनाया है। इसलिये गलतियां रहना स्वाभाविक है। आप जो उद्देश्य चाहते होंगे वे भी शायद इसमें शामिल न हों। इसलिये आलोचना की आवश्यकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिये कि हम लोग जनता का मनोबल घटाने की चेष्टा करते हैं बल्कि आपकी कमियां को निकालकर आपको अच्छा काम करने की

†श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

हम प्रेरणा देते हैं। इसके विपरीत यदि आपके कामों में गलतियां रहीं तो जनता के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा अगर आप उन गलतियों को सुधारेंगे नहीं।

एक बात यह कही गई कि विरोधी दल सहयोग नहीं देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बार आपने सहयोग करने की चेष्टा की है। श्रीमन्, मैं अपने जिला बरेली का उदाहरण दे सकता हूं। वह इस प्रकार है कि आज तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बरेली ने कोई भी ऐसी मीटिंग या सभा नहीं बुलाई जिसमें सब पार्टीज को आमंत्रित किया हो। पता नहीं किस तरीके से वह सहयोग लेना चाहते हैं। जब कभी उनके दौरे होते हैं तो सार्वजनिक सभा में जहां मंत्री जी पहुंच जायेंगे वहां तो शायद निमंत्रण आ जाय, लेकिन जहां और प्रकार के कार्य हैं जैसे मान लीजिये निधि जमा करने का कार्य है, कोई भी एग्जाम्पिल इस किस्म का बताया जाय जहां सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हम लोगों को कभी लेने का प्रयत्न किया हो, वह कभी साथ नहीं ले जाते। ऐसी स्थिति में यह कहना कि हम सहयोग नहीं करते बिलकुल गलत बात है। हम कहां से सहयोग करें? आप तो सहयोग लेना नहीं चाहते। (व्यवधान) जरा निश्चिंतता के साथ बैठिये, जो बात कही गई है उनका जवाब देने के बाद में आपको वह भी बताऊंगा।

अब इमरजेंसी के समय में किस किस बात के लिये ग्रांट आनी चाहिये, किस किस के लिये नहीं आनी चाहिये, इसके संबंध में कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। आप जरा सबसे अंतिम पृष्ठ पर अनुदान संख्या ५६ देखें, लारेटो कान्वेंट लखनऊ को ऋण। यह वह संस्था है कि जो जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल या इंटरमीडियेट की नहीं है और न प्राइवेट है, न सरकारी। उसके भवन निर्माण के लिये १ लाख रुपया ऋण दिया जा रहा है। क्या इमरजेंसी में इसकी आवश्यकता थी कि ऐसे स्कूलों को जहां ऊंचे ऊंचे लोगों और मिनिस्टरों के, धनपतियों के बच्चे पढ़ते हों उनको बिल्डिंग बनाने के लिये ऋण दिया जाय? और उसमें तारीफ की बात यह है, यह लिखा हुआ है कि इसमें प्रवेश पाने के लिये बड़ी संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं, संस्था की, वर्तमान इमारत के एक भाग को जिसे बेकार घोषित कर दिया है, फिर से बनवाना आवश्यक है और उसका विस्तार करने की व्यवस्था करना भी जरूरी है। और आगे लिखा है कि अतः उन्होंने राज्य सरकार से एक लाख रुपये का ऋण मांगा है जिसका प्रतिदान वे सरकार द्वारा विहित शर्तों के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित किस्तों में चार वर्षों में करने के लिये तैयार हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जितने भी कान्वेंट स्कूल होते हैं उनकी आमदनी इतनी ज्यादा होती है, वह फीस इतनी ज्यादा लेते हैं कि उनको रुपया देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये। मैं समझता हूं कि शायद किसी मिनिस्टर का लड़का ऐडमिट होने से रह गया होगा और उसने सोचा होगा लाओ इसकी भी व्यवस्था कर दी जाय और फिर जो संस्था चार साल में ऋण को वापस करने की बात कर सकती है, वह जरूर अपने रुपये से भवन का निर्माण भी करा सकती है। इसलिये मेरी समझ में इस प्रकार का यह अनुदान नहीं होना चाहिये।

दूसरा देखिये-अनुदान संख्या ५२ पृष्ठ १०१ पर सुल्तानपुर जेल के लिये। इसमें हमारी लापरवाही से कितना रुपया हमारे ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, लापरवाही सरकार की और उसके अधिकारियों की है और उसका भार गरीब जनता पर पड़ रहा है। अगर यह काम पहले हो गया होता तो आज इतना पया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ७८,००० रुपये के अनुमानित व्यय पर जल सम्पूर्ति व्यवस्था के सुधार की एक योजना की स्वीकृति १९६०-६१ की नई मांगों की अनुसूची द्वारा दी गई थी। इस योजना के अन्तर्गत एक नलकूप एक भूम्यूपरि टंकी (overhead tank) और एक पंपिंग संयंत्र लगाने की व्यवस्था थी। १९६०-६१ में इस योजना पर केवल ६०,००० रुपया का व्यय किया जा सका और शेष धनराशि व्यपगत हो गई। अब मुख्यतया श्रमिकों की मजदूरी और सामग्री के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण, अनुमान बढ़कर १,०४,००० रुपया हो गया है। तो अगर यह योजना उस समय पूरी हो गई होती तो इतना रुपया

R.A. 2012
12459

इस समय बिलकुल न देना पड़ता। १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३ और अब १९६३-६४ में जाकर वह योजना पूरी हो पायेगी। यह सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और उनकी इनएफिशियेंसी की द्योतक है।

इसी तरीके से, श्रीमन्, आप आगे देखें अनुदान संख्या ५२, पृ० १०२-उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के लिये १०० ट्रकों का क्रय। जब कभी ट्रकों और जीपों की बात आती है तो बड़ा सतर्क होना पड़ता है क्योंकि ट्रकों और जीपों के मामले में ही गड़बड़घोटाला हुआ करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि सप्लीमेंट्री बजट जो पहले दिया गया था उसमें इसे शामिल क्यों नहीं किया गया। कहते हैं कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में परिवहन की आपातिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये २७,८५० रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से २७,८५,००० रुपये की कुल लागत पर १०० ट्रक क्रय करने का निश्चय किया गया है। तो क्या उस समय इनको यह दिखाई नहीं दिया था जिस समय कि पहली सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश की थी कि हमको इतने ट्रक खरीदने पड़ेंगे?

यह इतनी बड़ी रकम है, यह इतना बड़ा काम है कि उसके साथ ही इसको आना चाहिये था। बराबर इस तरीके से पास कराना और फिर ३१ मार्च तक इसको खर्च करने की स्कीम बना लेना सही नहीं है, उचित नहीं है। ऐसे खर्चे की बड़ी देख रेख होनी चाहिये। यह मेरा इस संबंध में कहना है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान मांग संख्या ५१ पृष्ठ संख्या १०० की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि "सड़कों तथा पुलों की तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का कार्यान्वित किया जाना, ट्रेलरों सहित जीपों तथा ट्रकों का क्रय" इसमें यह निश्चय किया गया है कि ७,३३,४०० रुपये की कुल लागत पर ट्रेलरों सहित ७ विली जीपें तथा १५ ट्रकों को खरीदा जाय। मैं श्रीमन् से यह कहूंगा कि इस प्रकार के खर्चे को ध्यान में रखने की जरूरत है। जीप और ट्रकों का ऐसा मामला है जो अक्सर गड़बड़ी पैदा करता है। इसके अतिरिक्त, इसी अनुदान संख्या ५१ पृष्ठ संख्या ९४ को जरा आप देखें। इसमें यह लिखा है "कि मुरादाबाद नगरपालिका से आठ निवास गृहों का मोल लिया जाना"। यह डिप्टी कलेक्टरों तथा अन्य दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मोल लिये जा रहे हैं। इनके लिये क्या आवश्यकता थी? क्या इस खर्चे को कम नहीं किया जा सकता था? आप क्यों इनको खरीद रहे हैं? इस इमरजेंसी के समय में इस खर्चे को कम किया जा सकता है। मकानों के लिये ऋण देना और वह भी मामूली अफसरों के लिये तो यह कौन सी किफायत की बात है? अगर कोई बहुत बड़े पदधारी होते तो उनके लिये ठीक था। यह खर्चा नहीं किया जाना चाहिये। इससे यह पता चलता है कि किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग इस इमरजेंसी के नाम पर किया जा रहा है। इसी पृष्ठ पर ९२ हजार रुपये की धनराशि मुरादाबाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग संयंत्र लगाने के लिये भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। अब जो नये अनुमान तैयार किये गये हैं उनके आधार पर १,२४,२०० रुपये का खर्च होगा। अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा इसलिये कि उस समय सरकार इसको नहीं कर सकी। इस प्रकार से वन विभाग के अन्तर्गत लैन्ड एक्वीजीशन के लिये २,३८,३०० रुपये मुआविजा दिया है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारे लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में मुआविजे की बात सही नहीं है। अक्सर यह देखा गया है कि जिला लैन्ड अफसर जो मुआविजा देते हैं उससे दुगुना और तिगुना डिस्ट्रिक्ट जज देते हैं। इसीलिये मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है और हमको उसे ठीक करना चाहिये।

इसी तरीके से एक बात अनुदान संख्या ४५ के विषय में कहना चाहता हूं जिसमें खेमे और अभिलेख ले जाने के लिये ५० हजार रुपया दिया गया है। यह केवल खेमा और कागज पत्र ले जाने का व्यय है जो बहुत अधिक मालूम होता है। इसी प्रकार से आई०टी०आई० बहुत से खुले और मैं उनकी तारीफ करता हूं लेकिन बरेली में जो आई०टी०आई० है मैं

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

उसका जिक्र करना चाहता हूं। पीलीभीत और शाहजहांपुर में जो बच्चे तालीम पाते हैं उनके लिये आज तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं हो सकी है। उनके लिये वहां पर कोई होस्टल की भी सुविधा नहीं है। उनके लिये एक मकान किराये पर लिया गया है। शराब की भट्टी उसके बहुत नजदीक है जिससे वहां पर बदबू आया करती है। इस बात की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है सरकार उन पर विचार करेगी।

(श्री विजयपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि जब कल इस सदन में ११ बजे के करीब समाजवादी संयुक्त दल के नेता, श्री उग्रसेन, ने यह ऐलान किया कि समाजवादी संयुक्त दल में दो पार्टी मिल गई हैं और वे एक हो गई तो उसके अनुसार एक विधान बना हुआ है जिसको हम सब लोग मानते हैं। अब वह हमारी एक पार्टी बन गई और इस हाउस में बैठने लग गई। तो उसको एक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिये। मैंने नियम देखे हैं और पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को भी देखा है तो यह साफ जाहिर है।

श्री अधिष्ठाता—

आप डिबेट के संबंध में इस समय बात कह सकते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जब एक पार्टी का विधान बन गया और उसका आर्गनाइजेशन बन गया तो मुख्य विरोधी-दल के रूप में उसको मान्यता मिलनी चाहिये और एक क्षण की भी देर इसमें नहीं करनी चाहिये। समाजवादी संयुक्त दल का नेता अगर विरोधी दल के नेता के रूप में नहीं बैठता है तो यह हाउस का अपमान है, कन्टेम्प्ट है और हम एक दिन भी नहीं बैठ सकते हैं। आप व्यवस्था दें। जब तक संयुक्त समाजवादी दल को मुख्य विरोधी दल के रूप में मान्यता न मिल जाय तब तक हाउस का अपमान है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जाइये। यह प्रश्न इस समय उठाने का नहीं है। जिस विषय पर वाद-विवाद हो रहा है उसके संबंध में कोई वैधानिक बात हो तो आप उठा सकते हैं। किसी और प्रश्न को उठाने का प्रयत्न न करें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह तो कांस्टियूशनल है, नियम पढ़िये, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पढ़िये। विरोधी दल के रूप में हमें मान्यता मिलनी चाहिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अधिष्ठाता महोदय, बगैर आपकी आज्ञा के वह इतनी देर बोले, वह कार्यवाही में से निकाल दिया जाय। यह कंटेम्पट उन्होंने किया है, इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप भी नोटिस दीजिये जो कन्टेम्प्ट की बात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह बात ठीक है कि अधिष्ठाता के बोलते हुए किसी दूसरे माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिए।

श्री प्रेमसिंह—

लेकिन जब वह बोल रहे हैं तो, अधिष्ठाता महोदय, आपका बोलना कहां तक उचित है?

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे सामने सप्लीमेंटरी बजट पेश हो रहा है १५-१६ करोड़ रुपये का। हमारे काफी सदस्य इधर उधर के बोल चुके हैं। एक शब्द बार बार आता है "मनोबल टूटने" का, आज हमारे देश का किसान कमजोर नहीं है। कानपुर में जहां रामरतन, सिंघानिया मौजूद हैं जिनकी आमदनी करोड़ों रुपये साल की हो, वहां यह १५ करोड़ रुपये का बजट कोई मानी नहीं रखता और इससे कोई मनोबल नहीं टूटता। जब अंग्रेज की तोप का सामना करते हुए नहीं टूटा तो हमारे आपके कहने से नहीं टूटेगा। मैं किसान हूं; मैं जानता हूं कि एक बूढ़ा किसान जिसके पास सिर्फ एक भैंस, दो-चार बीघा जमीन हो वह अपने बच्चे को कालिज में पढ़ाता है और बच्चा जो मांगता है वह बूढ़ा बाप उसको देता है, उसका मनोबल नहीं टूटता। हां, उसका मनोबल उस वक्त टूटता है जब वह उसका रिजल्ट देखता है। जब वह देखता है कि उर्दू में १७ नम्बर हैं, हिन्दी में ५ और अंग्रेजी में ४२ हैं। तब वह कहता है कि मैंने तो पेट पर पट्टी बांध कर पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट जीरो। तो जनता पैसा देने के लिये तैयार है, पैसा देने में उसका मनोबल नहीं टूटता। मनोबल इस तरह टूटता है। कल परसों हमारा हाउस बैठा था, २ करोड़ रुपये का सप्लीमेंटरी बजट आया और फिर कल ६३-६४ वाले पर बहस होगी। इस सप्लीमेन्टरी को इधर उधर दोनों में बांट सकते थे। लेकिन पहले २ करोड़ का, फिर १५ करोड़ का और फिर सालाना बजट आ रहा है। इस तरह से हमारा मनोबल टूटता है। सरकार बजट पेश करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम उसमें सरकार के कारनामे देखते हैं तो हमारा मनोबल टूटता है। जिस चीज के लिये सरकार रुपया मांगती है उसमें वह रुपया खर्च नहीं किया जाता है। आज इमर्जेंसी है, रुपये की ज्यादा जरूरत है। सरकार ने कहा कि इमर्जेंसी के लिये हमें डेढ करोड़ रुपया चाहिये लेकिन उसकी जरूरत कहां होगी, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है।

पी० डब्ल्यू० डी० ने सड़कों की मांग की, यह ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनायी जानी चाहिये, लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों का कोई नियोजित प्रोग्राम नहीं है, जहां सड़कों की ज्यादा जरूरत है वहां नहीं बनायी जातीं और अनावश्यक रूप से जहां इंजीनियर लोग बना देते हैं वहां बन जाती हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हमारे यहां कांधले में एक बाई पास बनाया जा रहा है, उसकी उस जगह कतई कोई जरूरत नहीं है। उस पर सरकार लाखों रुपया खर्च करेगी जो बिलकुल बेकार जायगा, लेकिन वह सड़क बनायी जा रही है। ऐसे ही मेरे जिले में कई सड़कें ऐसी हैं जिनकी जरूरत नहीं है और बनायी जा रही हैं। लेकिन हमारे यहां गंगरू कांबल और चमड़े का केन्द्र है और उसके लिये सरकार से बार बार चिल्लाने पर भी ४ मील की सड़क नहीं बनवा पाये हैं जो अत्यन्त आवश्यक है। उसे हमेशा ही नजरअन्दाज किया जाता रहा है।

यह ठीक है कि कृषि विभाग को हमें ऊंचा उठाना है लेकिन उसकी ओर से डायरी बांटी गयी, कलेन्डर बांटे गये, हजारों रुपया बिलकुल बेकार किया गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सी पुस्तिकायें सरकार की तरफ से हमें दी गयीं जिनमें लिखा है कि अच्छे सांड़ों की जरूरत होती है और अच्छा सांड़ वह होता है जिसके सींग मुड़े हों, ढांट बड़ी हो, अंडकोष पुष्ट हों, मूतना खिचा हुआ, पुट्ठे मजबूत हों। बताइये इन बातों को कौन नहीं जानता है? ऐसी बातें हमें छपा कर दी जाती हैं और पैसा बरबाद किया जाता है। ऐसी बातों से जनता का मनोबल टूटता है।

किसानों पर आपने ४ आने टैक्स लगाये, दूसरे टैक्स लगाये, सब किसानों ने दिये, आपने इमर्जेंसी के नाम पर चंदा मांगा वह भी उसने दिया और किसान अब भी पैसा देने के लिये तैयार है, लेकिन उसका मनोबल तब टूटता है जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं और मंत्री भी भाषण देते हैं और कहते हैं कि गरीबों ने खूब चन्दा दिया है, लेकिन पैसे वालों ने नहीं दिया लेकिन उन्हीं अमीरों को हम देखते हैं कि उनसे मंत्री जी के टेलीफोन मिले रहते हैं, सरकार से फायदा उठाता है तो वही अमीर। १५ वर्ष पहले और आज भी गरीबों ने देश की आजादी के लिये कष्ट उठाया और आज भी उठा रहे हैं और इन रईसों ने कोई कष्ट उसके लिये नहीं उठाया, फिर भी हुकूमत की सारी मशीनरी से उनको सपोर्ट मिलती है, गरीब को नहीं। किसान,

[श्री विजयपालसिंह]

मजदूर और छोटे कर्मचारियों से आप रुपया वसूल कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसी स्कीम आपकी नहीं बनी कि उन लोगों के हलक में से भी रुपया निकाल सकें। इन बातों से जनता का मनोबल टूटता है।

माननीय पुलिस मंत्री जी ने मुझसे पहले बोलने वालों से कहा कि इमर्जेंसी के समय ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये थीं,। मैं भी कहता हूं नहीं कहनी चाहिये, लेकिन क्या सब प्रतिबन्ध अपोजीशन के लिये हैं? अगर कोई जिम्मेदार मंत्री भद्दे से भद्दे तरीके पर भी यही बात कहता है तो उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है? आज हम तैयार हैं, हमारी जनता तैयार है, हमारे प्रदेश का हर किसान, मजदूर देश के लिये सब कुछ देने को तैयार है। आप बजट पास करने के लिये कहते हैं तो पास कीजिये, लेकिन उसके पैसे का इस्तेमाल ठीक से किया जाय। संकटकालीन स्थिति है, इससे कौन इन्कार करता है? लेकिन वह संकट या तो हमें गांवों में किसान, मजदूरों में देखने को मिलता है, या अर्दली की एक महीने की तनख्वाह कट रही है, उसमें देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी जगह लखनऊ में किसी मिनिस्टर या कलेक्टर के यहां संकट देखने को नहीं मिलता है। संकटकालीन स्थिति की जानकारी किसानों मजदूरों को अच्छी तरह से है कि हमारे देश पर प्रदेश पर पूरा संकट है लेकिन फिर भी दूसरी तरफ वे तन मन धन से आपकी मदद करने के लिये तैयार हैं। मैं कम्युनिस्ट हूं और हो सकता है कि कम्युनिस्ट भी आप की कमजोर नीति का फायदा उठा कर कोई गलत बात करें और उनकी तरफ से कोई संकट पैदा हो, तो मैं इस राय का हूं कि उनको आप बिला शुबहा गिरफ्तार करें और बिला शुबहा उनको सजा दें, लेकिन सहारनपुर के राजेन्द्र कुमार की बात ही ले लें। वहां कम्युनिस्टों में आपस में कंट्रोवर्सी थी। सब से पहली बार उसने कह दिया कि पंडित नेहरू के हाथ हमको मजबूत करने चाहिये। जोशी जी तो हमारे नेता हैं, उन्होंने भी नेहरू के हाथ मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन इसके लिये उनको अपार्चुनिस्ट कहा गया और राजेन्द्रकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया संकटकालीन स्थिति के नाम पर। इसका असली कारण यह है कि वहां की कांग्रेस पार्टी में दो गुट हैं जिसमें एक गुट उसे पसन्द नहीं करता था। तो मैं कहता हूं कि इस तरह से लोगों को संकटकालीन स्थिति के नाम पर गिरफ्तार कर लेना ठीक नहीं है, इससे मनोबल टूटता है। प्रदेश में और भी बहुत सी दूसरी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक आप की तरफ से इस बात का अहसास किया गया है कि हमारे यहां संकटकालीन स्थिति है भी। आप की जो भी पालिसी होनी चाहिये, चाहे वह कोआपरेटिव फार्मिंग की हो या और कोई दूसरी चीज की हो, उसमें आप को फेथ होना चाहिये और डट कर उस पर काम करना चाहिये। अगर आप को फेथ उस पर नहीं होगा तो उस ढुलमुल नीति से कोई काम नहीं होने का और उससे प्रतिक्रियावाद को बल मिलता है। आज तो मैं आपकी इस ढुलमुल नीति को साफ देख रहा हूं कि इमर्जेंसी के नाम पर राइफल ट्रेनिंग देने की बात तो बहुत कही जाती है लेकिन जब लोग रक्षा दल में ट्रेनिंग लेने के लिये पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास राइफल्स ही नहीं हैं, हम ट्रेनिंग कैसे दें। इसलिये मैं कहता हूं कि आपकी नीति ढुलमुल नीति न हो कर, उसमें आपका विश्वास होना चाहिये। यदि आप विश्वास के साथ चलेंगे तो प्रदेश की जनता का भी मनोबल नहीं टूटेगा। प्रदेश की जनता आप के साथ है। आज भी प्रदेश की जनता यह समझती है कि कांग्रेस के सिवा और कोई ऐसी जमात नहीं है जो हमारे देश व प्रदेश के शासन को चलावे। आप की इस ढुलमुल नीति को देखते हुए भी प्रदेश की जनता चन्दा देने दिलाने में, तन मन धन से आप के साथ है। मेरा आप से यह रिक्वेस्ट है कि उनको ज्यादा धक्का न दीजिये बल्कि उनको अपने सीने से लगाइये और जो कुछ बात कहें उनको सुन कर—इमर्जेंसी के नाम पर अपनी पुलिस को खुली छूट न दीजिये कि वह जनता के साथ जो भी व्यवहार करना चाहे करती रहे। आज भी पुलिस उसी तरह से रिश्वत लेती है, उस पर संकटकालीन स्थिति का कोई असर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री बच्चनसिंह (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, आज जो सदन के अन्दर १५ करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज इस सदन में मैं पहली मर्तबा बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आज तक जितनी बातें मैंने सुनीं मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे वह भाई जो यहां अपोजीशन करते हैं और साथ ही साथ यह दोषारोपण करते हैं कि यह सारी जिम्मेदारी और यह सारा दोष कांग्रेस सरकार का है। मैं तो उनसे यह कहूंगा कि प्रजातंत्र में सख्त अपोजीशन होना आवश्यक है, लेकिन यहां जितनी भी बातें कही जाती हैं वह यह सोचकर कही जाती हैं कि चाहे गलत ही बात क्यों न कही जाय, नाम तो हो जायगा कि ऐसी बात कही। वह चाहते हैं कि बस लिख जाय कि फलां आदमी ने सदन में ऐसा भाषण किया। मुझे एक बात से और ताज्जुब होता है कि यहां हम देखते हैं कि जब कभी डिवीजन का प्रश्न आता है तो उधर चाहे दस आदमी ही क्यों न बैठे हों, यह कह दिया जाता है कि । नहीं की संख्या ज्यादा है' लेकिन उसके बाद फौरन जब गणना होती है तो डेढ़ दो सौ इधर और ४०-४५ उधर निकलते हैं। बिलकुल झूठ बात कह दी जाती है, इससे मैं तो यही समझता हूं कि केवल नाम लिखाने के लिये ऐसी बातें कही जाती हैं, चाहे सही हों या ग़लत, उन्हें कहने से मतलब।

हमारे भाई यह भी कहते हैं कि अब संकटकालीन स्थिति कुछ नहीं है, इसे समाप्त करना चाहिये। हमने यह भी सुना है कि वह कहते हैं कि हमने तो पहले ही से कहा था और हम चिल्लाते थे कि संकट आने वाला है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब हमारे देश पर संकट आया और हम मानते हैं कि वह इस वक्त टल गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह फिर नहीं आ सकता और जब हम उस संकट का मुकाबला करने के लिये तैयारी कर रहे हैं तो वह कहते हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिये। वह समझते हैं कि इस वक्त जो चाहे करो, लेकिन कोई बात आये तो कह दिया जायगा कि यह जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है, वही पावर में है। मैं उन सब से साफ साफ कह देना चाहता हूं कि आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने देश को इतना मजबूत बना दें कि अगर देश पर समय पड़े और कोई संकट आये तो हम उसका मुकाबला कर सकें। हमारे भाई हर चीज में सारा दोष हमारे ऊपर ही लगाते हैं। आज हमारे मंत्रिगण इतनी सोच समझ कर चीजें रखते हैं कि हमें उन पर विश्वास करना पड़ता है और हम उनकी बात को विश्वास के साथ मानते हैं लेकिन विरोधी दल का केवल एक काम है कि भाषण करो 'बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा।' जो चाहे खड़े हो कर बकें, ठीक या ग़लत।

अभी हमारे एक भाई उधर जन संघ से खड़े हो गये जिनकी कि कांस्टीटुएंसी मेरे क्षेत्र से मिलती है। उन्होंने कह डाला कि हमारे यहां माननीय नवल किशोर जी दौरा करने गये और सरकारी भत्ते पर जाकर उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग की, परन्तु वह भाई साहब यह नहीं कहे कि उन्होंने बलरामपुर, तुलसीपुर, रघरवा और पचपेड़वा, वगैरा में जो पब्लिक मीटिंग कर के जनता का मनोबल बढ़ाया जहां कि हजारों आदमी आये थे। वहां के लोग परेशान थे, मंत्री महोदय ने उन लोगों को आश्वासन भी दिया कि यह सरहद का इलाका है, हम यहां के लिये इस बात की कोशिश करेंगे कि यहां के गांवों में बसने वाली जनता को बन्दूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाय। यह बात हमारे भाई साहब ने नहीं कही और कह दिया कि मंत्री जी सरकारी खर्च पर जाते हैं और कांग्रेस की मीटिंग करते हैं। तारीफ यह है कि जब कोई मिनिस्टर वहां जाता है तो कोई न कोई जुलूस निकाल कर सामने आ जाते हैं। हुकुमसिंह जी जब बलरामपुर गये थे तो एक बड़ा भारी जुलूस निकालकर पहुंचे। न तो उनकी बात सुनी, न कहीं उनकी मीटिंगों में गये। जुलूस में पहुंच कर बोले कि साहब सुभद्रा जोशी ने दिल्ली में यह कह दिया। हमारे मंत्री महोदय ने उनसे यही कहा कि आप परेशान न हों, जहां पर यह बात कही गयी है वहां पर हमारे सब से ऊंचे चोटी के नेता बैठे थे। तो इस तरह से तो बातें उधर से होती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बब्बनसिंह]

श्रीमन्, जितनी बातें इस बजट में आयी हैं उनका मैं सहर्ष समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है।

श्री उग्रसेन—

बहराइच जिला होगा?

माल मंत्री, (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

नहीं, देवरिया है।

श्री बब्बनसिंह—

मेरा जिला गोंडा है। बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा उधर के सभी जिले पिछड़े हुये हैं, लेकिन हमारा जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां पर राप्ती नदी बहती है। तो वहां एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि उसके उस पार का धान इस पार नहीं आ सकता और न इस पार का उस पार जा सकता है। इससे वहां का किसान परेशान है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वहां पर सरकारी दूकान खुलना चाहिये। वहां की २ मुख्य फसलें हैं, एक गन्ना और दूसरा धान। गन्ने की फसल तो इस साल अच्छी हुई नहीं, किसान धान बेंच कर अपना लगान दे रहा है, लेकिन पाबन्दी लग जाने से धान को किसान बलरामपुर नहीं ला पाता और गांव में रुक-कर ही उसे बेंचना पड़ता है। वहां बड़े बड़े महाजनों के एजेंट तीन-चार पंसेरी के भाव से धान खरीदते हैं। अभी हाल ही में धान राप्ती के किनारे का जो बलरामपुर शहर से ३ मील की दूरी पर ही था लाया गया। वह पकड़ा गया और चालान हुआ। साथ ही साथ हमारे सड़कों की वहां पर दुर्दशा है उसको माननीय नवल किशोर जी ने स्वयं देखा है। एक सड़क ऐसी है जो बलरामपुर–तुलसीपुर–गैंसड़ा–पचपेंडवा बढ़ती जाती है लेकिन उसके आगे यह सड़क इस काबिल नहीं है कि जहां पर कोई आदमी जा सके। कोई आदमी रेलवे लाइन पर से ही हो कर बरसात के महीने में जा सकता है। जहां बस्ती के लिये इसमें कुछ है, बहराइच के लिये कुछ, हमारे जिले गोंडा के लिये इसमें निल के बराबर है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां बार्डर होने की वजह से लोगों को बन्दूकें अधिक तादाद में दी जायं, वहां की सड़कें दुरुस्त की जायं ताकि वक्त पड़ने पर उनका इस्तेमाल आसानी से हो सके।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह दूसरा अनुपूरक बजट जो प्रस्तुत किया गया है इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि सरकार के सामने कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं होती है, इससे सरकार की अकर्मण्यता, अकुशलता और अदूरदर्शिता का पता चलता है। नवम्बर में पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया और जब अब डेढ़ मास इस वर्ष को शेष रह गया है तब यह पेश किया गया। और साथ ही अगले वर्ष १९६३–६४ के लिये बजट भी पेश हो चुका है जब कि नवम्बर में लगभग १ करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था, दूसरा अनुपूरक बजट १७ करोड़ का पेश किया गया है। कहा जाता है कि ऐसा आपत्कालीन स्थिति के कारण करना पड़ा। लेकिन यदि इसमें प्रत्येक अनुदान को देखा जाय तो उससे यह बात जाहिर नहीं होती। अनुदान संख्या ९ में अधिक खर्चा सदस्यों के भत्तों और राज्यपाल के अधिक दौरों के कारण बताया गया है। यह खर्चा कम किया जा सकता था। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी विधान सभा के वाद-विवाद का स्तर ऊंचा होना चाहिये और ऐसे सुझाव आने चाहिये जिनसे सरकार को लाभ पहुंचे। सरकार को भी उन सुझावों पर अमल करने के लिये तैयार रहना चाहिये। विधान सभा का अधिकांश समय ऐसी बातों में जाता है जिनके यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये विरोधी दल और सरकार दोनों का उत्तरदायित्व है। विरोधी दल के लोग कितनी ही अच्छी बातें कहें, सरकार उन पर अमल नहीं करती। वह समझती है कि जो उसके कर्म-चारियों ने लिख कर दे दिया वह ठीक है और विरोधी लोग केवल विरोध के लिये कहते हैं। ऐसी हालत में विरोधी लोगों के सामने कोई मार्ग नहीं रह जाता सिवाय इसके कि उन चीजों को यहां करें जो उनके लिये वांछित नहीं हैं। अगर सरकार विरोधी दल के लोगों की बातों पर उचित ध्यान दे तो हमारा बहुत सा समय बच सकता है।

अनुदान संख्या १०, सामान्य प्रशासन, के अन्तर्गत भूतपूर्व भूमि व्यवस्था आयुक्त के कार्यालय के लिये स्वीकृत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ने के कारण खर्चा बढ़ा है। क्या संकट के समय वेतन बढ़ाना ठीक है ? अनुदान संख्या ११, जिला प्रशासन, में नायब तहसीलदार कलेक्शन के संवर्ग का नियमित नायब तहसीलदार के संवर्ग में विलीन करने के कारण खर्चा बढ़ा। अनुदान संख्या १३, न्याय प्रशासन, में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वैयक्तिक सहायकों तथा आशुलेखकों के वर्तमान वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण के कारण व्यय बढ़ा। अनुदान संख्या १५, पुलिस, में ८ लाख रुपये केवल बढ़े हुए भत्ते का व्यय बढ़ा। अनुदान संख्या २८, सूचना, में रंग मंचों, प्लैटफार्मों और मेक-अप पर व्यय बढ़ा है। जब आप तनख्वाह बढ़ाते हैं तो संकट की बात कहां रह जाती है ? इमर्जेंसी है तो सबके लिये है। जिनकी पहले ही बड़ी तनख्वाह हैं तो उनकी बढ़ाने का क्या औचित्य है ? चपरासी को २२ से २७ रुपये तक मिलते हैं। क्या समाजवादी समाज का यही लक्ष्य है कि छोटे को न दे कर बड़ों को ही दिया जाय ? अगर चपरासी की तनख्वाह बढ़ती तो कोई एतराज नहीं था। ये सब बातें ध्यान देने की हैं। आप भी ध्यान दें और हम भी ध्यान दें।

मनोबल के ऊपर बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जो मनोबल के ऊपर बहुत ज्यादा कहते हैं वे शायद यह भी नहीं जानते हैं कि मनोबल टूटता कैसे है और कैसे बढ़ता है। कुछ शब्द हमें याद हैं, समाजवादी समाज की रचना, मनोबल, जनतंत्र, इनकी रोज यहां दुहाई दी जाती है। महज नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आवश्यकता अमल करने की है। हमें ऐसा समाज बनाना है जिसमें ग़रीब की आय बढ़े और अमीर की कम हो, और दोनों समान स्तर पर आ जावें, जिसमें किसी वर्ग का शोषण न हो, जिसमें समानता आवे। लेकिन उसके पीछे व्यक्ति के स्वातंत्र्य का हनन हो और सरकारी मशीन का व्यक्ति एक मात्र पुर्जा बन जाय, उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाय, यह ठीक नहीं है। हम जिन बातों का नारा लगाते हैं वास्तव में हमें देखना चाहिये कि हम उनके लिये कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। मैंने पिछले वर्ष का बजट भी देखा था जिसमें फूड के डाइरेक्टर को १,३०० रुपया अन्तिम ग्रेड में मिलता था। उसे अधिक किया गया। सप्लाई अफसरों का वेतन बढ़ा दिया गया। शायद प्रस्तुत बजट में भी किन्हीं ऊंचे अफसरों का वेतन बढ़ाया गया होगा। मुझे ऐसा लगा कि बजट विभाग के लोग जिनमें दिलचस्पी रखते हैं वे उनके वेतन बढ़ा देते हैं और हमारी सरकार सदन में आ कर उन्हीं की पैरवी करती है। वे ग़लत हैं तो भी उनको प्लीड करती है और कोशिश करती है कि सरकार की ग़लती सामने न आ जावे। मैं मनोबल के बारे में चर्चा कर रहा था। मनोबल टूटता है सरकार की ग़लत नीतियों के फलस्वरूप। भाषणों से उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। विधान सभा में जो बातें कही जाती हैं, वे सरकार के मार्ग-दर्शन के लिए होती हैं प्रोपेगेण्डा के लिये नहीं। प्रोपेगेण्डा तो बाहर जन सभाओं द्वारा काफी किया जा सकता है। अखबार वालों के बारे में सब जानते हैं कि अखबार वाले जिसे समझते हैं कि उनके पक्ष का है उसकी बात छाप देते हैं, दूसरे की नहीं छापते। आज हम देखते हैं कि प्रेस में भी निष्पक्षता नहीं रह गयी है। जनता भी आज यह जानती है कि जिस पार्टी का पेपर है उसकी बात कहता है और उसे रंग दे कर कहता है। ऐसी दशा में विधान सभा में जो जो कुछ कहा जाता है प्रोपेगण्डे के लिए नहीं, बल्कि सरकार को सुझाव देने के लिए।

अब मैं कुछ और ऐसे खर्चे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। लेकिन अगर सरकार उनके सदुपयोग पर ध्यान नहीं देती है तो कोई लाभ नहीं होगा। सहकारी समितियों के गोदाम भवन निर्माण किये जा रहे हैं। अगर उनमें ऐसा बीज बंटा जैसा कि हमारा अनुभव है कि सस्ता गल्ला लेकर बीजगोदामों में भर दिया जाता है और उसे बांट दिया जाता है, तो कोई लाभ नहीं होगा। मैंने अपने जिले के नियोजन अधिकारी के सामने एक बार धान का बीज रखा लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं था कि अच्छा बीज कैसा होता है। उन्होंने कहा कि नगीना रिसर्च सेंटर का बीज है, वह खराब हो ही नहीं सकता। बाटा का जूता कहीं खराब हो सकता है।

[श्री बसन्तसिंह]

ऐसे अज्ञानी अधिकारियों के हाथों में प्रबन्ध रहने से यह रुपया बेकार ही होगा। जब मैं बसों में जाता हूं और पूछता हूं कि यह बस ठीक होकर कब आई। मालूम होता है कि एक महीने पहले, लेकिन वह रास्ते में ही बिगड़ जाती है। यह हालत है; कानपुर में जो कर्मशाला का विभाग बढ़ाया जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय दुग्धशाला अलीगढ़ के लिये कुछ रुपया दिया जा रहा है। मैंने एक होटल में मक्खन मांगा जिसे खाकर मेरी तबियत खराब हो गई। मैंने मुख्य मंत्री को भी उसकी जांच कराने के लिये लिखा है। अगर ये डेयरियां इसी प्रकार का मक्खन पैदा करेंगी तो यह रुपया जो इन्हें दिया जा रहा है बेकार ही रहेगा।

इसलिए मैं अनुपूरक अनुदानों का विरोध करता हूं।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कुछ भाइयों ने कहा कि यह सप्लीमेंटरी बजट इस बीच में क्यों आ गया। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के संविधान के अन्दर हमेशा यह बात रही है, कोई नयी चीज नहीं हुई है। इसके अलावा जो आज संकटकालीन स्थिति पैदा हो गयी, जिसके कारण आप सब लोगों ने एकमत से यह संकल्प किया था कि हम राष्ट्रीय संकट को मिल कर दूर करने की चेष्टा करेंगे, मैं उम्मीद करता था कि इस अनुपूरक मांग का सभी पार्टियां एक होकर समर्थन करेंगी ताकि दुनिया के लोग यह जान सकें कि हिन्दुस्तान की सभी पार्टियां एक होकर उस स्थिति का सामना करने के लिये तैयार हैं जो कि चीन ने हमारे लिये पैदा की है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भी इस किस्म का विवाद हो जिससे दुनियां के लोग यह समझें कि हममें आपस में फूट है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णपालसिंह—

मुझे उत्तर देने का समय नहीं दिया जायगा ?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें आप का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसका उत्तर आप देंगे।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, मैंने ऐसा सोचा था कि अनुपूरक अनुदान के लिये जो प्रार्थना मैंने सदन से की थी उस पर विशेष रूप से विवाद नहीं होगा क्योंकि कल तो रविवार है और परसों से ही बजट के ऊपर व्यापक रूप से विचार करने का अवसर सदन को प्राप्त होगा। पर मैं कृतज्ञ हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने इस अनुपूरक अनुदान के विषय में भी कुछ अपने विचार व्यक्त किये और मुझे सुझाव भी मिले। इस सारे विवाद को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो १९१ करोड़ का बजट गत वर्ष हमने स्वीकार किया था उसके अलावा यह १५-१६ करोड़ रुपये का और जो २ करोड़ प्रथम अनुपूरक अनुदान में मांगा गया था, यानी इस तरह से १७ करोड़ रुपया हमको उस १९१ करोड़ के अलावा देना पड़ रहा है। एक भ्रान्ति यह है। दूसरी भ्रान्ति कुछ ऐसी भी लगती है कि समझा यह जाता है कि जैसे अनुपूरक अनुदान मांगना कोई विशेष आकस्मिक घटना हो जो केवल इस वास्ते सरकार की ओर से पेश की गयी कि इमरजेन्सी आ गयी। कदाचित् कुछ सदस्य ऐसा सोचते हैं कि अगर इमरजेंसी न रही होती तो यह अनुपूरक अनुदान न आता। किसी एक सदस्य की समझ में यह आया कि बैड बजटिंग है अनुपूरक अनुदान मांगना और जितना खर्चा इसमें रखा गया है वह ऐसा है जो कि इमरजेन्सी के नाम पर फिजूलखर्जी के लिये इसमें डाल दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी बातें कुछ भ्रान्ति से भरी हुई हैं। अनुपूरक अनुदान एक साधारण घटना है और साधारण तरीका है। किसी ने कहा कि एक नयी परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान) क्षमा करेंगे, किसी ने कहा। कोई नयी परम्परा नहीं है। बड़ी प्राचीन परम्परा है। आप

इतिहास उठा कर देखें। बराबर केन्द्रीय पार्लियामेंट में, सारे प्रदेशों में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वत्र सप्लीमेंटरी बजट आते रहते हैं। आपके कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि सप्लीमेंटरी डिमांड पेश की जा सकती है और इसकी आवश्यकता हो जाती है और साधारणतया यहां आया करती है—एक बार, दो बार और इससे भी अधिक आ सकती हैं। मैं यह मानता हूं कि जहां तक हो सके अनुपूरक अनुदान की सप्लीमेंटरी डिमांड न की जाय। सिद्धान्ततः जब हम बजट बनाने बैठते हैं तो उस समय हमें पूरी कल्पना होनी चाहिए कि अगले साल में क्या-क्या खर्च होने वाला है और उसका प्रबन्ध करना चाहिए। ऐसी कोई आकस्मिक बात घट जाय, सहसा हो जाय या बिलकुल कल्पनातीत बात हो गयी तो उसके लिए अनुपूरक अनुदान सदन से मांगा जाय। साधारणतया यही करना चाहिए। कोई बहुत अच्छा नहीं मालूम पड़ता है अनुपूरक अनुदान पेश करते हुए। परन्तु सिद्धान्त के साथ व्यवहार की बात कुछ भिन्न हो जाती है, जिस शासन की पद्धति है खास कर वेलफेयर स्टेट चलाने की, अक्सर जनता की कई आवश्यकताएं आ जाती हैं, कल्पना करके थोड़ा बहुत रुपया रख लिया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गयी। प्रति वर्ष कुछ न कुछ होता है। और एक प्लान आप चला रहे हैं। प्लान के सिलसिले में नयी-नयी योजनाएं भारत सरकार से ऐसी आ जाती हैं जो बाद में उन्होंने भेज दिया और रुपया देने को तैयार हुए और हमसे कहा कि तुम अपने यहां से भी निकाल कर खर्चा करो। हम को ले लेना पड़ता है। नियम यह है कि कोई भी न्यू आइटम आफ एक्स-पेंडीचर तब तक खर्च नहीं हो सकता जब तक कि इस सदन की उस पर स्वीकृति न मिले और नया आइटम चाहे अपने बजट से ही खर्च कर रहे हों, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप से अधिक विशेष पैसा मांगें, कहीं भी किसी ग्रांट में कोई बचत हुई है और उसके द्वारा उसी ग्रांट के अन्दर किसी भी दूसरे ग्रांट में एक भी पैसा खर्च करना है तो नहीं कर सकते बिना आपकी स्वीकृति के लिए। एलेक्शन करने के लिए भी माननीय सदस्यों से स्वीकृति लेनी पड़ती है। एक भी पैसा अगर खर्च करना हो, जो नयी चीज हो जाय, ग्रांट के भीतर हो जाय, तो उसके लिए भी आपकी स्वीकृति मांगना आवश्यक है। १५ करोड़ आप नहीं दे रहे हैं। कल जिस बजट को हमने उपस्थित किया उसमें कि जो बजट में हमने उपस्थित किया था उसमें १९१ करोड़ का अन्दाज था, उसके बजाय १९३ के करीब खर्च होगा। इसके मानी यह है कि विशेष खर्च केवल २ करोड़ का हुआ। १५ करोड़ यह और दो करोड़ पहले का, १५ करोड़ अनुपूरक पेश कर चुके। अब, कैसे होता है? बहुत सी जो सेविंग होगी, तो कितनी ही प्रतीक मांगें हैं, १०० रुपये की।

एक ग्रांट में अगर बचत हुई है और उसको दूसरी जगह लगाना है तो आपकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस तरह से सप्लीमेंटरी बजट बनता है।

कुछ नये खर्चे भी आ जाते हैं, जैसे इमरजेंसी है। जिस समय पहला अनुपूरक अनुदान पेश किया था उस समय इमरजेंसी पैदा हुई ही थी, उस समय मैंने कहा था कि शायद जो अनुपूरक अनुदान आप से मांगा है उसकी एक-एक पाई देखूंगा कि कहीं कोई बेकार खर्चा न होने पावे। माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि आप ने आश्वासन दिया था कि देखूंगा तो क्या देखा। मैं बताऊंगा कितना हमने काटा है। उस समय इमरजेंसी आ गई थी, कुछ खर्चा हुआ उसकी स्वीकृति आप से लेनी थी वह इसमें शामिल है। अब आप कहें इमरजेंसी नहीं दिखाई देती, तो मैं कैसे कहूं। इसमें जो मुख्य रूप से अलग से खर्च मांगा गया है जिसको कहिये आकस्मिक निधि से रुपया लेना, जो हमारा ४ करोड़ के करीब कंटिन्जेंसी फंड है, उसमें से ३ करोड़ ४७ लाख रुपया इमरजेंसी के लिये लिया था, उसकी स्वीकृति आप से लेनी है और आप जब स्वीकार करेंगे तो उसको कंटिन्जेंसी फंड में डाल देंगे। अगर आप इसके सारे आइटम्स को देखें तो इमरजेंसी पर कितना खर्चा हुआ है, जैसा नवलकिशोर जी ने कहा, खाली एक जगह आपने २१६ लाख देख लिया अनुदान संख्या ४६—क में, और हमारे

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने कहा कि सिटीजन कमेटी में ७ लाख रुपया खर्च कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत से आइटम्स हैं। मेरी तो शिकायत यह है कि बिना पढ़े लिखे बात हो जाती है।.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैंने सिटीजन्स कमेटी का नाम भी नहीं लिया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरे ध्यान में आप अधिक रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि हेड में देखिये २१६ लाख है इस बजट में जो करीब १५ करोड़ २२ लाख के करीब है ७ करोड़ ६२ लाख रुपया प्लान ऐक्सपेंडिचर का है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिला कर, और यह सब ऐडजेस्ट हो रहा है प्लान के एलोकेशन में, और जो रिवाइज्ड ऐस्टीमेंट आया है उसमें यह सब मौजूद है। एक पैसा आपको अलग से नहीं देना है खाली रीएलोकेशन होना है। एक तरफ़ कम खर्च हुआ है उसको दूसरी तरफ लगा रहे हैं, उसके लिये आपकी स्वीकृति ले रहे हैं, कहीं अलग से पैसा नहीं देना है। बाकी ७ करोड़ ६० लाख जो है वह रेवेन्यू ऐक्सपेंडिचर है। उसमें क्या खर्च है, देखें। २२ लाख का रिजर्व स्टाक हमने रख लिया है। क्या यह इमरजेंसी से ताल्लुक नहीं रखता है? डाक्टरी का बहुत सा सामान खरीद कर रखा है। क्यों रखा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। १२८ लाख रु० का पेमेन्ट है इंटरेस्ट का और एरियर्स का रिहन्द डैम प्रोजेक्ट का जो केन्द्रीय सरकार को देना है। क्यों आज कर रहे हैं? इसलिये कि पहले केन्द्रीय सरकार ने अपने इंटरेस्ट के रेट को तय नहीं किया था। उनका सारा रुपया रिहन्द डैम पर लगा हुआ है यानी उनका हमारे ऊपर कर्जा है। उन्होंने इंटरेस्ट तय नहीं किया था कि किस रूप में लेंगे। अब उन्होंने तय किया है और वह १२८ लाख रुपया है। हमने यह रुपया दिया है। आपसे इसकी स्वीकृति लेना है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट पर वर्कशाप में १६ लाख रुपये का सवाल है। हमारे एक भाई कह रहे थे कि १०० ट्रक क्यों ले रहे हैं, इसकी मांग कहां से आई है, किस काम के लिये मांग हुई? यदि आप कहें तो मैं निवेदन कर दूं? वैसे आप समझ गये होंगे। इंडिया गवर्नमेंट परमिट दे रही है। हमें नहीं खरीदना है बल्कि उनकी एजेन्सी ही खरीद कर देगी और हम से रुपया ले लेगी, हमें कुछ ड्राइवर्स को ट्रेन करना है। अगले साल ५ हजार ड्राइवर्स को ट्रेन करना है। आप कहें कि इमर्जेन्सी पर खर्चा नहीं है। यह कैसे हो सकता है? अब आप आगे देखिये कि एक करोड़ २२ लाख रुपया पुलिस पर है। किसी साहब ने कहा कि आप की पुलिस बेकार है। मेरा खयाल यह है कि शायद नरसिंह नारायण जी पांडेय कह रहे थे। कहीं तीन जासूस पकड़े गये थे। अब हो सकता है कि कहीं पुलिस का निकम्मापन हुआ हो इसको मान कर जितना फोर्स है क्या सब को बरखास्त कर दें? हम और आप सभी निकम्मे हैं। क्या करें? असेम्बली बरखास्त कर दें? अगर कोई निकम्मा है तो उसका निकम्मापन दूर किया जाय न कि उसको बरखास्त कर दिया जाय।

इसके अलावा कुछ भाई कहते हैं कि जनता का मनोबल घटता है। जहां आपने उनको १५ हजार १६ हजार फिट की ऊंचाई पर राइफिल देकर खड़ा कर दिया है और वे मर रहे हैं। वे आगे की पंक्ति में हैं। यह कहना कि बेकार पुलिस बढ़ा रहे हैं, इससे क्या फायदा है, ठीक नहीं है। कुछ समझ, बूझकर तो आरगू किया करें। (व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि हमारा मनोबल कम होता है। लेकिन यह हमारी गलती से टूटता है। जनता पैसा देती है। अगर काम ठीक नहीं कर पाते हैं तो उसके मन पर असर होना लाजमी है। जो काम नहीं होता है वह तो खराब है ही, लेकिन जो काम होता है उसको भी खराब कहा जाय और यह कहा जाय कि ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं हो रहा है, तुम बेकार पैसा देते हो, ऐसी बातों से जनता का मनोबल पहले ही टूट जायगा। गलतियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं। हमारे भाई नेकराम शर्मा जी बड़े जोर से बोल रहे थे। मैं समझता हूं कि वे जवान आदमी हैं, खून में गर्मी है और तेजी से बोलते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अपने हित में न हों तो उनको न कहना मुनासिब है। हमारे इंजीनियर ने क्या किया, कैसे किया और क्या हुआ, सब को मालूम है। इसके

कहने से क्या फायदा ? अखबारों में छपे और दुश्मन को मालूम हो, यह हमारा काम नहीं है। वैसे आप को अधिकार है कहने का। (व्यवधान) इस बात को देखने की जरूरत है कि किसी बात के कहने में हित होता है या हानि होती है। मैं आप से निवेदन करूं कि कभी खत्म भी होगी यह कहानी ? मैंने तीन बार सुन लिया है इस कहानी को आपके मुंह से। मैं निवेदन कर रहा था, श्रीमन्, कि आप देखें कि यह जो ७ करोड़ रुपया है—१ करोड़ २२ लाख, १ करोड़ २९ लाख, २ करोड़ १७ लाख, १ करोड़ २८ लाख और २२ लाख, यह सब इमर्जेंसी पर है। जो इमर्जेंसी की लिस्ट हमारे पास है उसे आप देखें—

१—ग्रान्ट आफ फ्रीशिप टु चिल्ड्रेन आफ डिफेंस परसोनेल-किल्ड और डिसएबिल्ड इन ऐक्शन—३०,००० रु०।

२—इन्क्रीज इन बार्शिग एलावेंस टु एन० सी० सी० कैडेट्स—२४,५०० रु०।

३—ऐडीशनल रेंजिग आफ प्रदेशीय शिक्षा दल—२ लाख ५० हजार रु०।

४—ऐडीशनल रेंजिग फार एन० सी० सी०—११ लाख ५० हजार रु०।

५—नान रेकरिंग ग्रान्ट टु भारत स्काउट्स ऐंड गाइड्स—१,००,००० रु०।

६—प्रोडक्शन आफ पोल्ट्री ऐंड एग्स फार सप्लाई टु डिफेंस सर्विसेज—१,२५,१००।

७—इस्टैब्लिशमेंट आफ इंटेसिव पोल्ट्री ब्लाक्स—४ हजार रु०।

८—स्पेशल स्कीम्स फार कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स—२८,४८,३०० रु०।

९—मैन्यूफैक्चर आफ ऐंकिल बूट्स इन दि गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट, कानपुर—१,९२,७०० रु०।

१०—मैन्यूफैक्चर आफ ऐंकिल बूट्स ऐट पाइलट प्रोजेक्ट्स—१,२८,०० रु०।

११—पर्चेज आफ मशीनरी ऐंड एक्विपमेंट फार गवर्नमेंट फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री—२८,६०० रु०।

१२—मैन्यूफैक्चर आफ बैरक ब्लैंकेट—५१,०७,००० रु०।

१३—इंट्रोडक्शन आफ ऐक्सीलरेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम—१३,९८,३०० रु०।

१४—रिपेयर्स आफ रोड्स—१३,००,००० रु०।

१५—क्रिएशन आफ टू न्यू सेक्शंस इन दि रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप—४१,५०० रु०।

१६—परचेज आफ रा मैटीरिअल टु मीट दि रिक्वायरमेंट आफ आरमी ऐंड पुलिस डिपार्टमेंट फार ब्लैंकेट्स ऐंड टेंट्स—३०,५०० रु०।

अब आप देखिये, यह करीब सवा करोड़ रुपये के आता है। और इसके अलावा वह मैंने आपको और बताया। इसके बाद भी आप कहिये कि इमर्जेंसी इसमें आपको नहीं दिखाई देती तो मैं क्या करूं ? (व्यवधान) हमारे पास कोई चश्मा नहीं है कि आपको लगा दें जिससे आपको इमर्जेंसी दिखाई देने लगे। कहीं गलती हो सकती है, कहीं भूल हो सकती है। लेकिन सारी चेष्टा तो हम इमर्जेंसी को मीट करने के लिये करें और आपको इमर्जेंसी दिखाई न दे। इमर्जेंसी दिखाई उनको नहीं दे सकती जो यहां मांग कर रहे थे कि प्रस्ताव पास कर दिया जाय कि इमर्जेंसी वापस ली जाय। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इमर्जेंसी खत्म की जाय, इसका आग्रह किसकी ओर से आया था, नरसिंह नारायण जी ? (व्यवधान) सही है, जिनकी ओर से कि यह प्रस्ताव आ रहा था कि इमर्जेंसी रही नहीं, खत्म की जाय, उनको तो इमर्जेंसी दिखाई दे रही है और हम जो प्रयत्नशील हैं, उसके लिये चेष्टा कर रहे हैं हमको इमर्जेंसी नहीं दिखाई देती, तो अब हम इन बातों का क्या उत्तर दें ? माननीय

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

दीपनारायण जी शायद कहीं चले गये। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर बसन्त तो हमेशा ही छाया रहता है, आज होली चढ़ बैठी है और बड़ा आनन्द दिया उन्होंने सारे सदन को इस सूखी बहस में क्योंकि रुपये पैसे के मामले की बहस बहुत सूखी होती है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय मंत्री जी, १६ हजार के अंग्रेजी टाइपराइटर जो खरीदे जा रहे हैं इनसे भी सुरक्षा होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, टाइपराइटर्स को भी जरूरत सुरक्षा के लिये होती है। (व्यवधान) अब हर तरह के लोग इस सदन में हैं, कोई एक ही टाइप के थोड़े ही हैं। अब श्रीमान् जीने जो अर्रर, कबीर शुरू किया आज.... (हंसी)।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

होली का असर हो गया है मंत्री जी पर...।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इसमें यदि सारे बजट को आप देखेंगे और जो पुराने अनुपूरक बजट में अनुदान थे उनको भी देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी पैसा ऐसा नहीं है कि जो अनावश्यक लिया गया हो। जहां मालूम हुआ कि काम रुक जायगा और काम जरूरी है तो उसको ही लिया है। उसको नहीं रोका गया है। डिफेन्स के मुताल्लिक ही वह सब काम लिया है। आप अनुपूरक को देखेंगे तो मालूम होगा कि कितना हमने काटा है। हमने करीब ११, १२ लाख रुपया काटा है। मैं आपको लिस्ट से पढ़कर बताऊं कि पहाड़ों पर डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत अफसर के लिये जीप का प्रावीजन था, उसको काटा है। वह १८,५०० रुपये का प्रावीजन था। मोबाइल वैटरिनेरी डिस्पेन्सरी के लिये जो स्टाफ का प्राविजन था, उसके लिये ८२ हजार रुपया काटा है। जंगली और स्ट्रे-कैटिल के कंट्रोल के लिये कुछ धन की आवश्यकता थी, वह हमने १,५५,९०० रुपये की धनराशि काटी है। मथुरा के वैटरिनेरी कालेज में कुछ बिल्डिंग बननी थी, उसका २० हजार रुपया हमने काटा है। एक स्टडी लोन था कोआपरेटिव का, वह हमने १,२६,००० रुपये का काटा है। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, सासनी, अलीगढ़ की ग्रान्ट का १० हजार रुपया काटा है। आल इंडिया संस्कृत साहित्य सम्मेलन का १० हजार रुपया काटा है। आल इंडिया एजुकेशनल कान्फ्रेन्स के १० हजार रुपये में से ५ हजार हमने काटा है। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून को जो देना था वह हमने १५ हजार रुपया काट दिया है। डी० आइ० ओज० के आफिसेज में टेलीफोन लगाना था, उनके २५,६०० रुपये को हमने काटा है। राज भवन के अन्दर लिफ्ट लगाना था, तो उसका ३५ हजार रुपया काटा गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के आफिस के लिये कुछ सामान खरीदा जाना था, उसका ४ हजार रुपया काटा गया है। राज भवन के अन्दर कुछ एडीशनल भवन बनना था, उसका ७२ हजार रुपया काटा गया है। इलाहाबाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये कुछ भवन बनना था, उसका ४० हजार रुपया काटा गया है। विधान भवन में कुछ भवन बनना था, उसका १ लाख रुपया काटा गया है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में एक्जिबिशन के लिये कुछ रुपया देना था, उसका १० हजार रुपया काटा गया है। और भी बहुत से आइटम हैं जो काटे गये हैं। मैं कहां तक बतलाऊं ? नई देहली में नुमायश के लिये ५ हजार रुपया काटा गया है। खंडसारी शुगर प्लान्ट के लिये जो रुपया देना था, उसका १,६७,१०० रुपया काटा गया है। इस तरह से ११, १२ लाख रुपया काटा गया है जिसे काटने से ज्यादा हर्ज नहीं होगा। इस वर्ष जितना आपने दिया है उसमें से ४ करोड़ के करीब लिया गया है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बजट के आने के पहले इसलिये पेश कर दिया इसको कि जितना रिएलोकेशन हो रहा है वह सब उसमें आ जाय। आपकी स्वीकृति हो जायगी, उसमें चले जायेंगे। इमरजेंसी पर ४ करोड़ का खर्चा है वह कंटिंजेंसी में चला यगा जा। इस तरह से सारे अनुपूरक बजट को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा २ करोड़ ज्यादा

खर्च होंगे। लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारी सेविंग्स कितनी हैं। वह ३१ मार्च तक मालूम होंगी, इसके बाद जो डेफिसिट इस साल के बजट में है संभव है वह कम होगा। ऐसी अवस्था में मेरी सदन से प्रार्थना है कि इसमें कोई बड़े घबराने की बात नहीं है, असाधारण बात नहीं है, आकस्मिक बात नहीं है, इमरजेंसी पूरी वर्त्तमान है और सारे अनुपूरक बजट की आत्मा इमरजेंसी है। तो कृपा करके सदन इसे स्वीकार करे और आगे की कार्यवाही हो।

१९६२-६३ के द्वितीय पूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १--बृहत् जोतकर

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल की सिपारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १-बृहत् जोत-कर के अन्तर्गत १७,३०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १-बृहत् जोत-कर के अन्तर्गत १७,३०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २--भू-राजस्व (मालगुजारी)

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)--

मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २-भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत १०,४४,५०० रुपये की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २-भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत १०,४४,५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६--अन्य कर और शुल्क

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

मैं राज्यपाल (गवर्नर) की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९--राज्य विधान मण्डल

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)--

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९-राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ४,३२,६०० रुपये की रक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ४,३२,६०० रुपये की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ६,८८,७०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ६,८८,७०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल)

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल) के अन्तर्गत ३,०५,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल) के अन्तर्गत ३,०५,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—पुलिस

श्री नवलकिशोर—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत १,२१,७६,६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत १,२१,७६,६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या—१६ खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय की सिपारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८—शिक्षा

श्री नवलकिशोर—

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत १,५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह पूरक बजट है और संकटकालीन स्थिति का है । ऐसे महत्वपूर्ण समय पर न तो बड़े शिक्षा मंत्री हैं, न उनसे छोटे हैं और न सबसे छोटे हैं । क्या गृह मंत्री जी को शिक्षा दे दी गयी है ?

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री लोगों में कटौती हो गयी है, श्रीमन् ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत १,५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १९—चिकित्सा

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०—जन स्वास्थ्य

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत २१,६२,७०० रुपयों की पूरक मांग १९६२—६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत २१,६२,७०० रुपयों की पूरक मांग १९६२—६३ के लिये स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ७०० रुपयों की पूरक मांग १९६२—६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ७०० रुपये की पूरक मांग १९६२—६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन

श्री धर्मसिंह—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग १९६२—६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग १९६२—६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३—पशु पालन

श्री धर्मसिंह—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन के अन्तर्गत ६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२—६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन के अन्तर्गत ६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२—६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४——सहकारिता

श्री चन्द्रसिंह रावत——

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल (गवर्नर) महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४——सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४——सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५——उद्योग

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा——

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५——उद्योग के अन्तर्गत १,२०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५——उद्योग के अन्तर्गत १२०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६——नियोजन और एकीकरण

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा——

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६——नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत ३०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६–नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत ३०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७——श्रम और सेवा योजन

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ)——

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७——श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ४०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७——श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ४०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८——सूचना निदेशालय

श्री नवलकिशोर——

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८——सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के अन्तर्गत स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी जातियां

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत १२,००,००० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत १२,००,००० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,२८,७१,४०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,२८,७१,४०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५—विद्युत् योजनाएं—अधिष्ठान

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—विद्युत योजनायें-अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—विद्युत योजनायें—अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत १३,००,००० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिय स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत १३,००,००० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान, के अन्तर्गत १,३८,३०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान, के अन्तर्गत १,३८,३०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०—परिवहन

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—परिवहन के अन्तर्गत १५,८८,३०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—परिवहन के अन्तर्गत १५,८८,३०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२—अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें)

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत ७०,१०,९०० रुपये की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत ७०,१०,९०० रुपये की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५—वन

वन मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५—वन के अन्तर्गत ४१,८३,६०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—वन के अन्तर्गत ४१,८३,६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—क—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—क—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत २,१६,६९,४०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—क—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत २,१६,६९,४०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,००,००,२०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्य पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,००,०००,२०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,१६,९६,००० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,१६,९६,००० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,८०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,८०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री मुजफ्फर हसन—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क-परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४०० रुपये की पूरक मांग, १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न लिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--११२,

विपक्ष में--४३ ।)

अनुदान संख्या ५५--राज्य व्यापार की योजनाएं

श्री बलदेव सिंह आर्य--

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५--राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत ३०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५--राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत ३०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५६--व्याज वाल ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा--

मैं श्रीमन्, राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५६--व्याज वाले ऋण और अग्रिम, के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग, १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५६--व्याज वाले ऋण और अग्रिम, के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय। श्रीमान् जी, अभी अभी यह माननीय सदन विभिन्न मांगों की स्वीकृति अलग-अलग दे चुका है। मेरी प्रार्थना है और मुझे आशा है कि इस विनियोग विधेयक को भी वह स्वीकृति प्रदान करेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करते हुये दो एक बातें माननीय मंत्री जी और इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी लच्छेदार वाराणसी की भाषा में, शुद्ध राष्ट्रीय भाषा में, संस्कृत वाली हिन्दी में जो भाषण किया वह तो हमको बोधगम्य हो गया। वह तो हम समझ गये कि माननीय मंत्री जी अपनी परम्परा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने इस लंगड़े बजट की वकालत की उससे मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ तथ्य है नहीं और माननीय मंत्री जी की भाषण मुद्रा से भी मुझे कल से ज्यादा आज ऐसा प्रतीत हुआ कि वह भी इस बात को समझते हैं कि संकटकालीन स्थिति का नाम जो है वह एक पारायणवादी नाम हो गया है। सही माने में संकटकालीन स्थिति कोई है नहीं। मैं उसका एक नुस्खा रखना चाहता हूं सदन के सामने। इंगलैण्ड और अमेरिका में जब लड़ाई चल रही थी उस समय वहां जो मितव्ययिता बरती गई, उसको मंत्री जी स्वयं जानते हैं। मैं इतना ही कहूंगा श्रीमन्, कि मंत्री जी ने जो कटौतियां की हैं, वह तो दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है। यह कटौतियां दिखाने के लिये हैं जो २-४ लाख की हो गईं। मुख्य मंत्री जी बराबर यह कहा करते हैं कि एक मंत्री पर ९०० रुपये खर्च होता है। अगर सही माने में संकटकालीन स्थिति यह सरकार महसूस करती तो सरकार यह बराबर जो इतने बड़े मंत्रिमंडल पर और बड़े अफसरों पर इतना खर्च कर रही है उस खर्चे में निहायत कमी करती। एक हमारे विचित्र नारायण जी शर्मा हैं, जब हमको मालूम हुआ कि वे अलग हो रहे हैं तो हमने उनको बधाई दी। हमसे मैनेजरसिंह जी ने कहा कि तुम्हारी बधाई बेकार चली गई और वह आज भी पूरक मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मैं ऐसा थोड़े ही हूं। जब सब लोग डटे हैं तो मैं भी डटा हूं। विचित्र नारायण जी शर्मा तो गांधीवादी व्यक्ति हैं और उनके मार्ग पर चल रहे हैं। तो यह कहां की मितव्ययिता है? मितव्ययिता के लिये कोई कमेटी बनी थी उस में हम तो नहीं थे मगर मालूम हुआ है कि उसमें वित्त मंत्री और नियोजन मंत्री मौजूद थे और बड़े-बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। वहां यह बात हुई कि कौन आइटम काटा जाय और कौन न काटा जाय, तो पहले एक आइटम कट गया क्राफ्ट म्युजियम का लेकिन बाद को दूसरे सेक्रेटरी ने कहा तो वह शामिल कर दिया गया और बाद को उसको जोड़ दिया गया। जिस तरह से हमारे यहां सदन के समाप्त करने पर हमारे प्रश्न मर जाते हैं और नोटिस देने पर पुनः जीवित हो जाते हैं उसी प्रकार से वहां पर हुआ। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस १५ करोड़ में कितना आप उसमें लगाने जा रहे हैं। सरकार के दिल में संकटकालीन स्थिति का अहसास नहीं है, नहीं तो विभागों के धन कम किये जा सकते थे।

विजयपाल सिंह जी चले गये, मैं उनकी कदर करता हूं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वह तो यह मानते हैं कि कांग्रेस ही प्रमुख पार्टी है और उसको ही जनता का विश्वास प्राप्त है और वही सरकार चलाने में सक्षम है। वह क्या करें, उनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव लटक रहा है हमारे सामने ऐसी बात नहीं है। हम मंत्री जी से कहते हैं कि उत्तराखंड में संकट है। चमोली में अग्रिम पंक्तियों में एक खच्चर के लिये घास भेजने का खर्चा ५० रुपये पड़ता है। अगर उनको खाना पहुंचाया जाय हैलीकाप्टर से तो उसका भी खर्चा बहुत पड़ता है। उससे कुछ इधर-उधर खाना गिर जाता है तो और नुकसान होता है। वहां पर कितना खर्चा करके एक कानूनगो के हल्के को कलेक्टर का हलका बनाया गया। तो वहां पर क्या बचत हुई? क्या उस इलाके के लिये किया गया? १५ करोड़ में से २॥ करोड़ सुरक्षा पर खर्च किया जाता है तो उसका फल क्या निकलता है और यह नहीं दिखाया जाता है कि प्रति व्यक्ति प्रदेश में कितनी आमदनी बढ़ी या घटी, बेकारी घटी या बढ़ी, शिक्षा घटी या बढ़ी? सरकार अपनी आदत छोड़ दे

[श्री उग्रसेन]

कि रुपया रख दिया और खाओ, पीओ, मौज करो। लोक-लेखा समिति में लाखों, करोड़ों रुपये के वाउचर्स हैं जिनके युटिलाइजेशन सार्टिफिकेट नहीं मिले हैं। तो इतना बड़ा मंत्रिमंडल और नौकरशाही लेकर आप जनता की रक्षा नहीं कर सकते। जनता न जितनी ताकत हमको दी है उससे हम आपका विरोध करते हैं। जो भी रुपया आप रखते हैं उसका दुरुपयोग होता है। इंगुरी सराय का मामला सामने है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस० डी० ओ० और तहसीलदार ने वहां जाकर उस आदमी से कहा कि तुम कह दो कि उग्रसेन को दरख्वास्त नहीं दी है। अगर यह बात सच न हो, यहां हुकुम सिंह जो सबसे बुजुर्ग हैं, मौजूद हैं, मैं उनको सब खर्चा दूंगा, रेल में तकलीफ नहीं होने दूंगा वह जाकर मालूम करें और अगर मेरी बात गलत हो तो मैं आज ही इस्तीफा देने के लिए सदन से तैयार हूं। बस्ती में, नौगढ़ में मार मार कर चन्दा वसूल किया। मुख्य मंत्री जी के पास दरख्वास्त आयी, हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी जिलों में जो हो रहा है, बिष्ट जी आ गये वह बतायेंगे। अगर उत्तराखंड की ठीक तरह से व्यवस्था नहीं की तो कहीं वह नेफा न बन जाय, यह मुझे डर है। मेनन साहब ने कह दिया कि मैदान में आ जाओ तो मुकाबला करेंगे, यानी पहाड़ में चीनी आ जायं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, यह भावना है। हम यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि एक इंच भूमि भी भारत की जाय। इतना सब कुछ हुआ और वहां सरकार समझती है कि यह कूचये इश्क में निशानेबाजी और इशारेबाजी है। तो मैं अब भी गुजारिश करना चाहता हूं कि संकट-कालीन स्थिति नहीं है, जैसा कि वह कहते हैं। पैसा जो खर्च कर चुके हैं वह हमसे पूछा नहीं। तो पहले आदरणीय सदन की राय लीजिये, वह नहीं हुआ है, इसलिए मैं विरोध करता हूं।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--

मैं एक व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। उग्रसेन जी ने मुझे लेकर कुछ कहा, मैं उनका भ्रम दूर करना चाहता हूं। मैंने चिट्ठी लिखकर भी दूर करने की कोशिश की, पर उग्रसेन जी ने शायद यह कसम खा रखी है कि किसी बात को सही नहीं समझेंगे। मेरा त्यागपत्र २३ जुलाई को लिखा गया था, उस समय न कोई संकट था और न कोई इमरजेंसी, केवल खादी आश्रम की वजह से मैंने त्यागपत्र दिया था। बीच-बीच में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की लेकिन वह सुन न सके क्योंकि उनको समय न मिला। जब मैंने देखा कि जबानी बात से काम न चलेगा, मैंने लिख कर दे दिया। उसको लिखने का मेरा आशय यह कभी नहीं था कि मैं किसी को बताऊं कि मैं बड़ा त्यागी हूं और मेरे और साथी बहुत ही निकम्मे हैं, और वास्तविकता तो यह है कि अगर अखबारों में इस तरह से टिप्पणी न निकलती और मेरे मित्र इस प्रकार से न कहते तो शायद मेरा इस्तीफा मंजूर हो गया होता। अपने मित्रों को किसी खराब स्थिति में डालने का मेरा मतलब कभी नहीं था, इसलिये मैंने उसे प्रेस नहीं किया। मैं फिर कह देना चाहता हूं कि उग्रसेन जी बधाई के पात्र हो सकते हैं, यदि वे विरोधी दल वालों को एक कर लें। बार-बार यह कहा जाता है कि कांग्रेस अल्पमत से आयी है, अगर वे सबको एक कर लेंगे तो यह लांछन भी देश पर से हटाया जा सकता है। सचमुच में हमारे लिये यह एक सौभाग्य की बात होती कि सचमुच में बहुमत राज्य करता। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले जरा अपनी ओर भी देख लिया करें और उनकी कमी की वजह से कहिये या गलत चीज पर जोर देने की वजह से कहिये कि इतने टुकड़े बहुमत के हो गये हैं लेकिन यह उसी अल्पमत की अक्लमन्दी है कि आज देश गलत रास्ते पर जाने से रुका हुआ है। आप छोटी चीज पर आक्षेप करते हैं और बड़ी चीज को हजम कर जाते हैं।

श्री उग्रसेन--

आपने पत्र में क्या लिखा था?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मैंने आपको अपने पत्र में लिखा था कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वह तरीका गलत है, उससे देश की शक्ति क्षीण हो रही है, अगर उसका ठीक प्रकार से उपयोग किया जाय तो देश का ज्यादा उपकार हो सकता है। (व्यवधान) मुझे इसमें कोई शर्म नहीं मालूम होती है कि मैं मिनिस्टर हूं। मंत्री हो जाना कोई गलती नहीं है। लेकिन बहुमत को टुकड़े-टुकड़े कर देना, इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता। यह सब से बड़े शर्म की बात है कि बहुमत इफेक्टिव नहीं हो पाया। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं उस पर अगर देश चले तो एक भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है लेकिन कांग्रेस ने उस गलत रास्ते पर जाने से देश को रोका है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का मौका दिया।

*श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि उग्रसेन जी ने जो अपने जिले की बातें कहीं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने नौगढ़ तहसील का जिक्र किया और उन्होंने इन अल्फाज को कहा कि—मारते-मारते भूस कर दिया जाता है और इस तरह से चन्दा वसूल किया जाता है सुरक्षा कोष के लिये। श्रीमन्, यह बात बिलकुल गलत है। वहां पर हम भी रहते हैं और उसकी जानकारी हमें भी है। वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बड़ा ख्याति प्राप्त है, उसके खिलाफ इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। (व्यवधान) इस किस्म की बातें हरगिज नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

हमारे पास तार आया है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

तार तो न जाने आपके पास कैसे-कैसे आ जाते हैं। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बात वास्तव में है नहीं उसका इस आदरणीय सदन के सामने जिक्र नहीं करना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारी पार्टी के नेता श्री उग्रसेन सिंह के भाषण के बाद कुछ माननीय सदस्यों को बौखलाहट सी मालूम हुई। माननीय रामकुमार शास्त्री जी और माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी ने अपनी कुछ सफाई दी। वह सफाई कहां तक सही है, कहां तक झूठ है, इस विवाद में पड़ना मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन सिर्फ माननीय रामकुमार शास्त्री जी से यह निवेदन करता हूं कि हमारे पास एक तार बस्ती से आया है, उसे मैं भूल आया हूं, अपने साथ नहीं ले आया हूं। वह गलत है या सही है, इस विवाद में पड़ना अनुचित है।

(व्यवधान)

अगर आप हल्ला कीजियेगा तो हम लोग भी हल्ला कर सकते हैं। आप लोग शान्त रहिये, चुप रहिये, चुप रहिये, चुप रहिये, चुप रहिये। अगर आप लोग शान्त नहीं रहेंगे तो हम लोग भी हल्ला करेंगे। कीजिये हल्ला।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात कहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जब कि वे लोग अवैधानिक काम कर रहे हैं, फिर आप उन लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

आप बेकार की बात कर रहे हैं, उन लोगों को मना कीजिये। अगर उनकी तरफ से हल्ला होगा, तो हल्ला होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। इस प्रकार की बात बहुत बेजा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप उन लोगों को शान्त होने के लिये क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि सदन में शान्ति की स्थापना करें।

(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

(श्री उपाध्यक्ष से) अगर आप निष्पक्ष रहेंगे तो सदन में शान्ति रहेगी और अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो शान्ति नहीं रह सकती।

श्री जे० पी० मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, आप इन लोगों को रोकें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है, चाहे किसी दल की तरफ से भी यह मखौल या इस तरह की दंगेबाजी की जा रही हो, प्रदेश की जनता की तरफ से हम लोग यहां चुन कर आये हैं और जब जनता देखेगी कि इस इमर्जेंसी की हालत में भी हमसे पैसे लेकर उसका दुरुपयोग माननीय सदस्यों द्वारा किया जा रहा है और इस तरह का हुड़दंग मच रहा है तो उसको बहुत दुख होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं, आप खुद शोर मचा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से दूसरों के भाषण में रोक-टोक की बात होगी--तो मैं खास कर माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि उधर के जो बैठने वाले लोग हैं, उनको आप जरा समझा देने की कृपा करें। अगर इस तरह का हल्ला मचाया जा सकता है तो हम अल्पमत में जरूर हैं लेकिन मेरी बात का विश्वास किया जाय कि अगर इसी प्रकार हल्ला उधर से मचा तो आप के नेता का भी भाषण नहीं हो सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि सदन में शांति रहे और यहां का ठीक से काम चले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी तरफ के लोगों को समझावें और ,अगर आप उन को नहीं रोकते हैं तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी वह आप की ही होगी। वे लोग जो उधर अपने को बुजुर्ग कहते हैं, माननीय उग्रसेन जी ने अगर कहा तो सही कहा, वे अगर हल्ला करेंगे तो हम भी कर सकते हैं और जिम्मेदारी फिर हमारी न होगी। इसकी जिम्मेदारी माननीय मिश्र जी और माननीय बैजनाथ सिंह जी को लेनी होगी, हमें भी ११ साल यहां हो गये, हम भी

हल्ले का जवाब दे सकते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस तरह से एक मिनट भी सदन का कार्य नहीं चलेगा, आप अगर इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं तो स्वीकार कीजिये और शोर मचवाइये, इस तरह से सदन नहीं चल सकता...

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा शान्ति से बोलें, माननीय सदस्य भी शांति रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप जरा बताइये कि मैं भाषण दे रहा हूं, किसी पर कटाक्ष नहीं करता हूं।

श्री बैजनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मुझे तार पढ़ने दिया जाय, यह नौगढ़ का तार है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस समय सदन की मर्यादा कायम रखने के लिये यह जरूरी है कि इस तरह से एक साथ ५-६ सदस्य न बोलें, यह कहां तक मर्यादा के अन्तर्गत हो सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता था बहुत नम्रता के साथ कि आज कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर सदन में अकारण ही इतनी गर्मी आ जाय। एक बात हमारे माननीय उग्रसेन जी ने माननीय स्वशासन मंत्री जी के सम्बन्ध में कही उसका उन्होंने उत्तर दे दिया व्यक्तिगत रूप से। एक बात उन्होंने नौगढ़ के सम्बन्ध में कही जहां से कि आपका कहना है कि जबरदस्ती पैसा वसूल किया गया मार-मार कर, उसका उत्तर श्री राम कुमार जी ने दे दिया। इसमें कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप करने की बात न होनी चाहिये। मैं माननीय रामसुन्दर जी से निवेदन करूंगा कि वह यहां के पुराने सदस्य हैं वह जानते हैं कि सदन की यह पद्धति है कि कभी-कभी लोग बीच में कुछ थोड़ा टोक दिया करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सदन की कार्यवाही न चले, किसी एक सदस्य के टोक देने से कोई क्रुद्ध होने की बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि बाराबंकी और नौगढ़ से तार आये हों और कहीं पर शायद किसी से पैसा लिया गया हो और यदि कोई ऐसी बात है तो वह तार मेरे पास भेज दिये जायं, मैं सरकार की ओर से कहता हूं कि उसकी जांच निश्चित तौर से की जायगी क्योंकि यह हमारी नीति के विरुद्ध है कि सुरक्षा कोष के लिये पैसा लेने के लिये किसी को मुर्गा बनाया जाय, पीटा जाय या किसी का कचूमर निकाला जाय, ऐसा कोई करता है तो बिलकुल गलत करता है। मैं आपके द्वारा प्रदेश की जनता को भी और तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह बताना चाहता हूं कि यह सरकारी नीति के सर्वथा विरुद्ध है। किसी को दबा कर, सता कर चन्दा वसूल करना अत्यन्त घृणित बात है। यदि कोई ऐसे प्रमाण हैं तो वह आपकी बड़ी कृपा होगी, यदि आप उसे भेज देंगे ताकि उसकी जांच पड़ताल हो सके और यदि ऐसी गलतियां हुई हैं तो उन पर उचित कार्यवाही भी की जायगी और भविष्य के लिए उसे रोक भी दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कभी-कभी इतनी ज्यादा उत्तेजना हो जाती है, मैं माननीय रामसुन्दर जी से प्रार्थना करता हूं कि इतनी बुलन्द आवाज में बोलने की क्या आवश्यकता है, जरा शान्ति से बात करें तो न झगड़ा होगा न कोई बात होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो वितंडावाद शब्द का प्रयोग किया है वह अच्छा नहीं है और आपके जरिये वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमने आज तक बारह साल के

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

कालमें कभी भी कोई कोशिश नहीं की कि कोई माननीय सदस्य बोलते हों तो बीच में उनको रोका जाय। लेकिन हमने यह भी सदन में देखा है कि दो-चार व्यक्ति इधर के और उधर के ऐसे हैं कि कोई भी माननीय सदस्य बोलते हों, तो उनके बोलने में टोकना, कीचड़ फेंकना, उनका काम है। यह मेरे खयाल से ठीक नहीं है। मैं जब बोल रहा था तो ऐसी बातें नहीं कह रहा था जो किसी को कुछ बुरी लगें। उस पर टीका-टिप्पणी करना, भाषण में रुकावट डालना, यह अनुचित है।

श्रीमन्, यह तार चले जायंगे, माननीय वित्त मंत्री जी उसकी इन्क्वायरी करवा लेंगे। जांच करने से मालूम हो जायगा कि माननीय उग्रसेन गलत हैं या माननीय रामकुमार शास्त्री गलत हैं।

श्रीमन्, इस बजट में राजस्व विभाग में ५ लाख ७० हजार रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है और कलेक्शन के नायब तहसीलदारों को रेगुलर बना दिया गया, जिन पर यह धनराशि व्यय की गयी है। इस हाउस में एक बार नहीं पचासों बार निवेदन किया गया है कि आप जो मालगुजारी वसूल करने का मुहकमा चपरासी से लेकर तहसीलदार तक बना रहे हैं, उसको खत्म कीजिये और कई ऐसी गांव सभाएं हैं जिन्होंने बिना कुर्की के पैसा वसूल करके दाखिल कर दिया और उस पैसे को वसूल करने के लिए ५ लाख ७० हजार रुपया खर्च किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि गांव सभाओं का विकास हो और अपने अस्तित्व पर गांवों का निर्माण कर सकें तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यह कई लाख रुपया खर्च करके फौज नहीं तैयार करनी चाहिए। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री उस वक्त सिंचाई मंत्री थे उन्होंने पूर्वी जिलों में बहुत काम किया और पूर्वी जिले का किसान उनका बहुत आभार मानता है। ऐसे स्थानों पर उन्होंने नहर बांध बना दिये जिससे लोगों को राहत मिली।

लेकिन श्रीमन् जरा जाकर देखें तो आजमगढ़ में, बलिया में, जिन नहरों का निर्माण उन्होंने करवाया था उनकी क्या हालत है। हाला नाला बांध, महुला बांध जिन पर आपने लाखों रुपया खर्च किया उनकी आज क्या हालत है? ६ महीने के अन्दर घाघरा नदी के पेट में जाने वाले हैं। आपके इस बजट से पैसे खर्च होते चले जा रहे हैं लेकिन ऐसे काम जो चिरस्थायी हैं जिससे प्रदेश की लाखों जनता का फायदा हो रहा हो या होने वाला हो उनका आपकी सरकार के कर्मचारिगण या अधिकारीगण और मंत्रिगण विनाश करते चले जा रहे हैं। आपको यह भी देखना पड़ेगा। श्रीमन्, मैं भुक्तभोगी हूं बात बहुत खराब है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जरा आप माननीय गुप्ता जी को सलाह देते कि यदि वे इतने बड़े विभाग को अपने हाथ में नहीं संभाल सकते हैं तो वह किसी दूसरे को सुपुर्द कर दें, लेकिन माननीय नवलकिशोरजी के हाथों में यह विभाग हरगिज न रहे, यदि आप इस प्रदेश की जनता का कल्याण चाहते हैं। श्रीमन्, वित्त मंत्री जी पुलिस मंत्री रह चुके हैं। मैं भूलता नहीं हूं कि आपके जमाने में, यह तो नहीं कह सकता कि पुलिस विभाग शिकायत से अछूता रहा, लेकिन एक बात कह सकता हूं कि आपने एक बात बहुत सुन्दर की थी, वह यह कि आपने कई जगहों पर अपने आई० जी० की बातों को भी इन्कार किया है और अपने आई० जी० की रिपोर्ट के खिलाफ मामलों को सी० आई० डी० को सुपुर्द किया है लेकिन नवलकिशोर जी जैसे आदमी यह कहने में हिचकते नहीं हैं कि रामसुन्दर पांडेय के साथ मधुबन के सारे बदमाश हैं। यह कहने में इनका दिल जरा भी टूटता नहीं है। इनके अन्दर यह भावना नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है और मेरा दावा है, ब्रजबिहारीमिश्र जी बैठे हुये हैं, नवलकिशोर जी की बाबत तो मैं जानता नहीं हूं कि वह उस वक्त कहां थे लेकिन अपने बारे में तो दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे कम तो मैंने किसी भी दशा में कम आजादी की लड़ाई में काम नहीं किया है। लेकिन मुझको खराब लोगों के साथ कहते हुये उनका दिल टूटता नहीं है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप अपनी आदत को बदलिये, इस ढंग को बदलिये, और अगर आप अपने ढंग को नहीं बदलते हैं तो जो पुलिस के एस० पी० कर रहे हैं इससे उनको दाद मिलेगी। आप हमारी बात मानें चाहें न मानें लेकिन साल, दो साल, १० साल बाद नवलकिशोर जी खुदा न खास्ता आप उधर से हट कर इधर

आ गये तो जो मैं आज निवेदन कर रहा हूं वही आप भी करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी, आप को याद होगा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय स्वर्गीय पन्त जी को साइमन कमीशन ने मारा था, जिस साइमन कमीशन की लाठी से पन्त जी टेढ़े हो गये थे, आज वही पुलिस हम को मारती है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारती है तो श्री नवलकिशोर जैसे व्यक्ति को प्रसन्नता होती है।

श्री जसराम सिंह—

आप क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस मंत्री...

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक वह बैठते नहीं हैं तब तक आप कुछ न कहें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं आप से कहना चाहूंगा कि एक पैसा भी पुलिस पर इन पुलिस मंत्री के द्वारा नहीं खर्च होना चाहिये। और जो पैसा खर्च हो रहा है उसका ठीक उपयोग हो। करोड़ों रुपया जो अधिकारियों पर खर्च कर रहे हैं उनके काम को देखना चाहिए कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। और आपको एस० पी० की बात को छोड़कर ब्रजबिहारी मिश्र जी की बात को मानना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं, श्रीमन, एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। यह सप्लीमेंटरी बजट पेश है। तरीका उसका यह रहा है कि जिस चीज के लिये ग्रांट रहती है, बहस उसी पर हो। हमारे भाई रामसुन्दर जी कह रहे हैं यह सब वह तो जब जनरल डिस्कशन हो तब नवल किशोर जी भी रहेंगे, पुलिस मंत्री, मुख्य मंत्री जी भी रहेंगे, उस वक्त बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। आज सप्लीमेंट्री का मौका है, ऐप्रोप्रियेशन बिल सामने है जिस विषय को लेकर एप्रोप्रियेशन बिल है उसी पर बहस महदूद रहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि यह ठीक बात है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री जी बुजुर्ग हैं और हम लोगों के लिये गुरू के समान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आपने इस बिल में पुलिस के ऊपर खर्च करने के लिये ८ करोड़ रुपये रखा है। यदि मैं, श्रीमन, यह कहूं कि आप जो यह रुपया इन आदमियों पर खर्च करने जा रहे हैं वह न करें तो यह मेरे लिये गुस्ताखी होगी और यदि मैं न रोकूं तो सरकार का नुकसान होगा। मैं एक बात कहकर बैठ जाऊंगा।

(व्यवधान)

अतरौलिया कांड की मुझे जानकारी हुई है। माननीय नवलकिशोर जी बृजबिहारी जी से पूछ लें कि क्या हो रहा है? माननीय नवलकिशोर जी, इस तरह की हजारों घटनायें हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो एक करोड़ रुपया पुलिस के लिये रखा गया है वह प्रशासन पर नहीं रखा गया है बल्कि उसके इक्विपमेंट के लिये पी० ए० सी० की बटैलियन्स बढ़ेंगी तथा शस्त्र खरीदे जायेंगे। इन कामों के लिये यह रुपया रखा गया है। जब बजट पर बहस होगी तो एक महीने में कई बार पुलिस प्रशासन पर उनको कहने का मौका मिलेगा। मैं यह कह रहा हूं, उनको रोक नहीं रहा हूं। हमने पी० ए० सी० के लिये ७४ गाड़ियां रिप्लेस की हैं, उसको यदि गलत समझते हैं या उसके लिये हमने ६ पी० ए० सी० की बटेलियन्स बढ़ाई हैं, वह गलत हुआ है या उसके लिये कहें। अब सारे सूबे के प्रशासन की बात तो इसमें नहीं आयेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं, श्रीमन्, धृष्टता नहीं करूंगा। जिला पुलिस के लोगों के मार्ग व्यय पर ८ लाख खर्च किया गया है। माननीय शर्मा जी की बड़ी उत्कट अभिलाषा है कि सब विरोधी दल के लोग एक क्यों नहीं हो जाते हैं? मैं निवेदन करूंगा कि माननीय बनारसीदास जी, नवलकिशोर जी और गोविन्दसहाय जी को एक बात पर इकट्ठा कर दिया जाय। हमने अखबारों में पढ़ा है कि गोविन्द सहाय जी कम्यूनिस्टों को पंचमांगी नहीं कहते हैं, नवलकिशोर जी उन को देशभक्त समझते हैं तथा बनारसीदास जी उनको बड़ा खराब कहते हैं। अगर ये लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं तो सारे प्रदेश में कितने कार्यकर्ता हैं, वे कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? जब कि सरकार एक राय की है और उसके मन्त्री लोग विभिन्न राय के हैं तो यह कैसे सम्भव हो सकता है? जो रुपया वित्त मन्त्री जी खर्च कर रहे हैं उसमें जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया छिपा हुआ है। इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जब जनता एक एक पैसा बचाकर आपको देती है तो उसका उपयोग उनकी भलाई के लिये होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मन्त्रिमंडल को संभालिये और जनता के अरमानों को पूरा कीजिये तथा जो पैसा खर्च होता है उसके मन के मुताबिक खर्च हो। उसके मन में यह आस्था हो कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वह ठीक कर रही है। हम यहां पर १८० सदस्य विरोध में बैठे हुये हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि मैं विरोधी हूं, लेकिन यह मान कर चलता हूं कि देश के ऊपर आपत्ति आती है तो मैं भी वही आस्था रखता हूं जितनी देश के प्रति उधर के भाई रखते हैं। मैं यह भी मानकर चलता हूं कि आप जो गलत काम करते हैं उससे प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को बचाने के लिये आपको हम सुझाव देते हैं। उसको आप नहीं मानना चाहते हैं। उसका फल यही हो रहा है कि प्रदेश का नुकसान हो रहा है। नवलकिशोर जी को तकलीफ हुई हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूं लेकिन साथ ही साथ अगर हम पैसा बचाना चाहते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ बरदाश्त करें। वास्तव में वित्त मन्त्री जी को राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग को देखने की जरूरत है कि जहां पर हजारों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उनका मैनुअल आज तक नहीं बन पाया है। इसीलिये मैंने इस बिल का विरोध किया है कि आप जो पैसा-ले रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।

श्री नवलकिशोर---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई विचार इस एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में विवाद पर बोलने का नहीं था लेकिन रामसुन्दर पांडेय जी ने बड़ी इज्जत के साथ मेरा नाम लिया है तो मैंने भी उचित समझा कि दो शब्द कहूं। मुझे करीब ११ साल से इस हाउस में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामसुन्दर पांडेय जी ने जिस तरह से और जिस स्तर की डिबेट इस बिल पर की है उसको देखने का मुझे अपने जीवन में यह पहला मौका है। मुझे इस बात का दुख है कि मेरी बातों से उनको सान्त्वना नहीं मिली। मुझे खेद है कि मुझे भी उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्रदेश में सब वर्सिव एक्टीविटीज की बात करेंगे, कोई भी हो और किसी के साथी हों और किसी पार्टी के हों उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जायगी, चाहे वह किसी जिले का हो और चाहे किसी दल से सम्बन्ध रखता हो। मेरी यह दिक्कत है कि मान्यवर कुछ पार्लियामेंट्री डिसेंसी और डिकोरम होता है जिसके कारण पांडे जी का मैं नग्न चित्र सदन में उपस्थित नहीं कर सकता हूं, वह नग्न चित्र मैं पेश नहीं कर सकता हूं लेकिन आप आज्ञा देंगे तो किसी अकेले मौके पर बैठने पर उनके सामने नग्न चित्र पेश कर दूंगा। मेरा निवेदन है कि उस डिसेंसी और डिकोरम को तोड़ने के लिये पांडेय जी मुझे बाध्य न करें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

माननीय मन्त्री जी ने जो यह एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया है वैसे तो यह एक फर्ज अदायगी का बिल होता है। उसकी ग्रांट यह सदन पास कर देता है तो उन ग्रान्ट्स के सम्बन्ध में

ही यह होता है। उसे भी यह सदन पास कर देगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक इमरजेंसी का ताल्लुक है अगर इस विनियोग बिल को देखा जाय तो इसमें उसके ऊपर २,१६,६७,४०० रुपये खर्च करने का सरकार का दावा है। उस खर्च करने के बाद हम को इस देश में आपत्कालीन स्थिति में कितना बचाव मिल सकता है और कितना हम सही तरीके से राष्ट्र हित में कार्य कर पायेंगे। अगर मन्त्री जी विभिन्न विभागों के अमाउन्ट को देखेंगे जो इस बजट में दिखाये गये हैं तो मन्त्री जी पायेंगे कि इसमें भी जो खर्चे हैं वह आफिस और इस्टेबलिशमेंट पर ज्यादा है और किसी प्रोडेक्टिव साधन पर बहुत कम खर्चे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि इस सारे विनियोग विधेयक को देखा जाय जिसका वित्त मन्त्री जी दावा करते हैं, उसमें काफी इकोनामी और काफी कटौती की जा सकती है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि वह कटौती नहीं की गई है और उसको ठीक तरीके से एप्रोप्रियेट करने की कोशिश नहीं की गई।

श्रीमन्, बस्ती जिले के बार्डर पर मेरा क्षेत्र पड़ता है और उसी के बगल में रामकुमार शास्त्री जी का है, उनसे मेरा गहरा ताल्लुक है। शास्त्री जी ने उग्रसेन जी की बात को गलत बताया, उनको गुस्सा आ गया। लेकिन मैं तार पढ़े देता हूं, शास्त्री जी जांच करा लें---

"Blocks Collection Defence Fund Through Police Torture Village Binaika Tahsil Naugarh Basti 31st Chief Minister S.P.D.M., Informed No Action Taken Till Now. Rumours About General Arrests by Police in Village Panic Climax Atonce Impartial Inquiry Needed"

यह मेरे कार्यालय में आया। मुख्य मन्त्री दौरे पर गये थे। मैंने टेलीफोन किया था। शिन्ना और दूसरे आदमियों ने मुख्य मन्त्री से यह सब कहा और उग्रसेन जी ने उसका हवाला दे दिया तो शास्त्री जी को बुरा नहीं मानना चाहिये। मैं इसको कमलापति जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजूंगा।

जहां तक इमरजेंसी का ताल्लुक मैंने खुद मुख्य मन्त्री को पत्र दिया कि गोरखपुर में तहसील बांस गांव के एक गांव में अमुक लेखपाल ने हमारे यहां से इतना रुपया वसूल किया सुरक्षा फंड के लिये और पूरा रुपया जमा नहीं किया। मैंने प्रश्न किया और मुझे जवाब मिला कि यह बेबुनियाद बात है। तो मेरे सामने क्या चारा है? आप कहते हैं कि प्रचार करते हैं। वह पटवारी, तहसीलदार की रिपोर्ट पर कह देते हैं कि बे-बुनियाद है। यह सुरक्षा की हालत है?

माननीया श्रम मन्त्राणी जी चली गयीं। आपने एक फारमूला बनाया है। १९५० में लेबर अपिलेट ट्रायबूनल ने प्रस्ताव पास किया कि चीनी मिलों में उत्पादन के ऊपर मजदूरों को बोनस दिया जायगा। मैंने सवाल किया कि आखिर श्रम मन्त्री को सूचना है कि पार साल गन्ने की पैदावार पर कितना मजदूरों को उत्पादन पर बोनस मिला, इसमें कितना एल० ए० टी० के मातहत और कितना वेज बोर्ड के मातहत? तो एक करोड़ ६० लाख रुपया एल० ए० टी० अवार्ड के मुताबिक और वेज बोर्ड के मुताबिक ४० लाख रुपया मजदूरों के अन्दर बांटा गया। एल० ए० टी० सब से बड़ा न्यायालय है। उसने कहा कि प्रोडक्शन पर बोनस दिया जाय। सरकार ने उसको मंजूर किया और मैंने पाप किया कि मैंने प्रस्ताव कर दिया यूनाइटेड यू० पी० बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की तरफ से कि एक करोड़ रुपया सुरक्षा फंड में ले लिया जाय जो मालिकों की जेब में मजदूरों का जा रहा है। पाप यह किया कि सरकार को रास्ता दिखलाया और सरकार की हिम्मत नहीं है कि एक करोड़ रुपया जो वह दबाये बैठे हुये हैं वह सुरक्षा के नाम पर ले लिया जाय। मजदूर मजदूरी करता है और आप कहते हैं कि सेकेंड लाइन आफ डिफेंस बनाओ, मुल्क में उत्पादन होना चाहिये।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

फैक्ट्रियों की क्या हालत है ? मजदूरों की तीन-तीन महीने की तनख्वाह का एरियर बाकी है, वह इंडस्ट्रियेलिस्ट्स के पास रखा हुआ है। आज वह प्रस्ताव पास करता है कि उसका वह एरियर सुरक्षा कोष में ले लिया जाय लेकिन सरकार उसको ले नहीं पाती है। कानपुर के मजदूरों ने, सूती मिल के मजदूरों ने प्रस्ताव पास किया कि मिल मालिक आज सूती मिल को बन्द करना चाहते हैं, प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं, सरकार उचित कार्यवाही करे। तो श्रम मन्त्राणीजी ने श्रम कमिश्नर के अन्तर्गत एक कमेटी जांच करने के लिये बैठा दी। डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत आपके पास शक्ति थी आपने उन मिल मालिकों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जो ऐसा करना चाहते थे। जो मिल मालिक उत्पादन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की है ? इमरजेंसी के समय जब राष्ट्र के सामने इस प्रकार की बात आती है तो हमें दुख होता है।

इसी एप्रोप्रियेशन बिल में देख लीजिये कि संचार साधनों पर कितना व्यय कर रहे हैं। पहाड़ के रहने वाले सदस्यों ने बताया कि एक घास के गट्ठर ले जाने के लिये १०-१० रुपया देना पड़ता है तो आपने आर्मी और पुलिस की रक्षा और सहूलियत के लिये क्या योजना बनाई ? क्या आपके पास कोई संचार साधन है ? चीन ने पहाड़ों को तोड़ कर सिक्यांग और पेकिंग के बीच रेलवे लाइन डाल दी, आपने क्या किया ? हम इमर्जेंसी को उसी रूप में चाहते हैं अभी समय है, उसके रहते आप प्रबन्ध करिये नहीं तो कौन जानता है कोलम्बो प्रोपोजल्स और पंचशील का क्या होगा ? समय रहते आप अपने संचार साधनों को ठीक कर लीजिये। इसी मंतव्य को लेकर मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय बसन्तसिंह जी ५ मिनट बोलेंगे, उसके बाद मन्त्री जी का उत्तर होगा।

श्री बसन्तसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने बचत के बारे में कुछ बताया। मैं सोचता था कि वे और कुछ बतायेंगे। मैं सुझाव के रूप में उनसे कहना चाहता हूं कि उनका ध्यान नियोजन की ओर नहीं गया। यदि नियोजन की ओर उनका ध्यान जाता तो संचित निधि पर जो भार पड़ा है वह न पड़ता। ग्राम सेविकाओं, ग्राम लक्ष्मियों, लेडी सोशल वर्कर की जो पोस्ट हैं, उनको बिलकुल समाप्त कर दिया जाय, क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं है। इनको नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाय। ब्लाकों से जीपें वापिस लेकर सुरक्षा के लिये प्रयोग की जायें। दूसरी चीज स्वास्थ्य विभाग के बारे में मुझे यह कहना है कि हाउस विजिटर्स का कोई उपयोग नहीं होता। वे घर-घर जाते हैं, वहां कोई बीमार मिलता या नहीं मिलता है, अपना निशान बना कर चले जाते हैं। जिस काम को घर-घर जाकर करने के लिये उसे नियुक्त किया जाता है, हास्पिटल में एक आदमी को बैठा दिया जाय तो वह भी उस काम को कर सकता है। लेकिन मुझे दुख है कि हाउस बिजिटर्स की संख्या पहले से बढ़ा दी गयी है और उसकी वजह से भी अनुपूरक मांगों पर प्रभाव पड़ा है।

अभी सदन में कुछ गर्मी हुई और जबरदस्ती चन्दा वसूल करने का यहां बार-बार जिक्र आया। सरकार की तरफ से ऐसा खयाल किया जाता है कि विरोधी दल सरकार को बदनाम करने की नीयत से ही ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां कुछ लोग स्वेच्छा से चन्दा देते हैं वहां अधिकांश से जबरदस्ती चन्दा सरकारी कर्मचारी वसूल करते हैं। भले ही उनको मुर्गा न बनाया गया हो लेकिन जब डिप्टी या तहसीलदार या सेल्स टैक्स आफिसर या चकबन्दी विभाग के ए० सी० ओ०, सी० ओ० आदि चन्दा लेने के लिये किसी के पास पहुंच जाते हैं तो जिसके पास वे पहुंच जाते हैं, उनके सामने उनकी क्या तसवीर आती है ? लोग समझते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारियों के मांगने पर हम रुपया नहीं देते हैं तो कल इनके सामने हमारा मुकदमा जायगा या और दूसरे काम होंगे तो उनसे कठिनाई पड़ेगी भले ही वे पीटें

न जाते हों, लेकिन एक जबरदस्ती की भावना आ जाती है। आप कई बार इस सदन में इस बात को कह चुके हैं कि चन्दे से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, फिर जबर्दस्ती चन्दा वसूली का क्या औचित्य है। मैं आपसे कहता हूं चन्दा लोग स्वेच्छा से दें ऐसा वातावरण बनाइये। कोई भी सरकारी कर्मचारी चन्दा वसूल करने के लिये किसी के पास न जाय, जो लोग स्वयं चन्दा देना चाहें वे मनीआर्डर द्वारा भेज दें, तब तो मैं समझूंगा कि चन्दा स्वेच्छा से आ रहा है।

यहां बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जिनका अनुपूरक मांगों से कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं भी आज यहां एक बात कह देना चाहता हूं जिसको कहने के लिये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। वह यह है कि माननीय सदस्यों और मन्त्रियों की आयु की एक लिमिट होनी चाहिए, जब सरकारी कर्मचारियों के लिये ५८, या ५५ की आयु रिटायरमेंट के लिये निर्धारित है तो राजनीतिज्ञों के लिये दो साल का कंसेशन देकर इनके रिटायरमेंट होने की आयु ६० वर्ष होनी चाहिये। साथ ही उसके लिये क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिये। इससे हमारा राजनीतिक स्तर ऊंचा होगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और मैं चाहता हूं कि हमारे विवाद का स्तर भी ऊंचा उठेगा। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं।

(वित्त मन्त्री को बुलाने पर)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन, मुझे केवल दो मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कल १० मिनट बोल लेंगे। लेकिन आज बैठ जायं।

श्री श्यामलाल—

आज केवल दो मिनट ही देदें। क्योंकि मुझे बड़ी चोट लगी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा तो ठीक दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री श्यामलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो तीन मोटी-मोटी बातें कहनी हैं। माननीय रामकुमार शास्त्री जी मेरे ही जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहां चन्दा वसूल करने में किसी तरह की सख्ती नहीं बरती जाती है, इसे सुन कर मुझे बड़ी चोट लगी। मुझे अपने क्षेत्र का ही अनुभव है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो वहां के कुदरहा ब्लाक के बी० डी० ओ० हैं वे पुलिस की सहायता लेकर वहां के छोटे किसानों को सता रहे हैं और जबरदस्ती चन्दा वसूल करते हैं। जो किसान जितना छोटा है वह उतना ही ज्यादा सताया जाता है और उससे जबरदस्ती रुपया वसूल किया जाता है। यह तो मेरे क्षेत्र की बात है, दूसरे क्षेत्रों की बात मैं नहीं कहता।

एक और बात मैं कहूंगा। हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक बात कही जो मुझे बहुत खटकी। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस में अगर सबके सब अधिकारी निकम्मे हैं तो क्या हम सब को निकाल दें? क्या इस असेम्बली में अगर कुछ सदस्य खराब हैं तो हम असेम्बली को ही खत्म कर दें? यह बात सुन कर मुझे बहुत चोट लगी वित्त मन्त्री जी। मैं तो यह कहता हूं कि पुलिस में जो आदमी निकम्मा हो उसको निकालिये, सब को क्यों निकालें? कोई अगर पुलिस का कप्तान निकम्मा है, दरोगा निकम्मा है तो उसको आप निकालिये। अगर आप कहते हैं कि स्पेसिफिक केस लाओ। एक दो नहीं रोज हम देते हैं और अन्त में हम देखते हैं कि "निराधार" पाया गया। जैसे हमने जनवरी के मास में अपने जिले का एक स्पेसिफिक केस दिया था कि ए० सी० ओ० ३८ ने कथरुआ में ४ लाख रुपया नाजायज तरीके से वसूल किया है और वह ३ साल से एक ही जगह पर मौजूद हैं। पहले आप उसका तबादला कीजिये राजस्व मन्त्री को मैंने तार दिया। लेकिन अभी तक उसका तबादला तक नहीं हुआ, मुअत्तल होने की बात तो दूर रही। आपको धन्यवाद।

श्री कमलापति त्रिपाठी—
उपाध्यक्ष महोदय..

श्री प्रेमसिंह—
हमें भी दो मिनट दे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—
इस समय आप बैठें मैं फिर कभी आप को समय दे दूंगा।

श्री प्रेमसिंह—
पंडित जी बुजुर्ग हैं। ठीक है, वह बोलें, हमें फिर मौका मिल जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—
श्रीमन्, यह बहस कहां से कहां चली गई, यह मैं समझ नहीं पाया, उसको पकड़ भी नहीं पाया। हम लोगों की तरफ कहावत है कि 'सींग पूंछ का पता नहीं' बहस का पता नहीं लगा कि कहां उसकी पूंछ है और कहां सींग है, उसका उत्तर देना भी मेरे लिये कठिन हो रहा है। सारी रामायण हो गई तो एक सज्जन ने पूछा कि सीता किसका बाप है वही हालत मेरी हो गई, सारी बहस के बाद समझ में नहीं आता कि किस बात का उत्तर दूं। पहले सामान्य वादविवाद में जो बातें उठाई गई थीं उनका उत्तर मैं दे चुका और उसके बाद सदन ने सब मांगें मंजूर कर दीं। अब कायदे के अनुसार एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ कि एक साथ मांगों को स्वीकार कर लिया जाय ताकि इस पैसे की अदायगी कन्सालिडेटेड फंड से हो सके। वह पेश हुआ उसके लिये समय भी आधा घंटा रखा गया था। सारी बहस के बाद आम तौर से उस पर अधिक बहस भी नहीं होती है, प्रायः एक दो सज्जन उस पर बोलते हैं, अपोजीशन के नेता या कोई सदस्य खड़े हो कर चार बातें कह देते हैं और यह एप्रोप्रियेशन बिल पास हो जाता है। परन्तु यहां आज फिर उस पर जनरल डिस्कशन आरम्भ कर दिया गया। आज ही जो कि परसों से साल के बजट पर बहस होना चाहिये थी वह आज ही श्री सुन्दर जी ने आरम्भ कर दी, उन सब बातों का उत्तर तो मैं समझता हूं कि बजट के समय ही दूंगा। माननीय नवल किशोर जी ने अपनी व्यक्तिगत बात कुछ कह ही दी। जो पुलिस के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गईं उनके सम्बन्ध में भी बजट के समय ही मैं उत्तर दूंगा।

दो एक बातें मुख्य रूप से कही गईं जिनका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि हमारा उत्तराखंड नेफा हो जायगा। उनकी इस बात से मुझे दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि माननीय उग्रसेन जी के रहते उत्तराखंड नेफा कैसे हो जायगा, जब कि उनके साथ हमारे जैसे कमजोर लोग भी यहां मौजूद हैं। वह नेफा कैसे हो जायगा इस तरह से उसका जिक्र करना जैसे कि कोई बड़ा भारी पलायन या पतन हो गया, मैं समझता हूं कि यह इस राष्ट्र के गौरव के विरुद्ध है। माना कि थोड़ी देर के लिये उस संघर्ष में थोड़ा बहुत हम को पीछे हटना पड़ा, मैं दुनिया की लड़ाइयों के इतिहास को जानता हूं, हमने देखा है कि बड़े-बड़े राष्ट्र आरम्भ में पीछे हटे हैं, अंग्रेजों को हमने देखा कि डंकिर्क में उनका पतन हुआ और पलायन हुआ और हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा कि उनके पास केवल ६ दिन का खाना रह गया था। जब जर्मनी के बाम्बर्स बाम करते थे लन्दन को लेकिन वे उस समय अडिग खड़े रहे और अन्त में हिटलर की हार हुई और वे जीते। युद्धों में किसी कारण, भौगोलिक परिस्थिति के कारण, अपने अस्त्रशस्त्रों की परिस्थिति के कारण, हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ उसके कारण जो हमारी परिस्थिति हुई वहां उसके कारण यदि हम थोड़ा बहुत पीछे हटे तो उसको यह मानकर कि नेफा में ऐसा हो गया और ऐसा जरूर ही हमारी सब सीमाओं पर होने वाला है यही बात मनोबल को तोड़ने वाली है और यह बात कहना भी नहीं चाहिये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड है।

हम यहां पर बैठे हुये हैं अगर उसमें इस बात की कभी शिकायत आये तो भी हमारा स्वतंत्र देश है तो शिकायत किससे ? क्योंकि जब कभी ऐसा संकट आता है तभी उस अग्निवर्षा के बीच से जब कोई राष्ट्र यात्रा करता है तभी उसमें पौरुष, वीरता, और गाम्भीर्य जागता है और वह कसौटी पर कस भी लिया जाता है कि आखिर इसमें कितना शौर्य है । हमारे देश में ऐसा संकट नहीं आयेगा। तो हम यह समझकर ही चले हैं कि "अर्जनस्य प्रतिज्ञे द्वे, नदैन्यं न पलायनम्" हमारी धारणा अब यह है तो हम पर संकट नहीं आ सकता । इसमें संदेह नहीं है । यदि कहीं पर कमियां हैं तो वह पूरी होनी चाहिये । आपने एक बात यह कही है कि कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है । अब मैं क्या कहूं सिवाय इसके कि आपकी इस बात को स्वीकार करना यह कदाचित् ऐसा तथ्य है जिसका कोई आधार नहीं है। कमियां हो सकती हैं यह मैं मानता हूं, लेकिन उन तमाम बातों का जिक्र यहां नहीं करना चाहता कि क्या इंतजाम हम कर रहे हैं और कहां तक कमियां हैं और अगर कमी है तो उसके लिये तैयारी करना हम अपना धर्म समझते हैं और उस कमी को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

इमरजेंसी का ध्यान हमको नहीं है यह बारबार कहा गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी अहमक सरकार होगी दुनिया में जो बैठी रहेगी और उसके शासन काल में देश के ऊपर संकट आ जायगा, भगवान न करे, और उसके लिये चुप बैठी रहेगी। तो क्या कभी ऐसी सरकार श्रेय प्राप्त कर सकेगी। जो लोग आज सरकार में बैठे हुये हैं उनको इमरजेंसी का ध्यान नहीं है, वे अपना उत्तरदायित्व नहीं समझ रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उस इमरजेंसी का प्रयोग अपने व्यक्तिगत या पार्टीगत या दलगत लाभ के पूर्ण करने के लिये कर रहे हैं, यदि आपकी यह धारणा हो गई है इस सरकार के लिये और यह समझ कर आप इसकी टीका टिप्पणी करते हैं तो मैं समझता हूं कि अनुचित आक्षेप है और यह आक्षेप हानिकर है, लाभदायक नहीं है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हममें कमियां हो सकती हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम भूल कर सकते हैं, पर यह कहना कि हम जानते नहीं हैं कि इमरजेंसी में कितनी सतर्कता से हमको कार्य करना चाहिये यह बात ठीक नहीं है। आपने यह कहा कि दिखाई नहीं देता । तो क्या दिखाई दे ? हमारे भाई नरसिंह नारायण जी को नहीं दिखाई देता तो क्या इमरजेंसी कोई लोढ़ा है, मूसल है जो दिखाई दे ? इमरजेंन्सी एक अनुभूति की चीज है । वाकयात सामने हैं, परिस्थितियां सामने हैं, दुश्मन की फौज दरवाजे पर खड़ी है, हमारे ऊपर आक्रमण हो चुका है उसमें हमें क्षति भी पहुंच चुकी है, हम उससे वाकिफ हैं और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं । एक साहब ने कहा कि आपने तो बजट में रख दिया जो वह कागज पर है । फिर कागज पर न रखें तो क्या माथे पर रखें ? होमगार्ड भर्ती करना है उस पर इतना रुपया खर्च होगा तो यह रुपया कागज पर न लिखकर लावें तो क्या माथे पर लिखकर लावें ? अपनी शक्ति भर हम चेष्टा कर रहे हैं कि इमरजेंसी की बात को समझ कर अपनी कमियों को पूरा करें । हमारे भाई विजय पाल सिंह जी कह रहे थे । उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कहते हो कि प्रान्तीय रक्षा दल कायम करो और दूसरी तरफ कहते हो कि राइफल नहीं है । यह तुम्हारी ढुलमुल नीति है । राइफल नहीं है तो डंडे से लड़ेंगे, ढेलों से लड़ेंगे । जब बाहर से राइफल मांगते हैं तो झारखंडे राय जी कहते हैं कि विदेशी फौजों को यहां जमा रहे हैं। हम राइफलें तैयार कर रहे हैं । आज नहीं तो कल, मिलेंगी । इस लिये प्रान्तीय रक्षा दल, होम गार्ड्स न तैयार करें तो करें क्या ? कुछ न करें तब बढ़िया इमरजेंसी का प्रबन्ध होगा। हमारे पास साधन नहीं है, अनुभव नहीं हैं लेकिन हम साधन जुटा रहे हैं और अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं । एक दूसरे के सहयोग से, सम्बल से, सहायता से, यदि राष्ट्र के ऊपर कोई संकट है तो उसका मुकाबला करेंगे और देश की स्वाधीनता, सम्मान और भूमि की सीमा की रक्षा करेंगे ।

कहा गया कि सुरक्षा कोष में बड़ा पैसा वसूल किया जा रहा है । मैं इन्कार तो नहीं कर सकता, एकदम कसम खाने के लिये तैयार तो नहीं हूं कि जितने अफसर हैं, तीन चार लाख किसी ने कोई गलती नहीं की । मुमकिन है किसी ने जबरदस्ती वसूल कर लिया हो उत्साह में। पर सरकार का कोई आदेश है, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में यह आदेश था कि वसल करो । पुलिस इससे बिलकुल अलग रखी गयी है कि कहीं कोई चन्दा न मांगो क्योंकि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पुलिस चाहे ज्यादती करे या न करे यह हो जाता है कि पुलिस ने जबरदस्ती पैसा वसूल किया। (व्यवधान) किसी थानेदार ने आपको भी परेशान किया ?

श्री लखीसिंह—

हम को तो अंग्रेज के थानेदार ने ठोकर मारी है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपने देश के थानेदार ने तो कुछ नहीं किया ? अंग्रेज तो इसी पाप से गया । माननीय रामसुन्दर जी अब देखें । अभी बहुत उत्तेजित हो रहे थे । अब जरा देखिये । मैं भी उसी तरह से हाथ पैर पटकूं ? बहरहाल, तीन चार लाख सरकारी अफसर हैं, कहीं, किसी ने उत्साह में या बदमजगी के कारण अनुचित कार्य किया हो किसी को दबाया या सताया हो सुरक्षा कोष के लिये, मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि मुझे सबकी जानकारी है, अगर ऐसा हुआ है तो उसकी रोकथाम होनी चाहिये । लेकिन न कभी ऐसे आदेश गये हैं न जायेंगे कि जबरदस्ती पैसा वसूल करो । सरकार की तरफ से यह आदेश हैं कि किसी तरह की सख्ती नहीं होनी चाहिये, स्वेच्छा से धन की वसूली हो । किसी ने कहा कि चन्दा मांग-मांग कर लड़ाई नहीं लड़ी जाती । यह भी हम जानते हैं । ३०–४० लाख रुपया मिला है, युद्ध की तैयारी के लिये यह कुछ नहीं है । मैं समझता हूं कि डेढ़ दो दिन का खर्चा भी नहीं निकलेगा । शायद एक दिन का भी इससे खर्चा न निकले । अब केवल इसका अर्थ यह रहा है कि प्रत्येक को यह अनुभूति हो कि महान् राष्ट्र के यज्ञ में उसकी भी आहुति है और उसको गम्भीरता के साथ-साथ जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका मुकाबला करने के लिये तैयार होना है । हमारे देश का एक डेमोक्रेटिक सैटअप यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है और जनता का बल ही हमारा बल है । इस राष्ट्रीय शक्ति ने एक बड़ी भारी बात बता दी जिसने हमारे देश का मस्तिष्क ऊंचा कर दिया । वह यह है कि हमारे देश की जनता राष्ट्रवादी है । हमारे नेता चाहे पीछे रह जायं, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये पीछे रह जायं लेकिन हमारी जनता आगे चलेगी । यह हमारा सब से बड़ा बल है । इस जनता से हम जबर्दस्ती पैसा वसूल करते हैं, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये और न सरकार की ऐसी नीति ही हो सकती है कि जनता यह समझे कि हमसे जबर्दस्ती पैसा वसूल किया जाता है। कहीं ऐसा होता हो तो वह सरकार की नीति के विरुद्ध होता है और जहां कहीं की आप सूचना देंगे उसके संबंध में कार्यवाही हो सकती है । लेकिन सब जगह ऐसा हो रहा है, हर जगह पुलिस और सरकारी अधिकारी जनता का गला काट रहे हैं, यह सूरत धारण करके जनता का अपमान करते हैं । जहां हमने देखा है कि एक-एक बुढ़िया जिसकी नाक की कील नहीं निकल सकी है तो उसने कहा है कि कैंची से काट लो । इसके लिये आप कहें कि जबर्दस्ती पैसा वसूल हो रहा है तो सुरक्षा कोष का महत्व ही समाप्त हो जाता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीनियों के विदड्राअल के कारण चाहे जो रहे हों, चाहे रूस का प्रेशर पड़ा हो, चाहे अमरीका का प्रेशर पड़ा हो लेकिन सब से बड़ा प्रेशर देश जनता को एक होकर खड़ा हो जाना है । यह कम्युनिस्ट पार्टी की थ्योरी है और जैसा कि उन्होंने कहा है कि भारत की जनता राष्ट्रवादी नहीं है, धर्म के मामले पर लड़ती है, सरकार के विरुद्ध है, वहां की जनता एक नहीं है, इसीलिये हम घुस सकते हैं और उसको ठोकर लगा सकते हैं । उनके कागजात में यह बात लिखी है और मैं देखता हूं कि चाहे हिटलर की रूस के विरुद्ध जो वार हुई वह चाहे प्यूपिल्स वार न हो लेकिन चीन की हिन्दुस्तान के विरुद्ध लड़ाई प्यूपिल्स वार है । ऐसी स्थिति में सरकार की यह नीति नहीं हो सकती है । अगर कोई कर रहा है तो अनुचित कर रहा है और मेरा आप से निवेदन है कि ऐसी घटनाओं को रोकने की चेष्टा करें । एक सामूहिक रूप से सारे प्रयासों को, चाहे इमर्जेन्सी के नाम पर चन्दावसूल करने की बात हो, चाहे पी० आर० डी० कायम करने की बात हो, चाहे टैक्स लगाने की बात हो, ऐसी बात, नगण्य कर देती है । कहा जाता है कि मंत्री जी जब जाते हैं तो कांग्रेस की गुटबाजी करने जाते हैं । तो कैसे कहूं । राष्ट्र के सामने मंत्री की कोई हैसियत नहीं है । (व्यवधान) । आप कहते हैं कि सही बात है । मैं कहता

हूं कि बहुत से जिलों में मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि कहीं कांग्रेस पार्टी की मीटिंग करके गुटबाजी करूं । दौड़ता ही रहा, मीटिंग होती रहीं और कांग्रेस वाले साथ रहे और व्याख्यान देता रहा । लेकिन मैंने कहीं यह नहीं किया और कहीं सुना भी नहीं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हर एक बात में एक प्रकार की छाया देखना एक प्रकार का रोग है जिसको आप दूर करने की चेष्टा करें और यदि हमारी ओर से कोई गलती है तो आपको अधिकार है कि उसकी तरफ आप संकेत करें । हम इस नियत से सारी कार्यवाही कर रहे हैं, सारी सुरक्षा और सारा दूसरा काम केवल इसीलिये कर रहे हैं कि हमारा गुट खड़ा हो तो यह उचित सा नहीं मालूम होता है। यह काम तो राजा, जौनपुर के जिम्मे रहे और हमारी कबर खोदने का काम वही अपने पास रखें लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको कोई बहुत बड़ा डर हो और उस डर से देश की संकटकालीन स्थिति का लाभ उठाकर हम अपने दल को मजबूत करें और आपकी आंखों के साथ प्रवंचना करें । इन शब्दों के साथ मैं हाथ जोड़कर अपने उधर के भाइयों से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६२-६३ के लिये १५,२१,६४,२०० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की सूचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग १५,२१,६४,२०० रु० (पन्द्रह करोड़, इक्कीस लाख, चौंसठ हजार दो सौ रुपया) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	बृहत् जोत कर ..	१७,३००	..	१७,३००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	१०,४४,५००	२,०००	१०,४६,५००
३	राज्य आबकारी ..	..	८००	८००
६	अन्य कर और शुल्क ..	१००	..	१००
९	राज्य विधान-मंडल ..	४,३२,६००	३,२००	४,३५,८००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१०	सामान्य प्रशासन ..	२००	१,६८,८००	१,६९,०००
११	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन ..	६,८८,७००	..	६,८८,७००
१२	गांव सभायें और पंचायतें ..	..	२,३००	२,३००
१३	न्याय-प्रशासन ..	..	१,१८,४००	१,१८,४००
१४	कारागार (जेल) ..	३,०५,०००	..	३,०५,०००
१५	पुलिस	१,२१,७६,६००	३०,०००	१,२२,०६,६००
१६	खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन	२००	..	२००
१८	शिक्षा	१,५००	..	१,५००
१९	चिकित्सा ..	५००	८,१००	८,६००
२०	जन-स्वास्थ्य ..	२१,६२,७००	..	२१,६२,७००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास ..	७००	..	७००
२२	उपनिवेशन ..	१००	..	१००
२३	पशुपालन ..	६००	..	६००
२४	सहकारिता ..	१००	..	१००
२५	उद्योग	१,२००	..	१,२००
२६	नियोजन और एकीकरण	३००	९,१००	९,४००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	४००	..	४००
२८	सूचना निदेशालय ..	१००	..	१००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	१२,००,०००	७,५००	१२,०७,५००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	१,२८,७१,४००	..	१,२८,७१,४००
३३	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें ..	२००	..	२००
३५	विद्युत् योजनायें—अधिष्ठान	१००	..	१००
३६	सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१३,००,०००	..	१३,००,०००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
३९	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान	१,३८,३००	..	१,३८,३००
४०	परिवहन ..	१५,८८,३००	..	१५,८८,३००
४२	अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) ..	७०,१०,९००	..	७०,१०,९००
४५	वन	४१,८३,६००	२,३८,१००	४४,२१,७००
४६	प्रकीर्ण व्यय ..	१००	२,७९,५००	२,७९,६००
४६-क	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	२,१६,६९,४००	..	२,१६,६९,४००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	१,२७,९९,७००	१,२७,९९,७००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत ..	१००	..	१००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	३,००,००,२००	..	३,००,००,२००
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	४,१६,९६,०००	..	४,१६,९६,०००
५१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	३,८००	..	३,८००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	४००	..	४००
५५	राज्य-व्यापार की योजनायें	३००	..	३००
५६	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	२००	..	२००
	योग ..	१३,८४,९६,७००	१,३६,६७,५००	१५,२१,६४,२००

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३

३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य को संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने का व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १८ फरवरी, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
१६ फरवरी, १९६३ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३२४ एल० ए० (प्रो०) १९६३—८५० ।